




37 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष

37th ANNUAL REPORT

YEAR ENDED 31st MARCH 2023

2023



दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)



बैराबी - सैरांग, मिजोरम के बीच रेलवे ब्रिज नंबर 78
Railway Bridge no.78 between Bairabi - Sairang, Mizoram



बैराबी - सैरांग, मिजोरम के बीच रेलवे ब्रिज नंबर 15
Railway Bridge no.15 between Bairabi - Sairang, Mizoram

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)
CMDE. RAKESH CHHILLAR (Retd.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार
Chairman & Managing Director and Director (Finance) – Additional Charge

पूर्णकालिक निदेशक / WHOLE TIME DIRECTOR



श्री राजीव कुमार सिंह
SHRI RAJIV KUMAR SINGH
निदेशक - तकनीकी / Director - Technical

सरकारी नॉमिनी निदेशक / GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR



श्री आदित्य कुमार घोष
SHRI ADITYA KUMAR GHOSH

स्वतंत्र निदेशक / INDEPENDENT DIRECTOR



श्रीमती सरला देवी
SMT. SARLA DEVI


वार्षिक प्रतिवेदन
(हिंदी)

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मंडल	1
2.	शेयरधारकों को सूचना	2
3.	अध्यक्ष का संदेश	6
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	8
5.	स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	37
6.	लेखापरीक्षकों के टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब	51
7.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	55
8.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियाँ पर प्रबंधन का जवाब	56
9.	तुलन पत्र	58
10.	लाभ एवं हानि का विवरण	60
11.	नकद प्रवाह का विवरण	61
12.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	63
13.	कंपनी सूचना, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ	64

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निदेशकों की अद्यतन सूची

	नाम	अवधि
	कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	27.12.2022 से
	श्री राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	26.09.2022 से 26.12.2022 तक
	श्री सुंदर बनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.07.2022 तक
	श्री राजीव कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी)	21.05.2022 से
	श्री मुकेश कुमार निदेशक (वित्त)	06.12.2022 तक
	श्री आदित्य कुमार घोष सरकार नामांकित निदेशक	पूरे वर्ष
	श्रीमती सरला देवी स्वतंत्र निदेशक	पूरे वर्ष
मुख्य सतर्कता अधिकारी :	सुश्री चंद्राणी गुप्ता	पूरे वर्ष
लेखा परीक्षक:	बी. मुखर्जी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	
सॉलिसिटर :	फॉक्स एंड मंडल कोलकाता	
	सैंडर्सन एंड मॉर्गन्स कोलकाता	
बैंकर्स:	कैनरा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक	
पंजीकृत कार्यालय:	27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001, पश्चिमबंगाल	



37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 37 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी: –

साधारण काम-काज :

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा का विवरण, नकदी प्रवाह और टिप्पणियाँ आदि सहित इक्विटी में परिवर्तन, वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए लाभांश की घोषणा करना।
- वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
- सरकारी आदेश द्वारा की गई निदेशकों की नियुक्ति पर ध्यान देना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :

27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता- 700001


दिनांक : 06 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि: सभी निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों को



द्रष्टव्यः

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और इस तरह के प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म इस नोटिस के साथ संलग्न है।
2. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या (फाइल संख्या नीति - 17/57/2021 सीएल-एमसीए दिनांक 05.05.2022) के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के विषय में स्पष्टीकरण दिया है - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है और तदनुसार कंपनी की 37 वीं एजीएम आयोजित की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो सदस्यों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने का विकल्प दिया जाएगा।
3. वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्दिष्ट स्थल पर 37वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित होगी।



प्रतिपुरुष प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन : यू70100डब्ल्यूबी 1986जीओआई041286
कंपनी का नाम : दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता, पं.बं. 700001, भारत

सदस्य (यों) के नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ईमेल आईडी	:	
फोलियो नं. / ग्राहक आईडी डीपी आईडी	:	
डीपी आईडी	:	लागू नहीं

मैं / हम उपर्युक्त नाम की कंपनी में शेयर के धारक होने के नाते कंपनी के सदस्य के रूप में एतद्वारा निम्नलिखित

- नाम: पता: ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:....., या उसके चूकने पर
- नाम: पता: ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:....., या उसके चूकने पर
- नाम: पता: ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:....., या उसके चूकने पर
- नाम: पता: ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:....., या उसके चूकने पर

को मेरे / हमारे तथा मेरी / हमारी ओर से शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को, कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में आयोजित कंपनी के सदस्यों की 37 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने (मतदान में) के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता/ते हूँ/हैं और इस तरह के संकल्पों के संबंध में इसके किसी भी स्थगन निम्न रूप में दिए गए हैं।


संकल्प संख्या

- 1
- 2
- 3
- 4

.....2023केवें दिन हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षर: (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य : इस प्रॉक्सी फार्म के प्रभावी होने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा भर कर एवं बैठक के प्रारंभ होने के पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।



शेयरधारकों को दिनांक 06 सितंबर, 2023 के सूचना का परिशिष्ट

दि ब्रेथवेट बर्न और जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 37वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार 30 सितंबर, 2023 को 11:00 बजे, 27, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल में, बुलाने के लिए सितंबर 06, 2023 के हमारे सूचना के अलावा, सामान्य व्यवसाय करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होने के नाते निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है (वार्षिक रिपोर्ट का पूरा सेट) :

1. 37वीं एजीएम 2023 के लिए सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश;
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण;
3. वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक बनाई गई अनुलग्नकों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निदेशकों की रिपोर्ट;
4. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन दिनांक 12, जुलाई 2023, और उन के अवलोकन पर प्रबन्धन का जवाब;
5. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और उन पर प्रबन्धन का जवाब;


बोर्ड के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता- 700001

दिनांक : 30 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि: सभी निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों को



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे कंपनी के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण वाली वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति पहले ही वितरित की जा चुकी है।

निरंतर विकास और भविष्य की वृद्धि के लिए, कंपनी परिचालन के मौजूदा क्षेत्रों (ईपीसी) में अपने व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से विकसित करने के साथ-साथ नए बिजनेस वर्टिकल (पीएमसी) के तहत बड़े व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है।



आज की बैठक के औपचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने से पहले, मैं आपके साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन को संक्षेप में साझा करूंगा। चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 30822.87 लाख की कुल आय अर्जित की, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान यह 114184.10 लाख थी। उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद लाभ) ₹ 885.85 लाख (पिछले वित्त वर्ष ₹ 315.42 लाख) है।

वित्तीय वर्ष:2022-23 के लिए दीपम दिशानिर्देश के तहत निर्धारित दर से कम दर पर लाभांश के भुगतान की छूट के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से दीपम को एक आवेदन किया गया है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश के रूप में लाभ के 20% की दर से लाभांश के भुगतान के लिए 37वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को मंजूरी देने की सिफारिश की है (प्रभावी दर @ ₹ 7.82 प्रति इक्विटी शेयर लगभग)।

पूरे वर्ष कंपनी में औद्योगिक संबंध मधुर बने रहे।

कंपनी डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के तहत त्रैमासिक और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट बिना किसी देरी के निर्धारित नियत तारीख के भीतर डीपीई के पास दाखिल की जाती है। डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई की ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, बीबीजे ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन के लिए लगातार 'उत्कृष्ट' ग्रेड हासिल किया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक में कॉर्पोरेट प्रशासन पर विस्तृत रिपोर्ट अलग से दी गई है।



मैं भारी उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से मिले पूरे दिल से समर्थन के लिए भी आभारी हूँ। भारत की, राज्य सरकारों, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, आरवीएनएल, इरकॉन, वित्तीय संस्थान, बैंक, नियामक और वैधानिक प्राधिकरणों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षकों, कानूनी सलाहकारों और सलाहकारों, संयुक्त उद्यम भागीदारों और सभी हितधारकों से प्राप्त पूरे दिल से समर्थन के लिए भी आभारी हूँ। हम कंपनी के भावी प्रयासों में उनके निरंतर समर्थन की कामना करते हैं।

मैं, पूरे निदेशक मंडल की ओर से, सभी स्तरों पर बीबीजे के कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनकी प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहता हूँ।


आप सभी को धन्यवाद

जय हिन्द

कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 30 सितंबर, 2023

स्थान: कोलकाता



निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में

शेयरधारकगण,

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के संचालन और प्रदर्शन पर 37वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

1 वित्तीय विशिष्टताएं

1.1.1 कंपनी के वित्तीय विवरण लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और बाद में कंपनी अधिनियम, 2013 और लागू प्रावधानों के तहत अधिसूचित और लागू प्रावधानों की सीमा तक संशोधनों का अनुपालन करती है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रथम इंड एएस अनुपालन वित्तीय विवरण और इंड एएस 101 'फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स' 'भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना' लागू किए गए थे और उसके बाद लगातार इसका पालन किया गया है।

1.1.2 वित्तीय वर्ष 2021-2022 की तुलना में 2022-2023 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया है: -

(₹ लाख में)

ब्यौरा	2022-2023	2021-2022
संचालन से राजस्व (जीएसटी का शुद्ध)	30178.97	13701.36
अन्य आय	643.90	482.74
मूल्यहास से पहले लाभ/हानि, वित्त लागत, असाधारण वस्तुएं और कर व्यय	1522.20	609.92
मूल्यहास/ परिशोधन /क्षति	122.14	97.51
वित्त लागत, असाधारण वस्तुओं और कर व्यय से पहले लाभ / हानि	1400.06	512.41
वित्त लागत	90.63	18.28
कर व्यय से पहले लाभ / हानि	1309.43	494.13
कर व्यय	423.57	178.71
वर्ष के लिए लाभ / हानि	885.85	315.42

1.1.3 वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए कंपनी की कुल आय ₹30822.87 लाख है, जबकि वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान कंपनी की कुल आय ₹14184.10 लाख थी। उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद लाभ) ₹ 885.85 लाख है, जबकि 2021-22 में ₹ 315.42 लाख है।


1.1.4 वर्ष के दौरान बाधाओं के बावजूद बीबीजे ने सतर्कता से रेलवे और अन्य ग्राहकों से लाभकारी ऑर्डरों को लक्षित किया, जिससे टर्नओवर और लाभप्रदता दोनों के संदर्भ में विकास को गति मिली। आपकी कंपनी एक बार फिर लगातार लाभ कमाने वाले सीपीएसई के ट्रेक रिकॉर्ड को बनाए रखने के अपने प्रयास में सफल रही।

2 पूंजी संरचना

2.1 31 मार्च, 2023 को अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 34810 लाख है और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 12086.05 लाख है। प्रदत्त पूंजी में 12,08,605 रुपये के इक्विटी शेयर, 1000/- रुपये के प्रत्येक शेयर, शामिल हैं।

3 सामान्य आरक्षित

3.1 31 मार्च, 2023 को सामान्य आरक्षित निधि (प्रतिधारित आय को छोड़कर) ₹ 1473.65 लाख (पिछला वित्त वर्ष 2021-2022 - ₹ 1473.65 लाख) है।



4 लाभांश

- 4.1 लाभांश बोर्ड द्वारा अपनी सिफारिश और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद भारत सरकार को देय हो जाएगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार आगामी वार्षिक आम बैठक आयोजित किया जाएगा।
- 4.2 लाभांश भुगतान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के अनुसार होगा, जो निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किया गया है या छूट, यदि कोई हो, जैसा कि दीपम द्वारा दिया जा सकता है।

5 प्रबंधन, चर्चा और विश्लेषण

5.1 कंपनी की संक्षिप्त रूपरेखा

- 5.1.1 17 सितंबर, 1986 को एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) के रूप में शामिल, भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से, भारत सरकार अपनी संपूर्ण 100% इक्विटी शेयर पूंजी रखती है। कंपनी एमएचआई के तहत एक अनुसूची 'सी' सीपीएसई है।
- 5.1.2 कंपनी के कारोबार में शामिल हैं:
- इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) व्यवसाय - स्टील ब्रिज,
 - परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) व्यवसाय – सिविल निर्माण कार्य
 - औद्योगिक संरचनाएँ
 - कंपनी अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी विविधता लाने का प्रयास कर रही है
- 5.1.3 बीबीजे की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुसार है और आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के तहत प्रमाणित है।

5.2 बीबीजे का विज्ञान मिशन और उद्देश्य :

5.2.1 दृष्टि

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और लागत प्रभावी प्रथाओं के माध्यम से उच्च इंजीनियरिंग मानक के साथ पुलों और अन्य इंजीनियरिंग चमत्कारों का नवप्रवर्तन, डिजाइन और निर्माण करना।
- हितधारकों के लिए देखभाल और चिंता के साथ लाभदायक, उत्पादक, रचनात्मक, आज्ञाकारी और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बने रहना।

5.2.2 मिशन और उद्देश्य

- एक विश्व स्तरीय प्रमुख इंजीनियरिंग परियोजना कार्यान्वयन संगठन बनना।
- देश के भीतर और बाहर सिग्नेचर ब्रिज और इंजीनियरिंग चमत्कारों का निर्माण करना।
- नवोन्मेषी, उद्यमशील होना, लगातार मूल्य सृजन करना और वैश्विक मानक प्राप्त करना।
- नवाचार और कौशल उन्नयन के माध्यम से संगठन और कर्मचारियों की कुल ग्राहक संतुष्टि और लगातार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध।

5.3 उद्योग संरचना और विकास

5.3.1 अर्थव्यवस्था की स्थिति - वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था

जैसा कि 6 से 8 जून, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया है :

- हालांकि बढ़ी हुई, लेकिन फिर भी नरम होती हुई मुद्रास्फीति, कड़ी वित्तीय स्थिति, बैंकिंग क्षेत्र में तनाव और लंबे समय तक जारी भू-राजनीतिक संघर्षों के बावजूद 2023 की दूसरी तिमाही में, वैश्विक अर्थव्यवस्था पिछली तिमाही में प्राप्त गति को बनाए हुए है,
- घरेलू आर्थिक गतिविधि क्यू1:2023-24 में लचीली बनी हुई है जैसा कि उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है। 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.2 प्रतिशत रखी गई थी, जो 7.0 प्रतिशत के दूसरे अग्रिम अनुमान से अधिक है।



5.3.2 भारतीय बुनियादी ढाँचा क्षेत्र और सरकार की पहल

5.3.2.1 सरकार की पहल निम्नलिखित के माध्यम से बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी:

मजबूत मांग

आकर्षक अवसर

नीति समर्थन

निवेश बढ़ाना

5.3 बीबीजे के लिए संभावनाएँ

5.3.1 बुनियादी ढाँचे और रेलवे, हमारा मुख्य ग्राहक, के विकास के लिए भारत सरकार की दृष्टि से उत्कृष्ट विकास अवसरों के साथ निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपकी कंपनी, पुल/सड़क निर्माण और सिविल निर्माण के आला खंड में अपने अनुभव, विशेषज्ञता और प्रतिभा के साथ, अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। बाजार के विकास का नेतृत्व करने के लिए आपकी कंपनी की रणनीति, टिकाऊ जीवन योजना को अपने मूल में रखते हुए भविष्य के चैनलों का निर्माण, इसे सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने में सक्षम बनाएगी। आपकी कंपनी उद्देश्य-आधारित और भविष्य के अनुकूल होने पर ध्यान देना जारी रखेगी।

5.3.2 आपकी कंपनी सड़क परियोजना, मेट्रो रेल परियोजनाओं, स्टेशन भवन के निर्माण, ट्रेक बिछाने और आधुनिकीकरण में प्रसार के माध्यम से निवल लाभ या निवल हानि में सुधार करने और आने वाले वर्षों में रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना से अधिक की खोज करने के अलावा पीएमसी बिजनेस में विविधीकरण के माध्यम से अन्य व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए भी तैयार है।


5.3.3 आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों से आपकी कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जो कि पारंपरिक व्यापार प्रक्षेपवक्र से विविध क्षेत्र में वादा की गई विकास दर के साथ होगा।

5.3.4 सरकार द्वारा बुनियादी ढाँचे पर निरंतर जोर दिया जा रहा है। भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे कठिन क्षेत्रों में काम करने की अपनी क्षमता के साथ, इन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के लिए तत्पर है।

5.4 शक्ति और कमजोरी

5.4.1 शक्ति

- मजबूत ब्रांड जागरूकता और प्रतिष्ठा, भारत में कुछ मेगा ब्रिज को निष्पादित करने में समृद्ध अनुभव, पुल, सड़कें और अन्य सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ऑपरेट करना है।
- सिविल निर्माण और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएं
- दशकों का अनुभव, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में काम करने का अनुभव
- जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड
- बिना लागत वृद्धि के परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करना
- हमारे ग्राहकों, उप-ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ आपसी विश्वास और सम्मान पर बने स्थायी संबंध
- कम एट्रिशन रेट वाले प्रतिभाशाली और कुशल कर्मचारी
- सकारात्मक निवल मूल्य।
- योग्य और अनुभवी जनशक्ति जो कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों में विशिष्ट निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्षम है।
- शॉर्ट टर्म में ए1+ और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में ए+ की क्रेडिट रेटिंग सुविधाएं होना।



5.4.2 कमजोरी

- उच्च स्तर और कंपनी में प्रमुख पद पर सेवानिवृत्ति के कारण अनुभवी कर्मचारियों की संख्या में कमी,
- चूंकि कंपनी को अपने छोटे आकार के कारण वित्तीय बाधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए, बड़े कार्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं के लिए प्रत्यय पत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे पुल, सड़क और सिविल निर्माण आदि मूल्यवान व्यवसाय के काम हाथ से निकल जाते हैं।
- वित्तीय और अन्य सीमाओं के कारण बीओटी/बीओओ और अन्य प्रमुख परियोजना निष्पादन में प्रवेश करने में असमर्थता।

5.5 अवसर, जोखिम और बाधाएँ

5.5.1 अवसर


- भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की मांग
- 'आत्मनिर्भर भारत', 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन', 'मेक इन इंडिया' स्मार्ट सिटी मिशन और निर्माण उद्योग से संबंधित भारत सरकार की विभिन्न अन्य पहलों से अच्छे बुनियादी ढांचे विशेष रूप से रेलवे, सड़क और नागरिक निर्माण आदि की मांग होगी, इस प्रकार निर्माण कंपनियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान होंगे।
- बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के लिए उच्च बजटीय आवंटन।
- उद्योग-समर्थक नीतियाँ और पहल जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, आरईआईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आदि में निवेश बढ़ेगा।
- भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के काम और सीमावर्ती क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास कार्यों में जोर।
- भूतल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर।
- प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम/सहयोग।
- नए क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए एवेन्यू (जैसे भवन निर्माण, रोड ओवरब्रिज, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स आदि)।

5.5.2 जोखिम

- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश ने बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के निर्माताओं को आकर्षित किया है जिससे प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लाभ मार्जिन घट सकता है।
- नामांकन के आधार पर कारोबार में कमी।
- मध्यस्थता और अदालती मामलों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ।

5.5.3 बाधाएँ

- 5.5.3.1 यद्यपि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित कानूनी ढांचे के भीतर काम करना होता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में आपका निगम कुछ बाधाओं (निजी क्षेत्र की कंपनियों पर लागू नहीं) का सामना करता है, जो इसे प्रतिस्पर्धी बाजार में नुकसान में डालता है। हालांकि बीबीजे लगातार लाभ कमाने वाली और लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है, लेकिन छोटे आकार और वित्तीय सीमाओं (सीमा क्षमता) के कारण बीबीजे सीमित फंड उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर आक्रामक तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपनी मुख्य क्षमता का योगदान देने में सक्षम नहीं है।



5.5.3.2 प्रमुख परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि के कारण वित्तीय परिसंपत्तियां (पीबीजी/एसडी आदि) लॉक हो जाती हैं, जिससे नई परियोजनाओं में भागीदारी सीमित हो जाती है।

5.5.3.3 उच्च वृद्धि वाली सिविल निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रमाण पत्र का अभाव।

5.5.4 जोखिम और चिंताएँ

5.5.5 नामांकन से कारोबार में कमी, निजी क्षेत्र द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा और आक्रामक बोली, सीमित वित्तीय क्षमता/कारोबार की तुलना में बड़े मूल्य के ईपीसी अनुबंध और प्राइवेट की तुलना में कम परिचालन लचीलापन, क्षेत्र की प्रतिस्पर्धाएँ भविष्य के व्यावसायिक अवसरों को प्रभावित कर सकती हैं।

5.5.6 जोखिम भरे भौगोलिक भूभाग में संचालन के दौरान कंपनी के कर्मचारियों और परियोजनाओं को जोखिम और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के खतरों से अवगत कराया गया है। हालाँकि, यह राष्ट्रीय निर्माण कार्य में प्रतिष्ठित कार्यों को अंजाम देने में गर्व महसूस करता है। कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए हैं।

5.5.7 स्टील की अस्थिर कीमत।

5.5.8 वित्तीय विवरणों पर नोट्स के अंतर्गत जोखिम संबंधी विवरणों का भी उल्लेख किया गया है।

5.6 वर्तमान संचालन, मामलों की स्थिति और भविष्य के लिए दृष्टिकोण

5.6.1 कारोबारी माहौल को निजी क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जहां आमतौर पर मार्जिन से नीचे की बोली का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, रिवर्स ऑक्शन की शुरुआत ने भी अवसरों को सीमित कर दिया है। बड़े मूल्य वाले ईपीसी टेंडरों के लिए बढ़ी हुई साख (तकनीकी और प्रारंभिक वित्तीय क्षमता) की आवश्यकता होती है। इस बदले हुए परिदृश्य में मार्जिन काफी कम हो गया है।


5.6.2 आपकी कंपनी भी बदले हुए कारोबारी माहौल को अपनाने का प्रयास कर रही है। हम बोली लगाते समय अपनी लागत और मार्जिन की भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हम लगातार बोली लगाने, संचालन, खरीद, निष्पादन और परियोजनाओं के तेजी से कारोबार में अपनी दक्षता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

आपकी कंपनी उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के कठिन इलाकों में जटिल परियोजनाओं को शुरू करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए उच्च मूल्य वाले ईपीसी और अन्य अनुबंध की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ नए संयुक्त उद्यम और गठजोड़ की भी खोज कर रही है।

5.6.3 सक्रिय सरकार और केंद्रीय बैंक नीतियों द्वारा समर्थित भारत एक गर्त से उबरने की राह पर है। आने वाले दिनों में बीबीजे के प्रदर्शन पर भी इसका सकारात्मक असर दिखेगा।

5.7 परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

5.7.1 बीबीजे रेलवे के लिए इस्पात पुलों के निर्माण और स्थापन के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कार्य में लगा हुआ है; इस एकल ग्राहक निर्भरता के परिणामस्वरूप अतीत में वित्तीय प्रदर्शन में उच्च परिवर्तनशीलता रही है।



5.7.2 कंपनी के वर्तमान व्यावसायिक कार्यक्षेत्र नीचे दिए गए हैं:

क्रमांक	विवरण	उत्पाद और सेवाएं	ग्राहक / क्लाइंट
(क)	इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) - व्यवसाय - स्टील ब्रिज	निर्माण कार्य : स्टील ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज, पुराने पुलों का पुनर्वास, ब्रिज गार्डर का निर्माण और आपूर्ति	भारतीय रेलवे, आरवीएनएल, राइट्स, इस्कॉन, दिल्ली / मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, हुगली नदी पुल आयुक्त।
(ख)	परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) -व्यवसाय - सिविल निर्माण कार्य	निर्माण कार्य : भवन, स्कूल परिसर, सड़क	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी), पश्चिम बंगाल मत्स्य निगम लिमिटेड, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, बेनफिश
(ग)	औद्योगिक संरचना	कोयला प्रबंधन संयंत्र के लिए इस्पात संरचना का निर्माण एवं स्थापन	मेकॉन

5.7.3 परिचालन प्रदर्शन

5.7.3.1 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी आर्डर बुक स्थिति रेलवे पुल परियोजनाओं से 41194.05 लाख रुपये और औद्योगिक संरचना कार्य सहित नागरिक और औद्योगिक परियोजनाओं से 6218.77 लाख रुपये है, जो कुल 47412.82 लाख रुपये है।

5.7.3.2 वर्ष 2022-23 के दौरान जम्मू कश्मीर परियोजना के लिए 416.89 रुपये का अतिरिक्त कार्य प्राप्त हुआ।

5.7.4 विविधीकरण और भविष्य का दृष्टिकोण

5.7.4.1 भविष्य के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक है और कंपनी के आगामी वर्ष में और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।

5.7.4.2 आपकी कंपनी द्वारा दो व्यवसाय मॉडल के तहत उत्पाद श्रृंखला के विविधीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं : परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और इंजीनियरिंग खरीद और अनुबंध (ईपीसी)। सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाएं, मौजूदा उत्पाद मिश्रण के अलावा, वे सभी हैं जो आपकी कंपनी के व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत आती हैं और सीमित साधनों और संसाधनों एवं कार्य की आवश्यकता के अनुरूप अनुभव, विशेषज्ञता और दक्षता के साथ हमने सड़क, पुल और सिविल निर्माण कार्यों के स्तर के निर्माण के लिए पहले ही ऑर्डर निष्पादित कर दिए हैं।


कंपनी साख (तकनीकी और वित्तीय पात्रता) बढ़ाने और उच्च मूल्य वाले पीएमसी/ईपीसी/दर अनुबंधों के लिए “भविष्य में तैयार” होने की आवश्यकता के प्रति सचेत है।

कंपनी द्वारा मौजूदा उत्पाद श्रृंखला के समेकन के साथ-साथ अतीत में कंपनी की व्यापक उत्पाद श्रृंखला को फिर से सक्रिय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इस दिशा में, कंपनी उच्च मूल्य के ऑर्डर और अधिक अवसरों के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ लगातार संयुक्त उद्यम/टाई अप की खोज कर रही है।

एलिवेटेड कॉरिडोर, केबल स्टेड ब्रिज, एफओबी, आरओबी, औद्योगिक संरचना आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण किया जा रहा है। गतिविधियों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में दक्षता बढ़ाई जा रही है।

मौजूदा कार्य को पूरा करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को खाली करने और भविष्य के कार्यों के लिए इसका लाभ उठाने के लिए



कदम उठाए जा रहे हैं। सक्रिय दृष्टिकोण और संभावित चुनौतियों का जोखिम कम करने कोशिश की जा रही है। हम भविष्य में उत्पादन और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार के प्रति आशावादी हैं।

5.7.4.3 आपकी कंपनी उच्च मूल्य की निविदाओं के लिए निर्माण उद्योग के अन्य प्रमुख निर्माताओं के साथ एमओयू/कंसोर्टियम के रूप में रणनीतिक गठजोड़ पर विचार कर रही है। इस नीतिगत पहल का मुख्य उद्देश्य एमओयू प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों के बीच तकनीकी-आर्थिक तालमेल के लाभ का पता लगाना है। तकनीकी रूप से अनुकूल होने के अलावा, यह प्रक्रिया समय के साथ कंपनियों और कंसोर्टियम के लिए फायदेमंद हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप मूल मूल्य में वृद्धि होगी।

5.7.5 बीबीजे की अपनी मुख्य क्षमता को मजबूत करने और निम्नलिखित तरीके से नए व्यावसायिक क्षेत्रों में उद्यम करने की योजना है:

1) ईपीसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धि

क) ऐसी निविदाएं जहां अकेले बीबीजे भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, संयुक्त उद्यम के माध्यम से बीबीजे सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ गठजोड़/संयुक्त उद्यम (जेवी) करता है।

बीबीजे ने आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड के साथ एक अनिगमित संयुक्त उद्यम बनाकर इलाहाबाद (यूपी) में गंगा पुल के निर्माण के लिए आरवीएनएल द्वारा आमंत्रित निविदा में भाग लिया। यह काम पहले से ही इस उद्देश्य के लिए गठित संयुक्त उद्यम के हाथों में है और तदनुसार, इस पुल की निर्माण गतिविधियों में अच्छी प्रगति शुरू कर दी गई है, जिससे आने वाले दिनों में परियोजना की गतिविधियों में तेजी आने पर निश्चित रूप से न केवल टॉप लाइन बल्कि बॉटम लाइन में भी सुधार होगा।

ख) बीबीजे राज्य संयोजक परियोजनाओं के तहत स्टील पुलों के निर्माण, रेलवे के विभिन्न खंडों की नई लाइन / दोहरीकरण लाइन परियोजनाओं के निर्माण आदि के लिए विभिन्न जोनल रेलवे, आरवीएनएल, इरकॉन आदि द्वारा आमंत्रित बोलियों में नियमित आधार पर भाग लेता है।

2) पीएमसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धि

बीबीजे, एक सीपीएसई होने के नाते, केंद्र और राज्य सरकारों/विभागों के लिए पीएमसी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है। इस अवसर का पता लगाने के लिए, हाल ही में एक नए पीएमसी बिजनेस वर्टिकल ने पीएमसी अनुबंध हासिल करने और निष्पादित करने के लिए अपना परिचालन शुरू किया है। प्रतिस्पर्धी अन्य सीपीएसई हैं।

5.8 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

5.8.1 कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्त प्रणाली है जो प्रबंधन को वित्तीय और परिचालन नियंत्रण की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में मदद करती है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी लेनदेन अधिकृत, रिकॉर्ड किए गए और सही तरीके से रिपोर्ट किए गए हैं।


5.9 मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर भौतिक विकास, जिसमें नियोजित लोगों की संख्या भी शामिल है :

5.9.1 इस अनुभाग पर निदेशकों की रिपोर्ट में अलग से चर्चा की गई है।

5.10 पर्यावरण रक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण:

5.10.1 इस अनुभाग पर निदेशकों की रिपोर्ट में अलग से चर्चा की गई है।

5.11 नैगम सामाजिक जिम्मेदारी :



5.11.1 इस अनुभाग पर निदेशकों की रिपोर्ट में अलग से चर्चा की गई है।

5.12 सावधानी विवरण

5.12.1 इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले विवरण लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भविष्य उन्मुख बयान' हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी हद तक या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं उनमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र में गिरावट, भारत और विदेशों में आर्थिक माहौल में महत्वपूर्ण बदलाव, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, कर कानून, मुकदमे और श्रम संबंध शामिल हैं।

5.12.2 इस खंड के तहत सूचना का सामान्य स्रोत इस प्रकार हैं :

- आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक का कार्यवृत्त
- इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) - भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित ट्रस्ट।

6 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

6.1 आपकी कंपनी को दिनांक 25-10-2022 के ओएम संख्या एम-03/0021/2022-23-डीपीई(एमओयू) के माध्यम से एमओयू प्रक्रिया से छूट दी गई है।

7 बोर्ड, समितियाँ और संबंधित जानकारी/प्रकटीकरण

7.1 निदेशक मंडल

7.1.1 बोर्ड और अन्य समिति की बैठकों की संरचना का विवरण, बैठकों की तारीख, उक्त बैठकों में निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति सहित अवधि के दौरान बैठकों की संख्या और अन्य आवश्यक विवरण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के तहत अलग से कवर किए गए हैं जो कि इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है और संलग्न है।

7.1.2 कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) भारत सरकार के आदेश क्रमांक 12/(1)/2021-पीई-III दिनांक 01-12-2022 के संदर्भ में 27-12-2022 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीबीजे (डीआईएन - 09832486) के रूप में शामिल हुए।

7.1.3 श्रीमती. सरला देवी को 15 फरवरी, 2022 से कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वीकृत पदों में से, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद अभी भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।

7.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

7.2.1 31 मार्च 2023 को कार्यात्मक निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे: -

- कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार
- श्री राजीव कुमार सिंह- निदेशक (तकनीकी)
- श्री नवीन कुमार मिश्रा - कंपनी सचिव (सीएस)

7.2.2 श्री सुंदर बनर्जी 30-07-2022 को बीबीजे में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए।



7.2.3 श्री मुकेश कुमार- निदेशक (वित्त) ने 06-12-2022 से पद छोड़ दिया।

7.2.4 कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त) ने भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) भारत सरकार के आदेश के संदर्भ संख्या क्रमांक 12(1)/2021-पीई-III दिनांक 01-12-2022 के तहत, 27-12-2022 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीबीजे (डीआईएन - 09832486) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

7.3 बोर्ड मूल्यांकन एवं बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

7.3.1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) ने सरकारी कंपनियों को अपने निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन से छूट दी है।

7.3.2 गैर-कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति सरकारी आदेश द्वारा की जाती है और वे उद्योग, वाणिज्य और प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तित्व हैं। बोर्ड में उनकी उपस्थिति व्यावसायिक निर्णय लेने में फायदेमंद और फलदायी रही है। निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और अन्य गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से कंपनी के अवलोकन पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं। बोर्ड को वित्तीय निष्पादन, चालू परियोजनाओं की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक संचालन से संबंधित मामलों के संबंध में एजेंडा पत्रों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग के माध्यम से कंपनी के समग्र मामलों के बारे में अद्यतित रखा जाता है।

7.4 निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

7.4.1 अधिनियम की धारा 134 के अनुसार, निदेशक प्रमाणित करते हैं कि:

- (क) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- (ख) उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।
- (ग) कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;
- (घ) वार्षिक खाते चालू व्यवस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- (ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।


7.5 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

7.5.1 धारा 149 के तहत घोषणा सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित घोषणा स्वतंत्र निदेशक से प्राप्त की गई है।

7.6 लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति:

7.6.1 आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निर्धारित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शिता, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर ऑडिट और अन्य बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करती रहती है। वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 04 बार बैठक हुई।

7.6.2 बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों के गठन, बैठकों, उपस्थिति और अन्य विवरणों का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल



है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसका हिस्सा है।

- 7.6.3 सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 (कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश) के तहत आवश्यकतानुसार बोर्ड की ऑडिट समिति का गठन किया गया है।
- 7.6.4 लेखा परीक्षा समिति के लिए संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत 'ऑडिट समिति की भूमिका' पर खंड 4.2 के तहत शासित होती हैं।
- 7.6.5 श्रीमती. सरला देवी को 15 फरवरी, 2022 से कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वीकृत पद के अनुसार, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद अभी भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड स्तर की समितियों का अध्यक्ष है। अन्य दो सदस्य सरकार द्वारा नामित निदेशक और बीबीजे से एक कार्यात्मक निदेशक हैं।

7.7 संबंधित पार्टी लेनदेन

- 7.7.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया था, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
- 7.7.2 संबंधित पक्ष के अंतर्गत आने वाले नियमित लेन-देन, यदि कोई हों, का इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में खुलासा और व्याख्या की गई है।


7.8 कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

- 7.8.1 कंपनी को, भारत सरकार का उद्यम होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत निर्धारित पारिश्रमिक और अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) के साथ पठित किया गया है।
- 7.8.2 इसके अलावा, आपकी कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के प्रावधानों के तहत कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है।


8 सूचना एवं सतर्कता ढाँचा, नीतियाँ, प्रक्रियाएँ:

8.1 गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुरक्षा

- 8.1.1 आपकी कंपनी वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों और मानकीकृत विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर अवगत कराने और कार्यात्मक आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, अभ्यास के रूप में गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निर्माण में सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वास्तव में, हर समय निर्माण के हर पहलू में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप आईएसओ 9001:2015 के तहत प्रमाणित है।
- 8.1.2 वार्षिक आधार पर, प्रधान कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसका आयोजन गुणवत्ता सेल द्वारा किया जाता है और परियोजना स्थलों पर सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अवसर पर जागरूकता के लिए सुरक्षा के लिए सामान्य दिशानिर्देश पढ़े जाते हैं।



- 8.2 कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन का संकेत देने वाला विवरण, जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान, यदि कोई हो, शामिल है, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।
- 8.2.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है, न कि निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में। एक अभिन्न अंग होने के नाते, कामकाज की प्रक्रिया में जहां भी आवश्यक और जरूरी हुआ, जोखिम प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए नीतिगत पहल की गई।
- 8.3 कॉर्पोरेट प्रशासन:
- 8.3.1 आपकी कंपनी अपने समग्र कामकाज में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाती है, जिसे डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है।
- 8.3.2 आपकी कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रणों का समय-समय पर बोर्ड द्वारा नामित सदस्यों द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षण किया जाता है।
- 8.4 सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति
- 8.4.1 कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी तरह से व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर पारदर्शी तरीके से, निगरानी तंत्र स्थापित किया है, जिसमें निष्पक्ष तरीके से मामलों के संचालन के लिए विधिवत अपनाई गई व्हिसल ब्लोअर नीति शामिल है।
- 8.4.2 नीति का लक्ष्य एक भयमुक्त वातावरण बनाना है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है और <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-whistle-blower-policy.pdf> पर उपलब्ध है।
- 8.5 सूचना का अधिकार
- 8.5.1 कंपनी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए उचित तंत्र है।
- 8.5.2 वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान कुल 30 आवेदन (आरटीआई अधिनियम के तहत एक प्रथम अपील सहित) प्राप्त हुए थे। एक प्रथम अपील सहित सभी आवेदनों का उत्तर उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया गया था और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अंत में उत्तर के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं था।
- 8.6 सतर्कता
- 8.6.1 सुश्री चंद्राणी गुप्ता, आईईएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीबीजे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान सतर्कता गतिविधियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया गया।
- 8.7 लेखांकन नीति/मानक का अनुपालन
- 8.7.1 कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार तैयार किए गए हैं।



- 8.7.2 वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले टिप्पणियों के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण पर्याप्त रूप से समझाया गया है।
- 8.7.3 केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।
- 8.8 आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण
- 8.8.1 कंपनी के पास अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, अनुपालन के लिए और जोखिम की प्रभावशीलता में सुधार शामिल है।
- 8.8.2 कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय कानूनी, वैधानिक और नियामक अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाए।
- 8.8.3 कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य करने और उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म को नियुक्त किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्ट समय-समय पर कंपनी के प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार समग्र नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाता है।
- 8.8.4 कंपनी के पास प्रबंधन द्वारा जारी स्थापित कार्यालय प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं जो सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे विपणन, खरीद और कार्य, सामग्री, स्टोर, खाते और व्यक्तिगत मैनुअल आदि को कवर करते हैं।
- 8.8.5 आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा, योजना, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और वित्तीय और परिचालन प्रणाली के मुद्दों को भविष्य की सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक संरचित बनाया गया है।
- 8.8.6 प्रबंधन उचित सावधानी बरतता है और परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करता है।
- 8.8.7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जाता है, जो समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा करते हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और उन पर सुधारात्मक कार्रवाइयां लेखापरीक्षा समिति के साथ-साथ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।
- 8.8.8 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी की जा रही है।
- 8.8.9 लेखा पुस्तकें भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के अधीन हैं।

9 लेखा परीक्षक

- 9.1 2022-2023 के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन
- 9.1.1 मेसर्स बी. मुखर्जी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 302096ई), कोलकाता को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।
- 9.1.2 वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में अवलोकन को खातों पर टिप्पणियों में पर्याप्त रूप से समझाया गया है। इस वार्षिक प्रतिवेदन के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अनुभाग में वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ लेखापरीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन का उत्तर भी रखा गया है।
- 9.1.3 जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सीए) के तहत आवश्यक है, धोखाधड़ी के संबंध में धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई है।



9.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ

- 9.2.1 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की दिनांक 12 सितंबर, 2023 की टिप्पणियाँ समीक्षाधीन अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन के हिस्से के रूप में वार्षिक आम बैठक में शेरधारकों के समक्ष रखी जाती हैं।
- 9.2.2 सीएंडएजी ने अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक ऑडिट किया। इस अनुपूरक ऑडिट में, C&AG ने धारा 143(6)(बी) के तहत महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डाला है, जो उनके विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत सी एंड एजी की टिप्पणियों की एक प्रति, सी एंड एजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तरों के साथ दी गई है। इस वार्षिक रिपोर्ट के अंकेक्षित वित्तीय विवरण अनुभाग में रखा गया है।

9.3 सचिवीय लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट


- 9.3.1 सचिवीय लेखापरीक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 9.3.2 कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू/अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन प्राप्त कर लिया है।

10 मानव संसाधन, महिला सशक्तिकरण और कल्याण गतिविधियाँ

10.1 मानव संसाधन

- 10.1.1 परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने की दृष्टि से, संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ बदलते औद्योगिक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कठोर और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
- 10.1.2 कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से संगठन में कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुरानी नीतियों को संशोधित किया गया। कुशल मानव संसाधन प्रणालियों के निर्माण की दिशा में कई पहल की गईं, जिससे कंपनी में पारदर्शिता और प्रभावी संचार प्रणाली में वृद्धि हुई और उचित प्रणाली के माध्यम से समझौता ज्ञान (एमओयू) मापदंडों को उचित रूप से संबोधित किया गया।
- 10.1.3 कर्मचारी से संबंधित किसी भी शिकायत को समय पर समाधान के लिए शिकायत समिति द्वारा उठाया जाना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यात्मक और व्यवहारिक कौशल को ध्यान में रखते हुए, दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों के बीच स्व-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी।
- 10.1.4 इसके अलावा, वर्तमान नवीन और चुनौतीपूर्ण बाजार को देखते हुए, कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए, आपकी कंपनी ने अधिकारियों/कर्मचारियों को नवीनतम रुझानों/तकनीकों और होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराने के लिए अपने संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में और अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए आवश्यकता आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की। ताकि वे एक टीम के रूप में समग्र संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर क्षमता और उत्साह के साथ काम करें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

10.2 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व; वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में विवरण



10.2.1 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत आवश्यक सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में रखी गई है, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सीएसआर फंड और इसके उपयोग का विवरण दिया गया है।

10.2.2 कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-csr-policy.pdf> पर उपलब्ध है।

10.3 महिलाओं का सशक्तिकरण

10.3.1 कंपनी लैंगिक समानता को उचित महत्व देना जारी रखती है। वेतन भुगतान, काम के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण पहलुओं और मातृत्व लाभ आदि जैसे मुद्दों में महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों/वैधानिक प्रावधानों का कंपनी द्वारा अक्षरशः पालन किया जा रहा है।

10.4 समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

10.4.1 मौजूदा श्रम कानूनों और उनके तहत बनाए गए नियमों में शामिल वैधानिक कल्याण सुविधाएं कंपनी द्वारा सरकारी नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों के लिए आरक्षण नीति के कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रावधानों के अलावा कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रशासित की जाती हैं।

10.5 एमएसएमई को प्रोत्साहन/सहायता

10.5.1 समीक्षाधीन अवधि के लिए कुल खरीद में से अधिकांश एमएसएमई के माध्यम से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अंत में 45 दिनों से अधिक की अवधि के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को कुछ भी बकाया नहीं है।

10.5.2 चरणबद्ध तरीके से जरूरतमंदों से सामग्री और सेवाओं की चयनात्मक सोर्सिंग/खरीद के माध्यम से सामाजिक कल्याण संगठनों को सहायता और समर्थन प्रदान की गई।

11 अन्य खुलासे

11.1 कानूनी अनुपालन

11.1.1 बोर्ड को कार्यसूची के टिप्पणियों के माध्यम से नियमित आधार पर वैधानिक और अन्य अनिवार्य कानूनी अनुपालनों से अवगत कराया जाता है, जिसमें वैधानिक अधिकारियों से प्राप्त सूचना, यदि कोई हो, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई शामिल है।

11.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत खुलासे

11.2.1 कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधान का अनुपालन किया है। आंतरिक शिकायत समिति को यौन उत्पीड़न के सभी शिकायतों पर गौर करने का और स्पष्ट समयसीमा के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।

11.2.2 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक मामलों का विवरण यहां दिया गया है:

- (i) वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या : शून्य
- (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या : शून्य
- (iii) वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या : शून्य



11.3 ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

11.3.1 समीक्षाधीन अवधि के लिए, कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया गया था, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों और उसके भाग वाले टिप्पणियों के अंतर्गत आता है।

11.4 बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता:

11.4.1 आपकी कंपनी के पास अच्छी तरह से परिभाषित नीतिगत ढांचा है जो कंपनी के व्यवसाय को नैतिक रूप से और जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ संचालित करने के उद्देश्य से नैतिक पेशेवर आचरण के लिए सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कोड कंपनी की वेबसाइट <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-code-of-conduct.pdf> पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने समीक्षाधीन अवधि के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।

11.4.2 डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप आचार संहिता के अनुपालन पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

आचार संहिता पर घोषणा

डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश दिनांक 14 मई, 2010 के खंड 3.4.2 के संदर्भ में, मैं घोषणा करता हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए वार्षिक आधार पर उक्त दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर :

(कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानि))

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 09832486

11.5 हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

11.5.1 कंपनी में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए उपाय

11.5.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए अपना प्रयास जारी रखा। राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की दिशा में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें बीबीजे के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।


11.5.3 त्रैमासिक हिन्दी कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं। 14-29 सितंबर, 2022 के दौरान कंपनी में “हिंदी पखवाड़ा” आयोजित किया गया था और उक्त पखवाड़े के दौरान कंपनी के कर्मचारियों के बीच विभिन्न हिन्दी कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं के बीच पुरस्कार भी वितरित किये गये।

11.5.4 कंपनी की प्रमुख निर्माण गतिविधियों के संबंध में ‘निर्माण’ नामक चार पेज की पुस्तिका हिन्दी में प्रकाशित की गई थी।

11.5.5 हिन्दी टिप्पणियाँ के प्रयोग को बढ़ाने और आसान बनाने के लिए, कंपनी की वर्तमान फाइलों और कवरों के अंदरूनी आवरण में द्विभाषी टिप्पणियाँ युक्त पृष्ठ चिपकाया गया। भविष्य की फाइलें और कवर इन द्विभाषी प्रिंटों के साथ ही मुद्रित किए जा रहे हैं।

11.6 वार्षिक विवरणी का अंश

11.6.1 कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12, उप-नियम (1) में प्रावधान है कि किसी कंपनी को फॉर्म संख्या एमजीटी.9 में बोर्ड की रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिटर्न का उद्धरण संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की



उप-धारा (3) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसे वार्षिक रिटर्न के वेब लिंक का खुलासा किया गया है। यह प्रावधान 28 अगस्त, 2020 को कंपनियों (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

11.6.2 तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ विधिवत दाखिल वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक निम्नलिखित वेब-लिंक - <https://www.bbjconst.com/financials.html> पर उपलब्ध है। उपरोक्त पहले पैरा में बताए गए प्रावधानों के मद्देनजर, फॉर्म संख्या एमजीटी-9 में 'वार्षिक विवरणी का अंश' समीक्षाधीन अवधि के लिए बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

11.7 रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं और कंपनी के समग्र प्रदर्शन में उनके योगदान पर प्रतिवेदन

11.7.1 भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे बीबीजे और गैमन इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित किया गया है। नामांकित निदेशक की स्थिति को 'निष्क्रिय' के रूप में दर्ज करने के बाद, बीबीजे द्वारा अपने निदेशक के संशोधन या बीबीसीसीपीएल के गठन के लिए एम्प्लोसिएशन के लेखों और संयुक्त उद्यम समझौते के संदर्भ में निदेशकों का नया नामांकन करने का अनुरोध किया गया था। कई अनुस्मारक के बावजूद, जीआईएल द्वारा निदेशकों का कोई सुधार या नया नामांकन नहीं किया गया है। इस कारण से, निदेशकों या शेयरधारकों की बैठकें आयोजित करने में गतिरोध है क्योंकि बोर्ड या शेयरधारकों की उक्त बैठकें आयोजित करने के लिए कोई कोरम नहीं है। इस संबंध में कोई नई प्रगति नहीं हुई है।

11.7.2 फॉर्म संख्या 22ए, सक्रिय उक्त गतिरोध के कारण दाखिल नहीं किया जा सका और इसलिए, कंपनी की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय, गैर-अनुपालक है।

11.7.3 बीबीसीसीपीएल वस्तुतः निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी है, दूसरे हुगली ब्रिज के निर्माण के उद्देश्य के पूरा होने के बाद इसका आधार खो गया है, जिसके लिए इसे शामिल किया गया था। वर्तमान में, बीबीसीसीपीएल के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं है।

11.8 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का संरक्षण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

11.8.1 ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण

11.8.1.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। आंतरिक तंत्र के माध्यम से, विभिन्न स्थानों पर परियोजना स्थलों पर उपयोग में आने वाले संयंत्रों से कार्बन और अन्य गैसों के उत्सर्जन के स्तर की निगरानी के लिए सिस्टम और इसकी नीति की समय-समय पर जांच के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

11.8.1.2 अपने संसाधनों की सीमित तैनाती, अनुबंधों की प्रकृति और विभिन्न स्थलों पर चल रही अपनी परियोजनाओं की छोटी अवधि के साथ, उक्त स्थलों पर ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजी निवेश के माध्यम से वैकल्पिक स्रोत का उपयोग फिलहाल संभव नहीं है। हालाँकि, भविष्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का व्यवहार्य तरीके से उपयोग करने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं।

11.8.1.3 सभी नई निर्माण परियोजनाओं में उपलब्ध सर्वोत्तम बिजली बचत तकनीकों को अपनाकर ऊर्जा की खपत को कम करने पर जोर दिया गया है, एलसीडी से एलईडी लाइटिंग पर स्विच करना पहले ही पूरा किया जा चुका है। निष्पादित अधिकांश परियोजनाएं ऊर्जा मानदंडों के अनुरूप होने के अलावा, उपयोग किए गए सभी उपकरण ऊर्जा कुशल हैं।

11.8.1.4 आपकी कंपनी समुदाय और उसके बड़े पैमाने पर लोगों के लिए पर्यावरण-अनुकूल बनी रही। प्रासंगिक कानूनों के किसी भी गैर-अनुपालन के लिए अधिकारियों या नियामकों से कभी कोई नोटिस या कारण बताओ प्राप्त नहीं हुआ।

11.8.2 प्रौद्योगिकी समावेश

11.8.2.1 वित्तीय वर्ष 2022-2023 की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी का कोई आयात नहीं किया गया था।

11.8.2.2 नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के उपयोग के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को जागरूकता प्रदान की जा रही है। नई और नवीन प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतियाँ आयोजित की जा रही हैं। विभिन्न कारकों के कारण जैसे, नौकरी की पारंपरिक प्रकृति, लागत और आकार की बाधाएं आदि के कारण, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां वर्तमान में कंपनी द्वारा नहीं की जाती हैं।




11.8.3 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

11.8.3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई विदेशी लेनदेन नहीं किया गया।

12 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित 12 अन्य खुलासे

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
1)	कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तारीख संबंधित हैं	शून्य
2)	एक बयान जिसमें बताया गया है कि बोर्ड द्वारा अपने और अपनी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है।	लागू नहीं। बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, निर्दिष्ट सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होते हैं।
3)	निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति	लागू नहीं। बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, निर्दिष्ट सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होते हैं।
4)	वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन	शून्य
5)	शेयर या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी करना	शून्य
6)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना	शून्य
7)	डिबेंचर, बांड या किसी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का मुद्रा	शून्य
8)	वारंट जारी करना	शून्य
9)	जमा का विवरण	शून्य
10)	निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ)	पिछले सात वर्षों के संबंध में कोई अवैतनिक लाभांश नहीं है।
11)	व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो;	शून्य
12)	उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या समाप्त हो गई हैं;	शून्य
13)	जमा से संबंधित विवरण, अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आते हैं	शून्य
14)	उन जमाराशियों का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं हैं;	शून्य
15)	नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण, जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं	शून्य



स्वीकृति

निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के अथक प्रयासों की सराहना करते हैं, जिन्होंने कोविड महामारी की चुनौतियों और प्रतिबंधों के बावजूद रिपोर्ट अवधि के दौरान कंपनी के विकास में बहुत योगदान दिया है। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता संगठन को भविष्य में चुनौतियों का सामना करने में अच्छी स्थिति में खड़ा करेगी।

बीबीजे को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकारों आदि से भी निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन मिला है। सभी हितधारकों, विशेष रूप से आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और व्यापार भागीदारों ने संगठन की सफलता के लिए जबरदस्त समर्थन दिया है।

निदेशक आपकी कंपनी को जिम्मेदारीपूर्वक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उसकी रणनीतिक योजनाओं पर अपना अटूट ध्यान केंद्रित करने का आश्वासन देते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड


(कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 09832486

दिनांक: 30 सितंबर, 2023


कोलकाता



कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट

यह रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।


<p>कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों पर कंपनी का दर्शन</p>	<p>कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी के दर्शन का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से धन उत्पन्न करने के लिए कंपनी के दीर्घकालिक शेयरधारकों के मूल्य और क्षमता को बढ़ाना है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अच्छे व्यावसायिक निर्णय लेने और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करना ● कंपनी के सभी निर्णयों और गतिविधियों में पारदर्शिता और व्यावसायिकता प्राप्त करना ● प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुपालन का पालन करना ● निम्नलिखित द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करना : <ol style="list-style-type: none"> 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप होना और जहां भी संभव हो उत्कृष्ट प्रदर्शन करना 2. कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए व्यवसाय के संचालन में उच्च नैतिक मानक स्थापित करना 3. आगे के सुधारों के लिए मौजूदा प्रणाली और नियंत्रणों की समय-समय पर समीक्षा करना 																							
<p>निदेशक मंडल</p>	<p>कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशकों को भारी उद्योग मंत्रालय, सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाता है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का विवरण इस प्रकार है:</p>																							
<p>बोर्ड संरचना</p>	<table border="1" data-bbox="411 1128 1444 1447"> <thead> <tr> <th>निदेशकों का डीआईएन</th> <th>नाम</th> <th>श्रेणी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09832486</td> <td>कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)</td> <td>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)/ अतिरिक्त प्रभार</td> </tr> <tr> <td>09222808</td> <td>श्री आदित्य कुमार घोष</td> <td>उप सचिव - (सरकारी नामित निदेशक)</td> </tr> <tr> <td>09614219</td> <td>श्री राजीव कुमार सिंह</td> <td>निदेशक (तकनीकी)- कार्यात्मक निदेशक</td> </tr> <tr> <td>09299169</td> <td>श्रीमती सरला देवी</td> <td>गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक</td> </tr> </tbody> </table> <p>वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए, जिसमें 31 मार्च, 2023 के बाद से रिपोर्ट की तारीख तक की अवधि भी शामिल है:</p> <table border="1" data-bbox="411 1559 1444 1953"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>श्री राजीव कुमार सिंह डीआईएन - 09614219 को सरकार (एमएचआई) द्वारा आदेश संदर्भ संख्या 12(1)/2020-पीई-III दिनांक 20-05-2022 के तहत 21-05-2022 से निदेशक (तकनीकी), बीबीजे के रूप में नियुक्त किया गया।</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>श्री सुंदर बनर्जी, डीआईएन - 06862063, दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद से 30-07-2022 को सेवानिवृत्त हुए।</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>एमएचआई आदेश संदर्भ संख्या क्रमांक 12(1)/2021-PE-III दिनांक 09-09-2022 द्वारा, श्री राजेश कुमार सिंह, DIN- 09362244, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और वह 26-12-2022 तक बीबीजे के सीएमडी के रूप में पद पर रहे।</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>श्री मुकेश कुमार- निदेशक (वित्त) ने 06-12-2022 से पद छोड़ दिया।</td> </tr> </tbody> </table>	निदेशकों का डीआईएन	नाम	श्रेणी	09832486	कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)/ अतिरिक्त प्रभार	09222808	श्री आदित्य कुमार घोष	उप सचिव - (सरकारी नामित निदेशक)	09614219	श्री राजीव कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी)- कार्यात्मक निदेशक	09299169	श्रीमती सरला देवी	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	1.	श्री राजीव कुमार सिंह डीआईएन - 09614219 को सरकार (एमएचआई) द्वारा आदेश संदर्भ संख्या 12(1)/2020-पीई-III दिनांक 20-05-2022 के तहत 21-05-2022 से निदेशक (तकनीकी), बीबीजे के रूप में नियुक्त किया गया।	2.	श्री सुंदर बनर्जी, डीआईएन - 06862063, दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद से 30-07-2022 को सेवानिवृत्त हुए।	3.	एमएचआई आदेश संदर्भ संख्या क्रमांक 12(1)/2021-PE-III दिनांक 09-09-2022 द्वारा, श्री राजेश कुमार सिंह, DIN- 09362244, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और वह 26-12-2022 तक बीबीजे के सीएमडी के रूप में पद पर रहे।	4.	श्री मुकेश कुमार- निदेशक (वित्त) ने 06-12-2022 से पद छोड़ दिया।
निदेशकों का डीआईएन	नाम	श्रेणी																						
09832486	कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)/ अतिरिक्त प्रभार																						
09222808	श्री आदित्य कुमार घोष	उप सचिव - (सरकारी नामित निदेशक)																						
09614219	श्री राजीव कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी)- कार्यात्मक निदेशक																						
09299169	श्रीमती सरला देवी	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक																						
1.	श्री राजीव कुमार सिंह डीआईएन - 09614219 को सरकार (एमएचआई) द्वारा आदेश संदर्भ संख्या 12(1)/2020-पीई-III दिनांक 20-05-2022 के तहत 21-05-2022 से निदेशक (तकनीकी), बीबीजे के रूप में नियुक्त किया गया।																							
2.	श्री सुंदर बनर्जी, डीआईएन - 06862063, दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद से 30-07-2022 को सेवानिवृत्त हुए।																							
3.	एमएचआई आदेश संदर्भ संख्या क्रमांक 12(1)/2021-PE-III दिनांक 09-09-2022 द्वारा, श्री राजेश कुमार सिंह, DIN- 09362244, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और वह 26-12-2022 तक बीबीजे के सीएमडी के रूप में पद पर रहे।																							
4.	श्री मुकेश कुमार- निदेशक (वित्त) ने 06-12-2022 से पद छोड़ दिया।																							



	<p>5. एमएचआई आदेश सन्दर्भ संख्या क्रमांक 12(1)/2021-पीई-III दिनांक 01-12-2022 द्वारा, कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त), डीआईएन- 09832486, को 27-12-2022 से दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।</p> <p>कमोडोर. राकेश छीलर (सेवानिवृत्त) के पास बीबीजे के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी है और उन्हें, उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु, एमएचआई आदेश संदर्भ क्रमांक 12(5)/2018-PE-III दिनांक 09.08.2023, द्वारा 03.08.2023 से छह महीने की अवधि के लिए या नियमित नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विस्तार दिया गया है।</p> <p>कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत दो पदों के लिए, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।</p>																					
<p>आयोजित बैठकें (बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति)</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें</p> <p>वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैठक संख्या और बैठक की तिथि</th> <th>निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>157वीं बोर्ड बैठक 25-06-2022 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>158वीं बोर्ड बैठक 22-07-2022 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>159वीं बोर्ड बैठक 30-09-2022 क</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>160वीं बोर्ड बैठक 30-12-2022 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>161वीं बोर्ड बैठक 28-03-2023 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>64वीं बैठक 25-06-2022 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>65वीं बैठक 22-07-2022 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>66वीं बैठक 30-09-2022 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>67वीं बैठक 28-03-2023 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> </tbody> </table> <p>कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत दो पदों के लिए, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।</p> <p>बोर्ड ने कुल 3 सदस्यों की ऑडिट समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में 1 गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक शामिल है। अन्य 2 सदस्य सरकार द्वारा नामित निदेशक और एक कार्यात्मक निदेशक, बीबीजे हैं।</p> <p>यह पुनर्गठन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएचआई से एक और स्वतंत्र निदेशक का नामांकन प्राप्त नहीं हो जाता।</p>	बैठक संख्या और बैठक की तिथि	निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति	157वीं बोर्ड बैठक 25-06-2022 को	सभी उपस्थित	158वीं बोर्ड बैठक 22-07-2022 को	सभी उपस्थित	159वीं बोर्ड बैठक 30-09-2022 क	सभी उपस्थित	160वीं बोर्ड बैठक 30-12-2022 को	सभी उपस्थित	161वीं बोर्ड बैठक 28-03-2023 को	सभी उपस्थित	64वीं बैठक 25-06-2022 को	सभी उपस्थित	65वीं बैठक 22-07-2022 को	सभी उपस्थित	66वीं बैठक 30-09-2022 को	सभी उपस्थित	67वीं बैठक 28-03-2023 को	सभी उपस्थित
बैठक संख्या और बैठक की तिथि	निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति																					
157वीं बोर्ड बैठक 25-06-2022 को	सभी उपस्थित																					
158वीं बोर्ड बैठक 22-07-2022 को	सभी उपस्थित																					
159वीं बोर्ड बैठक 30-09-2022 क	सभी उपस्थित																					
160वीं बोर्ड बैठक 30-12-2022 को	सभी उपस्थित																					
161वीं बोर्ड बैठक 28-03-2023 को	सभी उपस्थित																					
64वीं बैठक 25-06-2022 को	सभी उपस्थित																					
65वीं बैठक 22-07-2022 को	सभी उपस्थित																					
66वीं बैठक 30-09-2022 को	सभी उपस्थित																					
67वीं बैठक 28-03-2023 को	सभी उपस्थित																					
<p>लेखा परीक्षा समिति</p>	<p>संदर्भ की भूमिका और शर्तें:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश के पैरा 4.2 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत निर्दिष्ट मामलों पर ध्यान देना। ● प्रबंधन, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना ● वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली और जोखिम संबंधी मामलों का आकलन करना 																					




बोर्ड की संरचना, बैठकें और उपस्थिति	निदेशकों का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	
	श्री सुंदर बनर्जी	बैठक आयोजित -02	उपस्थिति- 02
	श्री राजेश कुमार सिंह	बैठक आयोजित -01	उपस्थिति- 01
	कमोडोर रमेश छीलर (सेवानिवृत्त)	बैठक आयोजित -02	उपस्थिति- 02
	श्री मुकेश कुमार	बैठक आयोजित -03	उपस्थिति- 03
	श्री राजीव कुमार सिंह	बैठक आयोजित -05	उपस्थिति- 05
	श्री आदित्य कुमार घोष	बैठक आयोजित -05	उपस्थिति- 05
	श्रीमती सरला देवी	बैठक आयोजित -05	उपस्थिति- 05
संरचना, लेखा परीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति	निदेशकों का नाम	लेखा परीक्षा समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपस्थिति	
	श्री राजीव कुमार सिंह	बैठक आयोजित -01	उपस्थिति- 01
	श्री मुकेश कुमार	बैठक आयोजित -03	उपस्थिति- 03
	श्री आदित्य कुमार घोष	बैठक आयोजित -04	उपस्थिति- 04
	श्रीमती सरला देवी	बैठक आयोजित -04	उपस्थिति- 04
<p>वित्तीय वर्ष 2022-23 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक थी, निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर ली गईं।</p>			
<p>कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत दो पदों के लिए, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।</p> <p>बोर्ड ने कुल 3 सदस्यों की ऑडिट समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में 1 गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक शामिल है। अन्य 2 सदस्य सरकार द्वारा नामित निदेशक और एक कार्यात्मक निदेशक, बीबीजे हैं।</p> <p>यह पुनर्गठन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएचआई से एक और स्वतंत्र निदेशक का नामांकन प्राप्त नहीं हो जाता।</p>			
स्वतंत्र निदेशक	<p>अपने संबंधित क्षेत्र/पेशे में विशेषज्ञता/अनुभव रखने वाले स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सरकारी आदेश द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशक न तो प्रमोटरों से जुड़े हुए हैं और न ही संबंधित हैं और उनका कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है और इसके अलावा कंपनी की कुल वोटिंग शक्ति का दो प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा नहीं रखते हैं।</p> <p>स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।</p> <p>स्वतंत्र निदेशकों की बैठक शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है।</p>		



<p>आचार संहिता</p>	<p>बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित आचार संहिता का मसौदा लागू कर दिया गया है।</p> <p>डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 के खंड 3.4.2 के संदर्भ में, सी एंड एमडी की घोषणा कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक आधार पर कोड के अनुपालन की पुष्टि की है। निदेशकों की रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग के अंतर्गत दिया गया है।</p>																			
<p>आम सभा की बैठकें</p> <p>पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वित्त वर्ष</th> <th>बैठक संख्या और दिनांक</th> <th>समय और स्थान</th> <th>विशेष संकल्प</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-2020</td> <td>34वीं एजीएम, अक्टूबर 17, 2020</td> <td>12:00 बजे (दोपहर) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>2020-2021</td> <td>35वीं एजीएम, 28 सितंबर, 2021</td> <td>15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>2021-2022</td> <td>36वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2022</td> <td>15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	वित्त वर्ष	बैठक संख्या और दिनांक	समय और स्थान	विशेष संकल्प	2019-2020	34वीं एजीएम, अक्टूबर 17, 2020	12:00 बजे (दोपहर) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य	2020-2021	35वीं एजीएम, 28 सितंबर, 2021	15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य	2021-2022	36वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2022	15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य	<p>सभी एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित की गईं।</p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अनुसार 31-03-2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम आयोजित होने की नियत तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए सामान्य विस्तार दिया गया था। इस प्रकार, 34 वां कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को उक्त 34वीं एजीएम आयोजित करने के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन की आवश्यकता के बिना, एजीएम 17-10-2020 को आयोजित की गई थी।</p>		
वित्त वर्ष	बैठक संख्या और दिनांक	समय और स्थान	विशेष संकल्प																	
2019-2020	34वीं एजीएम, अक्टूबर 17, 2020	12:00 बजे (दोपहर) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य																	
2020-2021	35वीं एजीएम, 28 सितंबर, 2021	15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य																	
2021-2022	36वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2022	15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य																	
<p>वार्षिक आम बैठक - 2023</p>	<p>कंपनी के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित अवधि यानी सितंबर, 2023 के भीतर आयोजित होने वाली है।</p>																			



अन्य खुलासे	निदेशक या उनके रिश्तेदार के साथ भौतिक प्रकृति के लेनदेन जिनका कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव हो सकता है	शून्य
	संबंधित पार्टी लेनदेन	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों से जुड़े टिप्पणियों के तहत खुलासा किया गया
	कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन या उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का विवरण	शून्य
	व्हिसल ब्लोअर नीति और पुष्टि है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया	पुष्टि की जाती है कि किसी को भी लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया
	इन दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण	अनुपालन किया। कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत दो पदों के लिए, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।
	केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का विवरण और उनका अनुपालन एवं वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुपालन	अनुपालन हेतु कोई भी निर्देश लंबित नहीं हैं
	खातों से आहरित व्यय की मर्दे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं	शून्य
	व्यय जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।	शून्य
संचार के साधन	<p>एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते, तिमाही परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।</p> <p>पत्राचार के लिए पता: दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 27, राजेंद्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001</p> <p>वेब साइट : www.bbjconst.com</p> <p>ई-मेल : info@bbjconst.com</p> <p>टेलीफोन : 91 33 2248 5841-44 (ईपीबीएक्स)</p> <p>91 33 2210 3961 (फैक्स) फैक्स</p>	
लेखा परीक्षा योग्यता	<p>कंपनी का प्रयास अयोग्य वित्तीय विवरणों के व्यवस्था की ओर बढ़ना है। तत्संबंधी योग्यता की आवश्यकता के समर्थन में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं अन्यथा प्रबंधन उत्तरों के माध्यम से योग्यता के पूरक हैं।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन में टिप्पणियों को लेखा टिप्पणियों में पर्याप्त रूप से समझाया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अनुभाग में वैधानिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन के साथ लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर भी रखा गया है।</p>	
प्रशिक्षण	<p>बोर्ड सदस्यों के प्रशिक्षण की नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और कंपनी द्वारा इसका पालन किया जा रहा है</p>	
कॉर्पोरेट प्रशासन लेखा परीक्षा	<p>कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है</p>	



कॉरपोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में
सदस्यगण,
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001

हमने भारत सरकार, भारी एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग एवं उसके अनुलग्नकों (यहां तत्पश्चात “मार्गनिर्देशों” के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किए गए केंद्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद “कंपनी ” के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन की शर्तों की जांच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए दिशा-निर्देशों में बताए कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीके की पुनरीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचार की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में एवं हमारी जानकारी एवं हमें दी गई स्पष्टीकरणों के मुताबिक, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने विहित दिशानिर्देशों का वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस शर्तों का अनुपालन किया है।

हमें आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भविष्य की जीवनक्षम के बारे में न कोई आश्वासन है, न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यक्षमता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते बी.मुखर्जी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096ई

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 12-07-2023



निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुबंध

1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

[कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत निर्धारित अनुबंध-II]

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीबीजे ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, पहली बार सितंबर, 2012 को आयोजित बोर्ड बैठक में सीएसआर नीति को मंजूरी दी और उसके बाद समय-समय पर किए गए गतिशील परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए बाद में संशोधन किए। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर से संबंधित मामले, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ, पढ़े जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- सीएसआर परियोजना की योजना
- आधारभूत सर्वेक्षण
- कार्यान्वयन की प्रक्रिया
- कार्यान्वयन एजेंसी के लिए फंडिंग, निगरानी और योग्यता मानदंड
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित फंड में योगदान सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ पठित सार्वजनिक उद्यम विभाग के सीएसआर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है :-


क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1.	श्रीमती सरला देवी	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2.	श्री आदित्य कुमार घोष	सरकार द्वारा नामित निदेशक - सदस्य
3.	श्री राजीव कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी) - सदस्य

वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या : वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 2 (दो) सीएसआर समिति की बैठकें आयोजित की गईं

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया: सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थिति नीचे दी गई है:

i. 30-09-2022 को आयोजित 10वीं सीएसआर समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने निम्नानुसार भाग लिया:

क्र. सं.	नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1.	श्रीमती सरला देवी	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री आदित्य कुमार घोष	सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
3.	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) - सदस्य



ii. 28-03-2023 को आयोजित 11वीं सीएसआर समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने निम्नानुसार भाग लिया:

क्र. सं.	नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1.	श्रीमती सरला देवी	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री आदित्य कुमार घोष	सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
3.	श्री राजीव कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी) - सदस्य

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।

- वेबलिंक: <https://bbjconst.com/rti.html>

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

- लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

- लागू नहीं।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
		लागू नहीं	

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

धारा 135(5) के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कर पूर्व लाभ (लाख रुपये)
2020-21	1507
2021-22	494
2022-23	1309
औसत शुद्ध लाभ	1103

7. (क) 135 धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

रु. 22.10 लाख (जो वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के औसत शुद्ध लाभ का 2% है)

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष

कोई भी नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

कोई भी नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7 क + 7ख - 7 ग)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल सीएसआर दायित्व रु.22.10 लाख है।



8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:


वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययि राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि (रुपये में)		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि (रुपये में)		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
15.34 लाख* (वित्त वर्ष 2022-23)	शून्य		पीएम केयर्स फंड	0.48 लाख (वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगे बढ़ाया गया)	18.05.2022
			पीएम केयर्स फंड	14.87 लाख	30.03.2023 (वित्त वर्ष 2022-23)

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			राज्य	जिला					नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
रु. 22.10 लाख (जो वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के औसत शुद्ध लाभ का 2% है) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित है।										

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला		नाम
लागू नहीं							



दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड



- (घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि- शून्य
- (ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो- लागू नहीं
- (च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ)- रु. **15.34 लाख**
- (छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो- शून्य

क्र. सं.	विशिष्ट	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	14.86 लाख (वित्त वर्ष 2022-23)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि *	15.34 लाख (वित्त वर्ष 2022-23)
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0.48 लाख
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6), यदि कोई हो, के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	2020-21	शून्य	29.00 लाख	पीएम केयर निधि	29.00 लाख	23.09.2020	शून्य
2.	2021-22	शून्य	12.15 लाख	शून्य			0.48 लाख
3.	2022-23	शून्य	15.34 लाख	पीएमकेयरनिधि 0.48लाख 18.05.2022 पीएमकेयरनिधि 14.86लाख 30.03.2023			शून्य

- (ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि। (रुपये में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
शून्य								



10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण)- शून्य
- (क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि - शून्य
- (ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि- शून्य
- (ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि-शून्य
- (घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें - शून्य
11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है
- उपरोक्त बिंदु 6 को देखते हुए लागू नहीं है।

हस्ताक्षर:- (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक)	हस्ताक्षर:- (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)
---	--

दिनांक: 30 -09-2023



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

के सदस्यों को

इंड एस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 का तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013, संशोधित ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और 31 मार्च, 2023 समाप्त वर्ष तक कंपनी के मामलों की स्थिति, इसके मुनाफे और कुल व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और इसके नकदी प्रवाह के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण भी देते हैं।

योग्य राय का आधार

- नोट नंबर 7 की मौजूदा संपत्ति में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को दिया गया 207.25 लाख रुपये का ऋण शामिल है, जो एक पूर्व सहायक कंपनी है, जिसकी वसूली संदिग्ध है क्योंकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने अगस्त 2017 में रेलवे में इसके स्थानांतरण के बाद, इसे बंद करने की मंजूरी दे दी थी। कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कहा गया है कि ऋण लागत पर दिया गया है। मार्च, 2023 को बोर्ड के निर्णय के अनुसार 2025 तक तीन समान अनुपात में ऋण माफ करने के लिए खातों में 69.08 लाख रुपये का हानि भत्ता प्रदान किया गया।
- नोट नंबर 7 की वर्तमान परिसंपत्तियों में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक सहायक कंपनी को दिया गया 5932.96 लाख रुपये का ऋण और 33656.29 लाख रुपये का अर्जित ब्याज और 656.03 लाख रुपये का ऋण और 350.26 लाख रुपये का अर्जित ब्याज शामिल है जो कि वेबर्ड इंडिया लिमिटेड को दिया गया। वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डबल्यूआईएल), कंपनी की सहायक कंपनी की सहायक कंपनी है। नोट संख्या-16, उधार में भारत सरकार से रु.6588.99 लाख का ऋण शामिल है और नोट संख्या 20, अन्य वित्तीय देनदारियां, में उक्त भारत सरकार के ऋण पर देय ब्याज रु.34006.55 लाख शामिल है।

उक्त सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, बिपीएमईएल परिसमापन के अधीन है और डबल्यूआईएल फरवरी, 2020 को बंद हो गया है। कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कहा गया है कि अर्जित ब्याज के साथ ऋण और उधार लागत पर लिए गए हैं। वर्ष के वित्तीय विवरण



में ऋणों और अर्जित ब्याज की हानि भत्ते के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है।

- नोट संख्या 7 अन्य वित्तीय संपत्ति, लेनदारों को अग्रिम में विभिन्न पार्टियों को दी गई अग्रिम राशि के रूप में 406.30 लाख रुपये शामिल हैं, जो बहुत पुरानी हैं और अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों के तहत उक्त पार्टियों पर 307.20 लाख रुपये की देनदारी है। कहा गया है कि लेनदारों को दिए गए अन्य पुराने अग्रिमों के साथ-साथ 885.25 लाख रुपये की संबंधित देयता के मुकाबले 571.56 लाख रुपये शामिल हैं। कंपनी ने इसे अच्छा माना और वर्ष के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया।
- नोट संख्या 5 निवेश में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक पूर्व सहायक कंपनी में 486.30 लाख रुपये, जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड में 2558.01 लाख रुपये, दोनों परिसमापन के अधीन हैं; भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी में 0.30 लाख और लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड में 42.20 लाख रु. रुपये शामिल हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, कहा गया है कि निवेश लागत पर किया गया है। वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण में ऐसे निवेशों के मूल्य में हानि का कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है।


हमने अपना लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के तहत वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरण पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का जोर

हम वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

- नोट संख्या 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां-वर्तमान में विभिन्न प्राधिकरणों/पार्टियों को जारी किए गए 26.21 लाख रुपये के अन्य अग्रिम शामिल हैं जो बहुत पुराने हैं। न तो कंपनी उक्त अग्रिमों के संबंध में कोई रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध करा सकी और न ही वर्ष के दौरान उक्त अग्रिमों की वसूली के लिए कोई कदम उठाए गए।
- नोट संख्या 13 अन्य वर्तमान संपत्तियों में सरकार और वैधानिक अधिकारियों के पास अग्रिम के रूप में जमा 21.84 लाख रुपये शामिल हैं जो बहुत पुराने हैं। न तो कंपनी उक्त अग्रिमों के संबंध में कोई रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध करा सकी और न ही वर्ष के दौरान उक्त अग्रिमों की वसूली के लिए कोई कदम उठाए गए।
- नोट संख्या 58, कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, सहायक कंपनी, जो परिसमापन के अधीन है और वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) सहायक कंपनी की सहायक कंपनी, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 07 फरवरी, 2020 के आदेश के अनुसार पुनर्जीवित न होने के कारण बंद कर दी गई, को दिए गए 6588.99 लाख रुपये के ऋण पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है। कंपनी ने पूर्व सहायक कंपनी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को 207.25 लाख रुपये के ऋण पर भी चालू वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है जो रेलवे को स्थानांतरण के बाद बंद कर दी गई।

साथ ही, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त 6588.99 लाख रुपये के ऋण पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, जिसका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।



4. नोट संख्या 54, प्रासंगिक सहायक रिकॉर्ड में दिखाई देने वाले शेष के अनुसार पुस्तकों में शामिल कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि के अधीन हैं और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं होंगी।
5. भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 300 इक्विटी शेयरों में 0.30 लाख रुपये के निवेश के शेयर प्रमाणपत्र हमारे भौतिक सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए, हम इसके भौतिक अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

“अन्य सूचना”

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस पर विचार करना है कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रकट होता है, भौतिक रूप से गलत बताया जाना। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं। गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने का इरादा न रखता हो। या संचालन बंद कर देना चाहिए, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।




वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसएस के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी :

- स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- खुलासे सहित स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।



हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिशतों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) द्वारा अपेक्षित है, लागू सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान हम “अनुलग्नक क” में देते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में, कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, जैसा उचित लगे और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, “अनुलग्नक” ख में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर, अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
 - (ख) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं;
 - (ग) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाते की किताबों के अनुरूप है;
 - (घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जैसा कि संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है;
 - (ङ) 31 मार्च, 2023 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन को निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लेने के आधार पर, कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2023 के आधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
 - (च) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध ‘सी’ में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
 - (छ) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित किया गया है। :
 - i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 31 और नोट 43 देखें।



दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

- ii. कंपनी ने दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध में प्रवेश किया है और लंबी अवधि के अनुबंधों के गैर-निष्पादित हिस्से पर वित्तीय वर्ष के अंत में 57.03 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है (पिछले वर्ष 321.84 लाख रुपये)। कंपनी ने कोई डेरिवेटिव अनुबंध नहीं किया है।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में ऐसी कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

के लिए बी.मुखर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का रजि. नंबर: 302096ई


सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार

सदस्यता संख्या 053195

यूडीआईएन – 23053195BGYXNQ2454

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 12.07.2023



लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक “क”

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण पर, हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुलग्नक “क” ।

ऐसी जाँचों के आधार पर जिन्हें हमने उचित समझा और हमारे ऑडिट के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- I. (ए) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 - (बी) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संयंत्र की संपत्ति और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया था और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं। हमारे ऑडिट के दौरान यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान नई खरीद के मामलों को छोड़कर, प्लांट, संपत्ति और उपकरण के स्थानों का उल्लेख अचल संपत्ति रजिस्टर में नहीं किया गया है।
 - (सी) भवन में रुपये 131.46 लाख की स्थायी संरचनाएं शामिल हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (पहले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) से लाइसेंस/किराया समझौते के तहत प्राप्त सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता में भूमि पर 131.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष 131.46 लाख रुपये)। कंपनी किराये के भुगतान में नियमित है लेकिन हमारे सत्यापन के लिए विलेख/समझौते की प्रति हमें प्रस्तुत नहीं की गई है।
 - (डी) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।
 - (ई) रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।
- II (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन ने नियमित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है और ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।
 - (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंक से वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों में दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न और विवरण खातों की किताबों के अनुरूप हैं ।
- III. वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी कंपनी या किसी सहायक कंपनी को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण या अग्रिम या स्थायी गारंटी नहीं दी है, जो वर्तमान में परिसमापन के अधीन हैं। इसलिए, आदेश के खंड 3(iii) (ए) से (एफ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- IV. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी नहीं दी है और कोई सुरक्षा नहीं दी है, जिस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं। अतः आदेश की धारा 3(iv) लागू नहीं होती।
- V. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार , कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम 2013 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) के तहत कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है। नियम 2014 एवं तदनुसार आदेश का पैरा 3(v) लागू नहीं होता है।
- VI. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए निर्धारित नहीं किया है।




VII. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच की गई पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर से संबंधित अविवादित वैधानिक बकाया उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है। संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, उपकर और उस पर लागू अन्य वैधानिक बकाया राशि को, कुछ मामलों में देरी को छोड़कर, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है।

उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च 2023 तक छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी। जिस तारीख से वे देय हो गए हैं, नीचे बताए अनुसार को छोड़कर:

क्र.सं	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	वह अवधि जिससे यह संबंधित है (वित्तीय वर्ष)
1	वृत्ति कर	0.66	पुराना बकाया
2	स्रोत पर एकत्रित कर	0.16	पुराना बकाया
3	सेवा कर देय (बीबीयूएनएल)	1.94	पुराना बकाया
4	स्रोत पर कर कटौती	1.45	पुराना बकाया
5	बिक्री कर	1.54	पुराना बकाया
6	आयकर	1.16	2005-06
7	आयकर	4.57	2006-07
8	आयकर	2.35	2008-09
9	आयकर	0.08	2012-13

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई पुस्तकों और रिकॉर्ड के आधार पर, जैसा लागू हो, नीचे आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, भविष्य निधि के बकाया का विवरण दिया गया है, जो विवादों के कारण जमा नहीं किए गए हैं और जिस मंच पर विवाद लंबित है:

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	जिसकी अवधि (वित्त वर्ष) से संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित/खारिज है	मात्रा (लाख रुपये में)
1	डब्ल्यूबी मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य अनुबंध कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर	4.30
2	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	कार्य अनुबंध कर	2010-11	संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर	33.25
3	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	कार्य अनुबंध कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर	30.98
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर मांग, धारा 75 के तहत उस पर ब्याज (राशि योग्य नहीं) और जुर्माना लगाया गया	2007-08 से 2011-12	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण	154.45




क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	जिसकी अवधि (वित्त वर्ष) से संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित/खारिज है	मात्रा (लाख रुपये में)
5	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952	हर्जाना/ब्याज देय	03/2000 से 04/2008 तक	भविष्य निधि आयुक्त, आरओ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल ने मांग उठाई है। कंपनी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली और माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष अपील दायर की है। मांग राशि रु. 96.10 लाख और बीबीयूएनएल भविष्य निधि ट्रस्ट संगठन के पास फंड रु. 41.96 लाख	54.14
6	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	कार्य अनुबंध कर	2004-05	वाणिज्यिक कर विभाग	19.36
7	बिहार जीएसटी	ट्रान 1 ब्याज	2017-18	अपीलीय न्यायाधिकरण	12.55
8	डब्ल्यूबी मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य अनुबंध कर	2016-17	अपीलीय प्राधिकरण	0.21
9	झारखण्ड जी.एस.टी	अतिरिक्त आईटीसी का दावा किया गया	01/07/2017 से 30/11/2018 तक	उपायुक्त (चाईबासा क्षेत्राधिकार)	11.55
10	आयकर	आयकर मांग	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)	10.65
11	आयकर	आयकर मांग	2010-11	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	0.96
12	आयकर	आयकर मांग	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)	69.95
13	आयकर	आयकर मांग	2012-13	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	285.31
14	आयकर	आयकर मांग	2013-14	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	66.80
15	आयकर	आयकर मांग	1999-2000	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	58.67



क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	जिसकी अवधि (वित्त वर्ष) से संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित/खारिज है	मात्रा (लाख रुपये में)
16	आयकर	आयकर मांग	2014-15	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	4.94
17	आयकर	आयकर मांग	2015-16	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	1.16
18	आयकर	आयकर मांग (जुर्माना)	2017-18	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	6.23

- VIII. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों में कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।
- IX. (ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (सी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, खंड 3 (ix)(c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (डी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (ई) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चलता है कि कंपनी ने सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों के तरफ अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
- (एफ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं उठाया है।
- X. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(ix) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- XI. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे ऑडिट के दौरान कंपनी पर या उसके द्वारा कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कोई भी रिपोर्ट कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, २०१४ के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथदायर नहीं की गई है।
- (सी) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- XII. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।



- XIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर कंपनी में संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण आदि में प्रकट किया गया है।
- XIV.(ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
(बी) हमने ऑडिट के तहत अवधि के लिए आज तक जारी आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।
- XV. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xv) लागू नहीं होता है।
- XVI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, रिपोर्टिंग में खंड (xvi) (ए), (बी), (सी) और (डी) के तहत आदेश लागू नहीं है।
- XVII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- XVIII. वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है।
- XIX. वित्तीय अनुपात, उग्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, धारणाओं के अनुसार, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे देय होती हैं। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा, जब भी उनका बकाया हो।
- XX (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी अधिनियम 2013, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में, चल रही परियोजना के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के लिए कोई भी अव्ययित राशि नहीं है, जिसे अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xx)(ए) लागू नहीं होता है।
(बी) चूंकि कंपनी के पास कोई चालू सीएसआर परियोजना नहीं है, तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 उपधारा (6) के अनुपालन में, विशेष खाते में अव्ययित राशि के हस्तांतरण के संबंध में आदेश का खंड 3 (xx) (बी) लागू नहीं है।
- XXI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण सहित कारो 2020 में संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

के लिए बी.मुखर्जी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का रजि. नंबर: 302096ई

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय

साझेदार

सदस्यता संख्या 053195

यूडीआईएन – 23053195BGYXNQ2454

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 12.07.2023



लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन सामान्य दिशानिर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर ऑडिटर का जवाब	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
(I) लेखांकन सॉफ्टवेयर क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खतों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंपनी टैली ईआरपी 9 नामक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है और स्टॉक को छोड़कर सभी अकाउंटिंग लेनदेन को इसके माध्यम से संसाधित करती है, जिसका हिसाब मैनुअल रूप से किया जाता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी लेखांकन लेनदेन उपरोक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर के बाहर संसाधित नहीं किया जाता है, जो वर्तमान में कंपनी द्वारा उपयोग में है।	लागू नहीं।
(II) ऋण पुनर्गठन क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋणों का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋणों/ऋणों पर ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	भारत सरकार, जो कंपनी की प्रवर्तक है, से ऋण के अलावा कंपनी पर कोई उधार नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।	शून्य
(III) सरकारी निधि/अनुदान का व्यवहार क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई।	शून्य

के लिए बी.मुखर्जी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का रजि. नंबर: 302096ई

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय


साझेदार

सदस्यता संख्या 053195

यूडीआईएन – 23053195BGYXNQ2454

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 12.07.2023



लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - "ग"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च, 2023 तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन "वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया" द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने जहां तक संभव हो सके, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(10) के तहत माना जाने वाला और निर्धारित आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों, द इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं।

उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि : क्या इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक दृष्टि में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में इन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर मूल्यांकन किए गए जोखिमों आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और आंतरिक नियंत्रण आधारों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया ऑडिट के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं :

- (1) जो उन रिकॉर्ड्स के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- (2) जो उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।



इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

के लिए बी.मुखर्जी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का रजि. नंबर: 302096ई

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय


साझेदार

सदस्यता संख्या 053195

यूडीआईएन – 23053195BGYXNQ2454

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 12.07.2023




लेखा परीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन का जवाब

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
	योग्य राय	
1	वर्तमान परिसंपत्तियों के संबंध में नोट संख्या 7 में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को दिया गया 207.25 लाख रुपये का ऋण शामिल है, जो एक पूर्व सहायक कंपनी है, जिसकी वसूली संदिग्ध है क्योंकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने रेलवे को इसके स्थानांतरण के बाद, अगस्त, 2017 में इसे बंद करने की मंजूरी दे दी थी। कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कहा गया है कि ऋण लागत पर दिया गया है। मार्च, 2023 को बोर्ड के निर्णय के अनुसार 2025 तक तीन समान अनुपात में ऋण माफ करने के लिए खातों में 69.08 लाख रुपये का हानि भत्ता प्रदान किया गया।	<p>भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) था और पूर्ववर्ती भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी थी। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) का प्रशासनिक नियंत्रण अगस्त 2008 से भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय से रेल मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। अगस्त 2017 में, नीति आयोग की सिफारिश पर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने घाटे में चल रही बीडब्ल्यूईएल को बंद करने की घोषणा की और अंततः जून, 2022 में इसे बंद कर दिया गया।</p> <p>बीबीजे की वर्तमान संपत्ति में बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) द्वारा बीडब्ल्यूईएल को प्रदान किया गया 207.25 लाख रुपये का ऋण शामिल है। उक्त राशि में से, भारत सरकार (जिओआई) ने 1989 से 1995 की अवधि के दौरान बीबीयूएनएल के माध्यम से बीडब्ल्यूईएल को 167.39 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया, 2008-09 से 2014-15 के दौरान बीबीयूएनएल द्वारा बीडब्ल्यूईएल को सीधे 39.86 लाख रुपये प्रदान किए गए, बीबीयूएनएल ने नवंबर 2000 में भारत सरकार को 167.39 लाख रुपये का ऋण चुकाया। लेकिन बीडब्ल्यूईएल ने न तो बीबीयूएनएल के माध्यम से प्राप्त भारत सरकार का ऋण चुकाया और न ही बीबीयूएनएल से सीधे प्राप्त ऋण को चुकाया। चूंकि 2008 में एमएचआई से एमओआर में स्थानांतरित होने पर बीडब्ल्यूईएल को जून, 2022 में बंद कर दिया गया था, इसलिए उक्त ऋण 'वसूली योग्य नहीं' हो गया और सी एंड एजी की सिफारिश के आधार पर बीबीजे से 207.25 लाख रुपये के उक्त ऋण को 69.08 लाख रुपये के नुकसान भत्ते के साथ माफ कर दिया गया। मार्च, 2023 को बोर्ड के निर्णय के अनुसार चालू वर्ष के खातों में 2025 तक तीन समान अनुपात में संपूर्ण ऋण माफ करने के लिए 69.08 लाख रुपये प्रदान किए गए।</p>




क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
2	नोट नंबर 7 की वर्तमान परिसंपत्तियों में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक सहायक कंपनी को दिया गया 5932.96 लाख रुपये का ऋण और 33656.29 लाख रुपये का अर्जित ब्याज और 656.03 लाख रुपये का ऋण और 350.26 लाख रुपये का अर्जित ब्याज शामिल है। वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यू आई एल), कंपनी की सहायक कंपनी की सहायक कंपनी है। नोट संख्या-16, उधार में भारत सरकार से 6588.99 लाख रुपये का ऋण शामिल है। नोट संख्या 20, अन्य वित्तीय देनदारियां, में उक्त भारत सरकार के ऋणों पर देय ब्याज 34006.55 लाख रुपये शामिल हैं। उक्त सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है और डब्ल्यू आई एल फरवरी, 2020 को बंद हो गया है, कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कहा गया है कि अर्जित ब्याज के साथ ऋण और उधार लागत पर लिए गए हैं। वर्ष के वित्तीय विवरण में ऋणों और अर्जित ब्याज की हानि भत्ते के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है।	योजना और गैर-योजना उद्देश्यों के लिए बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को भारत सरकार के ऋण संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरण के लिए बीबीयूएनएल (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से दिए जाते थे। सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की वसूली न होने की किसी भी स्थिति में, इसे भारत सरकार के उचित निर्देशों के साथ भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की संबंधित राशि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। लागत पर सहायक कंपनियों को ऐसे ऋण देने के संबंध में पैरा.17 में कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर आधारित है और वर्षों से इसका लगातार पालन किया जा रहा है।
3	नोट संख्या 7 अन्य वित्तीय संपत्ति, लेनदारों को अग्रिम में विभिन्न पार्टियों को दी गई अग्रिम राशि के रूप में 406.30 लाख रुपये शामिल हैं, जो बहुत पुरानी हैं और अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों के तहत उक्त पार्टियों पर 307.20 लाख रुपये की देनदारी है। कहा गया है कि लेनदारों को दिए गए अन्य पुराने अग्रिमों के साथ-साथ 885.25 लाख रुपये की संबंधित देयता के मुकाबले 571.56 लाख रुपये शामिल हैं। कंपनी ने इसे अच्छा माना और वर्ष के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया।	परियोजनाओं के कार्यों को निष्पादित करने के लिए विभिन्न पक्षों को ऐसी अग्रिम राशि दी गई थी और उनके बिल आज तक समायोजित नहीं किए गए हैं। ऐसे मामलों में जहां ठेकेदारों के विरुद्ध क्रेडिट शेष असमायोजित पड़ा है, उसे तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए और बाकी के लिए, उनकी वसूली के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। वसूली न होने या किसी लंबित समायोजन के मामले में, मामले-दर-मामले के आधार पर उचित प्रावधान किया जाना चाहिए।
4	नोट संख्या 5 निवेश में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) में 486.30 लाख रुपये, एक पूर्व सहायक कंपनी, जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड में 2558.01 लाख रुपये, दोनों परिसमापन के तहत हैं, भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम कंपनी में 0.30 लाख रुपये और लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड में 42.20 लाख रु. शामिल हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, कहा गया है कि निवेश लागत पर किया गया है। वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण में ऐसे निवेशों के मूल्य में हानि का कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है।	सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पैरा.17 के अनुसार लागत पर किया जाता है। पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) ने निर्दिष्ट सहायक कंपनी में संबंधित निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा जारी इक्विटी फंड से ऐसी सहायक कंपनियों में निवेश किया था। सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, ऐसे निवेशों के वसूली योग्य मूल्य में किसी भी अंतर के मामले में, भारत सरकार के उचित निर्देशों के साथ, कंपनी संबंधित वर्ष में अपने खातों की पुस्तकों में आवश्यक समायोजन करेगी।



क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
	विषय का महत्व	
1	नोट संख्या 7 अन्य वित्तीय संपत्ति-वर्तमान में विभिन्न प्राधिकरणों/पार्टियों को जारी किए गए 26.21 लाख रुपये के अन्य अग्रिम शामिल हैं जो बहुत पुराने हैं। न तो कंपनी उक्त अग्रिमों के संबंध में कोई रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध करा सकी और न ही वर्ष के दौरान उक्त अग्रिमों की वसूली के लिए कोई कदम उठाए गए।	ऐसे अग्रिमों की एक सूची वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 49 में दी गई है। कंपनी ऐसे सभी अग्रिमों की गहन जांच करेगी और जहां भी आवश्यक हो, इसकी वसूली/समायोजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।
2	नोट संख्या 13 अन्य वर्तमान संपत्तियों में सरकार और वैधानिक प्राधिकारियों के पास अग्रिम के रूप में जमा 21.84 लाख रुपये शामिल हैं जो बहुत पुराने हैं। न तो कंपनी उक्त अग्रिमों के संबंध में कोई रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध करा सकी और न ही वर्ष के दौरान उक्त अग्रिमों की वसूली के लिए कोई कदम उठाए गए।	ऐसी जमाओं की एक सूची वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 50 में दी गई है। कंपनी ऐसी सभी जमाओं की गहन जांच करेगी और जहां भी आवश्यक हो, उनकी वसूली/समायोजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।
3	नोट संख्या, 58 कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) की एक सहायक कंपनी, जो परिसमापन के अधीन है और वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) दूसरी परत की सहायक कंपनी ('सहायक कंपनियां'), (जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07 फरवरी, 2020 के अनुसार गैर-वसूली के कारण बंद कर दी गई), को दिए गए 6588.99 लाख रुपये के ऋण पर और पूर्ववर्ती सहायक कंपनी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को 207.25 लाख रुपये के ऋण पर (जो रेलवे में स्थानांतरण के बाद बंद कर दी गई), चालू वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है। साथ ही, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त 6588.99 लाख रुपये के ऋण पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, जिसका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।	बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को योजना और गैर-योजना उद्देश्य के लिए भारत सरकार के ऋण संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरण के लिए बीबीयूएनएल (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से भेजे जाते थे। सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की वसूली न होने की किसी भी स्थिति में, इसे भारत सरकार को उनके उचित निर्देशों के साथ देय ऋण और ब्याज की राशि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। चूंकि सहायक कंपनियाँ परिसमापन/बंद होने के अधीन हैं, ऐसे ऋण और अग्रिमों पर ब्याज को पुस्तकों में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
4	नोट संख्या 54 प्रासंगिक सहायक अभिलेखों में दिखाई देने वाले शेष के अनुसार पुस्तकों में शामिल कुछ व्यापार प्राप्त, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन के अधीन हैं, यदि कोई भी। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं होंगी।	कुछ पार्टियों से पुष्टि प्राप्त हो चुकी है और लेखा परीक्षकों को दिखाई जा चुकी है। हालाँकि, लेखा परीक्षकों की उक्त टिप्पणी को आगे के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।



क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
5	भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड के 300 इक्विटी शेयरों में 0.30 लाख रुपये के निवेश के शेयर प्रमाणपत्र हमारे भौतिक सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए, हम इसके भौतिक अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं	भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड में, जो वर्तमान में बीबीजे की एक निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका आधार दूसरे हुगली ब्रिज के निर्माण के बाद खो गया था, जिसके लिए इसे शामिल किया गया था, बीबीजे ने 0.60 लाख रुपये की जारी पूंजी में से 0.30 लाख रुपये का निवेश किया था। बीबीसीसीएल के भौतिक शेयर प्रमाणपत्र कंपनी के पास नहीं हैं, हालांकि जेवी पार्टनर या अन्य से इसकी उपलब्धता के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।



31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा उनके द्वारा 12 जुलाई 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक ऑडिट किया है। यह अनुपूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने अनुपूरक ऑडिट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं :

1. तुलन पत्र

भंडार (नोट 9)

कार्य प्रगति पर :

रु 3738.62 लाख

लाभ एवं हानि का विवरण

वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ:

1309.43 लाख रु

प्रगतिरत कार्य में दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के खरसिया और गुरदा, छत्तीसगढ़ के बीच प्रमुख पुलों के लिए स्टील गर्डर्स की आपूर्ति, रचना, निर्माण और लॉन्चिंग के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) से प्राप्त कार्य के लिए 360.74 लाख रुपये की राशि शामिल है। परियोजना 30 अप्रैल 2019 को पूरी हो गई और कंपनी ने दिसंबर 2020 में इरकॉन को अपनी बिलिंग पूरी कर ली। कंपनी के पास मूल्य भिन्नता के लिए ग्राहक के साथ केवल 233.38 लाख रुपये का शेष दावा था और इस काम से संबंधित 22.21 लाख रुपये की देनदारी थी। इसलिए, शेष कार्य प्रगति पर रु. 105.15 (रु. 360.74 लाख – रु. 233.38 लाख – रु. 22.21 लाख) को लाभ और हानि खाते से वसूला जाना चाहिए था।

उपरोक्त अतिरिक्त कार्य-प्रगति का शुल्क न लेने के परिणामस्वरूप कार्य-प्रगति के साथ-साथ कर पूर्व लाभ प्रत्येक को 105.15 लाख रुपये से अधिक बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
तथा उनके तरफ से

(अतुल प्रकाश)

प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (खनन)


कोलकाता

स्थान: कोलकाता


दिनांक: 12 सितंबर 2023



क्रम संख्या	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	योग्य राय	
1	<p>प्रगतिरत कार्य में दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के खरसिया और गुरदा, छत्तीसगढ़ के बीच प्रमुख पुलों के लिए स्टील गर्डर्स की आपूर्ति, रचना, निर्माण और लॉन्चिंग के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) से प्राप्त कार्य के लिए 360.74 लाख रुपये की राशि शामिल है। परियोजना 30 अप्रैल 2019 को पूरी हो गई और कंपनी ने दिसंबर 2020 में इरकॉन को अपनी बिलिंग पूरी कर ली। कंपनी के पास मूल्य भिन्नता के लिए ग्राहक के साथ केवल 233.38 लाख रुपये का शेष दावा था और इस काम से संबंधित 22.21 लाख रुपये की देनदारी थी। इसलिए, शेष कार्य प्रगति पर रु. 105.15 (रु. 360.74 लाख – रु. 233.38 लाख – रु. 22.21 लाख) को लाभ और हानि खाते से वसूला जाना चाहिए था।</p> <p>उपरोक्त अतिरिक्त कार्य-प्रगति का शुल्क न लेने के परिणामस्वरूप कार्य-प्रगति के साथ-साथ कर पूर्व लाभ प्रत्येक को 105.15 लाख रुपये से अधिक बताया गया है।</p>	<p>खरसिया और गुरदा के लिए, इरकॉन द्वारा 20.09.2019 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया और बीबीजे तब से अंतिम बिल, पीवीसी बिल के निपटान और अन्य वसूलियों को जारी करने के लिए अनुवर्तन कर रहा है। आज तक, पीवीसी दावा 233.38 लाख रुपये, अन्य वसूली 32.90 लाख रुपये और आरडीएसओ निरीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति 17.75 लाख रुपये इरकॉन से बकाया है। डिफॉल्टर ठेकेदारों पर 22.21 लाख रुपये का बकाया है, जिन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया था। तो, “शुद्ध” रूप से इरकॉन से अंतिम निपटान पर 54.50 लाख रुपये की कमी हो सकती है।</p> <p>इस अनुमानित कमी के उत्पन्न होने का स्पष्ट कारण यह है कि पहले बीबीजे का “संशोधित जीएसटी प्रभाव” का दावा 194.33 लाख रुपये था, जिसे गहन विश्लेषण, तर्क और चर्चा के बाद इरकॉन केवल 60.01 लाख रुपये पर सहमत हुआ।</p> <p>यह उल्लेख करने के लिए कि 2019 में डिफॉल्ट ठेकेदारों में से एक से 48.54 लाख रुपये की एक बैंक गारंटी भी भुनाई गई थी, जिसे अन्य आय के रूप में मानते हुए परियोजना खाते में समायोजित नहीं किया गया था।</p> <p>हालाँकि, बीबीजे 2023-24 में खरसिया-गुरदा के संपूर्ण खातों की गहन समीक्षा करेगा और इरकॉन से अंतिम रिलीज पर परियोजनाओं में कोई भी कमी उत्पन्न होने पर उसे खातों में उचित रूप से समायोजित किया जाएगा।</p>




लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण



तुलन-पत्र

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	टिप्पणी	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण	2	667.67	449.87
पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन	4	-	29.43
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	15.85	4.64
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
निवेश	5	3,170.30	3,166.07
व्यापार प्राप्य	6	-	-
अन्य	7	6,296.46	5,535.73
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ, शुद्ध	8	621.85	647.15
		10,772.13	9,832.89
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
मालसूची	9	4,669.71	4,963.48
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्य	6	2,776.63	2,345.59
नकद और नकदी के समतुल्य	10	3,107.15	3,218.58
अन्य बैंक बैलेंस	11	8,244.11	5,112.28
अन्य	7	44,345.42	45,521.36
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	12	593.05	325.05
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	13	1,433.57	1,689.78
		65,169.64	63,176.13
		75,941.78	73,009.02
कुल परिसंपत्तियाँ			
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूँजी	14	12,086.05	12,086.05
अन्य इक्विटी	15	9,758.66	8,967.43
कुल इक्विटी		21,844.71	21,053.48
गैर वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	16	241.15	262.06
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	121.49	163.05
व्यापार देयताएँ	19		



	टिप्पणी	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		700.57	702.61
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)		-	-
प्रावधान	17	466.85	507.05
अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	18	3,478.81	2,985.54
		5,008.87	4,620.32
वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	16	6,589.00	6,589.00
पट्टा देयताएँ	19		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		6,083.68	4,387.69
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)		-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	34,363.69	34,559.22
अन्य वर्तमान देयताएँ	18	2,028.62	1,732.59
वर्तमान कर देयताएँ	21	-	-
प्रावधान	17	23.20	66.72
		49,088.20	47,335.22
		54,097.06	51,955.54
कुल इक्विटी और देयताएँ		75,941.78	73,009.02

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.मुखर्जी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: यू 70100 डब्ल्यूबी1986 जीओआई041286

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय

साझेदार

सदस्यता संख्या 053195

कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डी आई एन : 09832486

राजीव कुमार सिंह

निदेशक(तकनीकी)

डी आई एन : 09614219

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 12.07.2023

यूडीआईएन – 23053195BGYXNQ2454

एसके घोष

उप महाप्रबंधक (वित्त)

पीएन : AMTPG9199H

एनके मिश्रा

कंपनी सचिव

पीएन : AIQPM3388P



लाभ और हानि का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	टिप्पणी	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2022 के लिए
संचालन से राजस्व	22	30,178.97	13,701.36
अन्य आय	23	643.90	482.74
कुल आय		30,822.87	14,184.10
व्यय :			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	8,091.78	6,437.64
मालसूची में बदलाव और प्रगतिधीन कार्य	25	500.63	(789.10)
उपठेका और अन्य रूपांतरण शुल्क	25A	15,605.90	4,105.84
कर्मचारी हित खर्च	26	2,805.60	2,249.64
वित्त लागत	27	90.63	18.28
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	122.14	97.51
अन्य खर्चे	29	2,296.76	1,570.16
कुल खर्च		29,513.44	13,689.97
कर देने से पूर्व लाभ		1,309.43	494.13
कर व्यय			
वर्तमान कर	30	398.27	159.42
आस्थगित कर	30	25.30	19.29
कुल कर व्यय		423.57	178.71
वर्ष के लिए लाभ		885.85	315.42
अन्य व्यापक आय			
वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
आयकर प्रभाव	30	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर के निवल		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		885.85	315.42
प्रति इक्विटी शेयर आय (1,000 भा.रु. का सांकेतिक मूल्य) भा.रु. में	37		
मूल		73.30	26.10
तनुकृत		73.30	26.10

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.मुखर्जी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195

कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 09832486

राजीव कुमार सिंह
निदेशक(तकनीकी)
डी आई एन : 09614219

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 12.07.2023


डीआईएन – 23053195BGYXNQ2454

एसके घोष

उप महाप्रबंधक (वित्त)
पीएन : AMTPG9199H

एनके मिश्रा
कंपनी सचिव

पीएन : AIQPM3388P



नकद प्रवाह का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
I. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर देने से पूर्व लाभ	1,309.43	494.13
शुद्ध नकद प्रवाह से करपूर्व लाभ के मिलान के लिए समायोजन:		
मूर्त संपत्ति का मूल्यहास	117.57	92.79
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	4.57	4.71
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण की विक्री पर लाभ (शुद्ध)	(51.96)	-
बैंक और सुरक्षा जमा पर ब्याज आय	(541.06)	(463.50)
वित्त लागत	90.63	18.28
सरकारी अनुदान से विभाजित आय	-	-
ब्याज आय	(4.23)	(4.02)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	924.95	142.40
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्य	(431.04)	(1,043.87)
मालसूची	293.77	(569.45)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान	1,175.94	(40.41)
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	256.21	(221.79)
परिचालन देनदारियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार देनदारियाँ	1,693.95	1,367.35
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	(237.09)	(40.97)
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	296.03	(619.65)
प्रावधान	(83.72)	14.52
संचालन से उत्पन्न नकदी	3,889.01	(1,011.87)
आयकर का भुगतान	(666.27)	(219.20)
प्रचालन क्रियाकलाप से/(में) उत्पन्न शुद्ध नकदी	3,222.74	(1,231.08)
II. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
जायदाद, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की खरीद	(352.26)	(104.28)
जायदाद, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) का निपटान	82.50	-
बैंकों में 3 महीने से ज्यादा की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा का (निवेश) / विमोचन	(3,131.83)	412.76
प्राप्त ब्याज	541.06	463.50
तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाले बैंक में जमाराशियां	(760.73)	(401.71)
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	(3,621.26)	370.27
III. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लम्बी अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	472.35	(81.18)
अल्प अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	-	-
ब्याज का भुगतान किया	(90.63)	(18.28)
अंतिम लाभांश	(94.63)	(50.00)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध नकदी	287.10	(149.46)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध नकदी	(111.43)	(1,010.25)



	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (I+II+III)	3,218.58	4,228.83
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (नीचे टिप्पणी देखें)	3,107.15	3,218.58
टिप्पणी:		
नकद और नकद समकक्ष में शामिल हैं:		
हाथ में नकद	3.80	4.51
बैंकों में नकद:		
- चालू खातों में	1,065.79	271.64
- तीन महीने से कम मूल परिपक्वता वाली रकम जमा खाते में	2,037.56	2,942.43
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
	3,107.15	3,218.58

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.मुखर्जी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986जीओआई041286

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195


कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 09832486

राजीव कुमार सिंह
निदेशक(तकनीकी)
डी आई एन : 09614219

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 12-07-2023
युडीआईएन – 23053195BGYXNQ2454

एसके घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)
पीएन - AMTPG9199H

एनके मिश्रा
एनके मिश्रा
पीएन - AIQPM3388P



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
(शेयर डेटा को छोड़कर और जहां अन्यथा कहा गया हो, सभी राशि भारतीय रुपये में लाख)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2021 को शेष	1,208,605	12,086.05
31 मार्च, 2022 को शेष	1,208,605	12,086.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किया गया	-	-
31 मार्च 2023 को शेष	1,208,605	12,086.05

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि का आबंटन लंबित	पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा	प्रारक्षित एवं अधिशेष				कुल
			प्रारक्षित पूंजी	सामान्य प्रारक्षित	प्रतिधारित आय	ऋणपत्र रिडेम्पशन रिजर्व	
31 मार्च 2021 को							
वर्ष का लाभ	-	-	0.06	1,473.65	6,924.64	303.66	8,702.01
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	315.42	-	315.42
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	187.50	(187.50)	-
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	(50.00)	-	(50.00)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ/ (हानि)	-	-	-	-	-	-	-
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को			0.06	1,473.65	7,377.57	116.16	8,967.43
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	885.85	-	885.85
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	(94.63)	-	(94.63)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	12.50	(12.50)	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/ (हानि), कर का निवल	-	-	-	-	-	-	-
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को शेष राशि			0.06	1,473.65	8,181.29	103.66	9,758.66

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.मुखर्जी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195

कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 09832486

राजीव कुमार सिंह
निदेशक(तकनीकी)
डी आई एन : 09614219

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 22-07-2023

युडीआईएन – 23053195BGYXNQ2454

एसके घोष

उप महाप्रबंधक (वित्त)

पीएन : AMTPG9199H

एनके मिश्रा

कंपनी सचिव

पीएन : AIQPM3388P



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

1. कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. कंपनी ओवरव्यू :

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) भारत में अवस्थित एवं शेयरों (सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986 जीओआई 041286) द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी की पंजीकृत कार्यालय का पता 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता-700001 है। कंपनी फैब्रिकेशन समेत मुख्य रूप से निर्माण के व्यापार में युक्त है।

ख. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार :

1. अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रयोज्य प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित एवं प्रयोज्य के विस्तार तक), कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम 2015 व तदन्तर उनमें संशोधन के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (भार ले मा) के अनुपालन तथा लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं।

2. माप का आधार

ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित मदों को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत परंपरा और प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएँ उचित मूल्य पर मापे गये हैं।
- कर्मचारी परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयताओं) को योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के शुद्ध योग के रूप में मान्यता दी जाती है, बीमांकिक हानि को जोड़ कर, बीमांकिक लाभ और परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को घटा कर;

3. वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

तुलन-पत्र और लाभ व हानि का विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किये जाते हैं। नकद प्रवाह का विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के “नकद प्रवाह का विवरण” की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित अनुसार, तुलन-पत्र और लाभ और हानि के विवरण में वस्तुओं के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

4. कार्यमूलक मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यमूलक मुद्रा है। किसी इकाई की कार्यमूलक मुद्रा प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है।

भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, अन्यथा बताए गए को छोड़कर।


5 प्रचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसंपत्तियां :

एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो :

- क) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसकी प्राप्ति की उम्मीद है, या बिक्री या उपभोग के लिए इरादा है;
- ख) इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्देश्य से रखा जाता है ;
- ग) रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीने के अंदर उगाही का आशा की जाती है ; या



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

घ) यह नकद या नकद समतुल्य है, जब तक कि इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए किसी दायित्व का निपटान करने के लिए आदान-प्रदान या उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया जाए।

देयताएँ :

एक देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो :

क) इसका कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में निपटान होने की उम्मीद है;

ख) इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्देश्य से रखा जाता है ;

ग) इसका निपटान रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीने के भीतर किया जाना है; या

घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देनदारी की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे के माध्यम से इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

चालू परिसंपत्तियों / देयताओं में क्रम से अप्रचलित परिसंपत्तियों/ देयताओं के चालू अंश शामिल हैं। अन्य सभी परिसंपत्तियों / देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय तथा अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और संपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। वित्तीय विवरण की तारीख और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संचालन के परिणाम और वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की कोई भी अवधि प्रभावित होगी। लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेखांकन नीतियों और/या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार है:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान – जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पहचाना जा सकता है वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके तहत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों के हानि हेतु सूचकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट हो सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि – प्रत्येक तुलन-पत्र में, अपेक्षित जीवन में देखी गई ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन करता है।

प्रावधान – प्रत्येक तुलन - पत्र की तारीख पर प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और कानूनी पहलुओं में परिवर्तन, कंपनी बकाया आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। हालाँकि, वास्तविक भावी परिणाम अनुमान से भिन्न हो सकते हैं।

मूल्यहास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन - प्रबंधन परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यहास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ का प्रबंधन का अनुमान कई अंतर्निहित धारणाओं जैसे मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है। इन धारणाओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं।

उचित मूल्य मापन – प्रबंधन वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार बोलियां उपलब्ध नहीं हैं) के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है, इसमें ऐसे अनुमान और धारणाएं विकसित करना शामिल है जो बाजार सहभागियों द्वारा उपकरण की कीमत तय करने के अनुरूप हों।

7. उचित मूल्यों का मापन

कतिपय कंपनी की लेखांकन नीतियों तथा प्रकटीकरण में उचित मूल्यों का मापन, वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं दोनों हेतु आवश्यक है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर उचित मूल्यों को उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

- स्तर 1 : समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)
- स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमत के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों या देयताओं, के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) ध्यान देने योग्य हैं।
- स्तर 3 : परिसंपत्ति या देयता हेतु इनपुट जो ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न ध्यान देने योग्य इनपुट)

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापते समय, कंपनी जहां तक संभव हो अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य माप को उचित मूल्य पदानुक्रम के समान स्तर में निम्नतम स्तर के इनपुट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानांतरण को मान्यता देती है, जिसके दौरान परिवर्तन हुआ है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ


राजस्व मान्यता

क) निर्माण क्रियाकलापों से राजस्व निम्नानुसार प्रतिचिह्नित किये जाते हैं :

ईन्डिएएस 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व” के अनुसार, निर्माण और सेवा गतिविधियों से राजस्व की पहचान “समय के साथ” पद्धति पर आधारित होती है और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। जब व्यक्तिगत अनुबंधों के नतीजे का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, तो रिपोर्टिंग तिथि पर पूरा होने के चरण के संदर्भ में अनुबंध राजस्व और अनुबंध लागत को क्रमशः राजस्व और व्यय के रूप में पहचाना जाता है। लागतों को खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है और राजस्व को अनुबंध की अनुमानित कुल लागत के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर कुल लागत के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

किसी अनुबंध का अनुमानित परिणाम तब विश्वसनीय माना जाता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

- i. राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- ii. यह संभावना है कि अनुबंध से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;
- iii. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध के पूरा होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; और
- iv. अनुबंध के संबंध में होने वाली या होने वाली लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

किसी अनुबंध पर अपेक्षित हानि, यदि कोई हो, तो अनुबंध के पूरा होने के चरण पर ध्यान दिए बिना, उसको उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें यह अनुमानित है।

ऐसे किए गए कार्य जिनके लिए बिल की गई राशि लेकिन जिसका अभी तक ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाना है, उनका तुलन पत्र में व्यापार प्राप्य के रूप में प्रकट किया गया है। ग्राहकों द्वारा रखे गए प्रतिधारण धन की राशि को अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में प्रकट किया जाता है और भुगतान के लिए देय होने पर व्यापार प्राप्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

ख) माल की बिक्री : माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी ने खरीदार को माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित कर दिए हैं, यह अब बेचे गए माल पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखता है, राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी में प्रवाहित होंगे और लेनदेन के संबंध में होने वाली या होने वाली लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ग) सेवा प्रदान : सेवा प्रदान से राजस्व प्रतिचिह्नित किया जाता है जब लेन-देन का परिणाम लेन-देन के संपूर्ण चरण के संदर्भ द्वारा विश्वसनीय रूप में अनुमानित किया जा सकता है। लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप में अनुमानित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें संतुष्ट करती हों :

1. राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप में मापी जा सकती है,
2. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होंगे,
3. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन संपूर्ण चरण विश्वसनीय रूप से मापे जा सकते हैं, तथा
4. लेन-देन के संबंध में उपगत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।

संपूर्ण चरण लेन-देन की अनुमानित कुल लागत के लिए आज तक उपगत वास्तविक लागत के समानुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है, गैर बिलकृत राजस्व ठेका शर्तों के अनुरूप की गयी सेवा लेकिन विकृत नहीं के मूल्य को दर्शाती है।

सेवाएँ प्रदान करना: सेवाएँ प्रदान करने से होने वाले राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब लेन-देन के परिणाम का अनुमान लेन-देन के पूरा होने के चरण के संदर्भ में विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है। लेन-देन के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से तब लगाया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

1. राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;
2. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;
3. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के पूरा होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; और
4. लेन-देन के संबंध में हो चुके या होने वाली लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

समापन का चरण लेनदेन की अनुमानित कुल लागत के लिए आज तक की गई वास्तविक लागत के अनुपात से निर्धारित होता है। बिना बिल किया गया राजस्व अनुबंध की शर्तों के अनुसार निष्पादित सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन बिल नहीं किया जाता है।

घ) ब्याज से आय : वित्तीय परिसम्पत्तियों से ब्याज आय की पहचान की जाती है जब यह संभव हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित हो तथा आय की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। ब्याज आय मूल बकाया संदर्भ तथा प्रयोज्य प्रभावी ब्याज दर द्वारा, समय समानुपात के आधार पर प्रोद्भूत किया जाता है, यह वह दर है जो प्रारंभिक पहचान पर परिसम्पत्तियों की निवल वाहक राशि को वित्तीय परिसम्पत्तियों के, प्रत्याशित जीवन के माध्यम अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों को वास्तव में कम करता है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ब्याज आय: किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभव हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ब्याज आय समय अनुपात के आधार पर, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, यह वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकदी प्राप्तियों को प्रारंभिक पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि से छूट देती है। मान्यता।

यह वह दर है जो प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि, वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को पहचान लेती है।

ड) लाभांश आय : लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2 पट्टे

पट्टों का हिसाब इंडिएएस 116 के अनुसार किया जाता है जो 1 अप्रैल, 2019 से अनिवार्य हो गया है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है और संबंधित पट्टे की देनदारी को पट्टे की शुरुआत की तारीख पर दर्ज किया जाता है।

प्रारंभ में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को लागत पर मापा जाता है जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष खर्च और अंतर्निहित परिसंपत्ति को खोलना और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस साइट पर यह स्थित है उसे बहाल करने की लागत का अनुमान होता है, प्राप्त किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन को घटाकर।


पट्टे देयता को शुरू में कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट देने के बाद पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। इसे तब दोबारा मापा जाता है जब सूचकांक या दर में बदलाव, या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के अनुमान में बदलाव, या खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प के मूल्यांकन में बदलाव से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टा भुगतान में कोई बदलाव होता है। जब पट्टे की देनदारी को इस तरह से दोबारा मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की अग्रणीत राशि के अनुरूप समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की अग्रणीत राशि को शून्य कर दिया गया है तो इसे लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

लागत मॉडल के प्रयोग करके संपत्ति के उपयोग का अधिकार मापा जाता है यानी लागत पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार में से मूल्यहास और संचयी हानि घटाकर किया जाता है।

'सीधी-रेखा विधि के प्रयोग से सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यहास पट्टे की प्रारंभ की तारीख से पट्टे की समाप्त अवधि तक या अंतर्निहित परिसम्पत्ति की उपयोग की अवधि जो भी पहले हो, निकाला जाता है। पट्टे की देयता की वहन राशि पट्टे की देयता पर ब्याज द्वारा बढ़ जाती है और पट्टे की भुगतान से कम हो जाती है।

निम्नलिखित पट्टों के साथ जुड़े पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा के आधार पर व्यय के रूप में पहचान की जाती है : (i) कम मूल्य के पट्टे, और (ii) पट्टे जो अल्पकालिक हैं।

पट्टे पर दी गई संपत्तियों को या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित स्वामित्व के लिए सभी आनुषंगिक जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। शुरुआत में वित्त पट्टे के अधीन रखी सम्पत्तियां तुलन-पत्र में पहचान की जाती है और और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के तौर पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे की अवधि में वित्त आय की पहचान की जाती है, यह एक पैटर्न के आधार पर होता है जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाता है। पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो वह एक परिचालन पट्टा है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

कंपनी प्रचालन पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों के मामले में सीधी रेखा आधार पर पट्टे से प्राप्तियों को आय के रूप में मानती है। कंपनी संपत्ति से संबंधित वर्ग के तहत अपनी तुलन-पत्र में परिचालन पट्टे के साथ अंतर्निहित परिसंपत्तियां प्रस्तुत करती है।

3 विदेशी मुद्रा

कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी की कार्यकारी मुद्रा के अलावा (विदेशी मुद्रा) किसी भी मुद्रा में लेनदेन, लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित मुद्रा दरों पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं को उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः प्रतिचिह्नित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक वस्तुओं को दोबारा प्रतिचिह्नित नहीं किया जाता है। मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर को उस अवधि में लाभ या हानि में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

4. उधारी लागत

किसी अर्हताप्राप्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार विशिष्ट उधार लागत को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए और उधार लेने की लागत खर्च न हो जाए।

एक अर्हक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

उधार लेने की लागत में ब्याज व्यय, छूट का परिशोधन, धन उधार लेने के संबंध में होने वाली सहायक लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, जिन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

5 आयकर

आयकर व्यय चालू और आस्थगित कर मिलकर बनता है। आयकर व्यय को आय विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

चालू कर

चालू कर वर्तमान कर वर्ष के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करते हुए, और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन हो तो करते हुए, कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर तुलन-पत्र पद्धति का व्यवहार कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु परिसंपत्तियों और देयताओं की संवाहक राशि तथा कराधान उद्देश्यों हेतु व्यहृत राशि के बीच अस्थायी अंतर प्रावधानित कर प्रतिचिह्नित किया जाता है। आस्थगित कर निम्नलिखित अस्थायी अंतरों हेतु प्रतिचिह्नित नहीं किया जाता है: लेनदेन में परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रारंभिक प्रतिचिह्नित जो एक व्यापार संयोजन नहीं है और वह न तो लेखांकन न ही कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है; सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश से संबंधित मतभेद इस हद तक कि यह संभव है कि वे निकट भविष्य में उलट नहीं होंगे; और सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होने वाले कर योग्य अस्थायी अंतर

आस्थगित कर उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें, अस्थायी अंतरों पर लागू किया जाता है, जो कि कानूनों के आधार पर लागू किये गये या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये कानूनों के आधार पर होते हैं।

यदि वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, तो स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है, और वे एक ही कर योग्य इकाई पर या विभिन्न कर संस्थाओं पर एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होते हैं, लेकिन वे वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा रखते हैं या उनकी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को एक साथ वसूल किया जाएगा।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें इस हद तक कम कर दिया जाता है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं रह जाती है।

6 प्रति शेयर आय

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय (“ईपीएस”) डेटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल कमाई की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों पर अधिरोप्य निवल लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना, तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों पर अधिरोप्य निवल लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया जा सकता था। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी तनुकृत माना जाता है जब उनके इक्विटी शेयरों में रूपांतरण से प्रति शेयर शुद्ध लाभ कम हो जाए।

7 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

पीपीई की प्रारंभिक लागत में इसका खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसीयोग्य खरीद कर शामिल हैं, और किसी संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति और स्थान पर लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत, जिसमें प्रासंगिक उधार लागत और डिकमीशनिंग की कोई अपेक्षित लागत, कम संचित मूल्यहास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, शामिल है।

पीपीई को परिचालन में लाने के बाद किए गए व्यय, जैसे कि मरम्मत और रखरखाव, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किए जाते हैं, जिसमें लागत खर्च की जाती है।

यदि पीपीई की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण हिस्सों का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें पीपीई की अलग-अलग वस्तुओं (प्रमुख घटकों) के रूप में गिना जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंड-बाय उपकरण और सेवा उपकरण जैसी सामग्री वस्तुओं को पीपीई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब वे इंडस्ट्रीज 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्दिष्ट पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं। 10,000/- रुपये या उससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास हो गए हैं।

7.1 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

निर्माण अवधि के दौरान व्यय (योग्य पीपीई के निर्माण या अधिग्रहण के लिए उधार ली गई धनराशि से संबंधित वित्तपोषण लागत सहित) को पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत शामिल किया गया है, और इसे उनके निर्माण के पूरा होने पर संबंधित पीपीई को आवंटित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया पीपीई के अधिग्रहण या निर्माण के लिए दिए गए अग्रिमों को “अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों” के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रकट किया जाता है।


7.2 मूल्यहास

मूल्यहास पीपीई की उसके उपयोगी जीवन पर मूल्यहास राशि का व्यवस्थित आवंटन है और अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन पर लिखित डाउन वैल्यू विधि के अनुसार प्रदान किया जाता है।

पीपीई के लिए मूल्यहास राशि पीपीई की अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को घटाकर उसकी लागत है। पीपीई का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिसके दौरान पीपीई कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, या कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले उत्पादन या समान इकाइयों की संख्या।

अतिरिक्त पर मूल्यहास स्थापना या अधिग्रहण के माह से समानुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। कटौती/निस्तारण पर मूल्यहास कटौती/निस्तारण की तिथि तक समानुपातिक आधार पर प्रावधानित किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की वहन राशि के साथ तुलना करके किया जाता है। ये लाभ और हानि के विवरण में शामिल हैं।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

8 अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को लागत से कम संचित परिशोधन और हानि पर बताया गया है। अमूर्त संपत्तियों का उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से सीधी रेखा के आधार पर उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन

एक पहचाने जाने योग्य अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है, जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

कंपनी 3 साल की अवधि में सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन करती है

9 सामान-सूची

सामान-सूची अप्रचलन हेतु प्रावधानित करने के बाद मूल्यांकित की जाती है, जो निम्नानुसार है :

- कच्चे माल, घटक, निर्माण सामग्री, भंडार, पुर्जे व खुले यंत्र भारत औसत लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर। हालाँकि, इन वस्तुओं को लागत पर वसूली योग्य माना जाता है यदि तैयार उत्पाद जिसमें उनका उपयोग किया जाएगा, लागत पर या उससे ऊपर बेचे जाने की उम्मीद है।
- विशिष्ट पहचान योग्य लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर निर्माण गतिविधि के संबंध में पूर्ण संपत्ति/कार्य प्रगति पर है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है और जब वे परिस्थितियाँ जिनके कारण पहले लागत से नीचे माल को लिखा जाता था, अब मौजूद नहीं हैं या जब बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के कारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट सबूत है, तो पिछली अवधि में राइट-डाउन, यदि कोई हो, को लिखी गई मूल राशि की सीमा तक उलट दिया जाता है ताकि परिणामी वहन राशि लागत और संशोधित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम हो।

10 नकद और नकद समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद और नकद समकक्षों में बैंक और हाथ में नकदी और बैंकों के पास अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं जो आसानी से नकदी में परिवर्तनीय होते हैं जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं और अल्पकालिक नकदी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रखे जाते हैं।

11 नकद प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में अलग करके तैयार किया जाता है। परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित प्रभावों के लिए असाधारण वस्तुओं को छोड़कर कर से पहले लाभ को समायोजित किया जाता है:

नकद प्रवाह का विवरण प्रचालन, निवेश और वित्तीय क्रियाकलापों में नकद प्रवाह को अलग कर तैयार किया जाता है। परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित प्रभावों के लिए असाधारण वस्तुओं को छोड़कर कर से पहले लाभ को समायोजित किया जाता है:

- अवधि के दौरान इन्वेंट्री और परिचालन प्राप्य और गैर-नकद प्रकृति के देय लेनदेन में परिवर्तन;
- गैर-नकद मद जैसे मूल्यहास, प्रावधान, अप्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ और हानि; और
- अन्य सभी मद जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश या नकदी प्रवाह का वित्तपोषण कर रहे हैं।

नकदी प्रवाह के विवरण में दिखाए गए नकदी और नकदी समतुल्य (बैंक शेष सहित) उन मदों को शामिल नहीं करते हैं जो तुलन-पत्र की तारीख के तिथि को आम व्यवहार हेतु उपलब्ध नहीं है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

12 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान वहीं प्रतिचिह्नित होता है जहां पर यह तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा तथा सभी संलग्न शर्तें पूरी की जाएंगी। जहां कंपनी गैर-नकदी अनुदान प्राप्त करती है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य पर गिने जाते हैं तथा परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन में लाभ और हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित किया जाता है।

13 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों का हास

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों, सूची और आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है और बेचने की लागत से इसका उचित मूल्य कम है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मान के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है।

हास परीक्षण के प्रयोजन के लिए, परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों ("नकदी पैदा करने वाली इकाई") के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होता है।

यदि किसी परिसंपत्ति या उसकी नकदी पैदा करने वाली इकाई की अनुमानित वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो आय विवरण में हासित हानि को मान्यता दी जाती है। पूर्व अवधियों में पहचानी गई हासित हानियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी भी संकेत के लिए किया जाता है कि हानि कम हो गई है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई बदलाव हुआ है तो हासित हानि को उलट पुनरीक्षित किया जाता है। एक हासित हानि को केवल उस सीमा तक उलटा किया जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती, मूल्यहास या परिशोधन को छोड़कर, यदि कोई हासित हानि की पहचान नहीं की गई होती। किसी सहयोगी में निवेश की वहन राशि का हिस्सा बनने वाली सद्भावना को अलग से मान्यता नहीं दी जाती है, और इसलिए हानि के लिए अलग से परीक्षण नहीं किया जाता है।

इसके बजाय, किसी सहयोगी में निवेश की पूरी राशि को एकल परिसंपत्ति के रूप में हास के लिए परीक्षण किया जाता है, जब वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होता है कि किसी सहयोगी में निवेश खराब हो सकता है। इक्विटी खाते वाले निवेशिती के संबंध में हासित हानि को निवेश की वसूली योग्य राशि की उसकी अग्रणीत राशि के साथ तुलना करके मापा जाता है। हासित हानि को आय विवरण में पहचाना जाता है, और यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में अनुकूल परिवर्तन हुआ है तो इसे उलट दिया जाता है।


14 कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च हो जाते हैं। भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है।

परिभाषित योगदान योजनाएं

परिभाषित योगदान योजनाओं में कंपनी के योगदान को कर्मचारियों से सेवाएँ प्राप्त होने पर आय विवरण में शामिल किया जाता है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजनाओं और रोजगार के बाद के अन्य लाभों के संबंध में देयता की गणना योग्य बीमांककों की सलाह के अनुरूप अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांडों की ब्याज दरों का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जो उस मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनकी परिपक्वता की शर्तें संबंधित परिभाषित लाभ दायित्व का शर्तों के करीब होती हैं।

कर्मचारी लाभ व्यय में आय विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ योजना की वर्तमान सेवा लागत, चालू वर्ष में कर्मचारी सेवा, लाभ परिवर्तन, कटौती और निपटान के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि को दर्शाती है। पिछली सेवा लागतों को आय में तुरंत पहचाना जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है।

यह लागत आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में अन्य व्यापक आय में इक्विटी में चार्ज या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

समाप्ति लाभ

समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी स्पष्ट रूप से वापसी की वास्तविक संभावना के बिना, सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले रोजगार समाप्त करने के लिए एक औपचारिक विस्तृत योजना के लिए प्रतिबद्ध होती है, या स्वैच्छिक अतिरेक को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप समाप्ति लाभ प्रदान करती है।

स्वैच्छिक अतिरेक के लिए समाप्ति लाभ को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है यदि कंपनी ने स्वैच्छिक अतिरेक को प्रोत्साहित करने वाला प्रस्ताव दिया है, तो यह संभव है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, और स्वीकृतियों की संख्या का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है।

समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी, आहरण की बिना यथार्थवादी संभावना के, या तो सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व नियोजन समाप्त करने की एक औपचारिक विस्तृत योजना के लिए या स्वैच्छिक बारम्बारता प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप समाप्ति लाभ प्रावधानित करने के लिए एक निदर्शन रूप में समर्पित है। स्वैच्छिक बारम्बारता हेतु समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अगर कंपनी ने स्वैच्छिक बारम्बारता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव की है, तो यह संभव है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, तथा स्वीकृतियों की संख्या को विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व भविष्य के लाभ की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है।

उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। पुनः माप को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

15 प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है यदि, किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

यदि मुद्रा के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को कर-पूर्व दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है।

जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

16 आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक दायित्व के लिए खुलासा तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवतः नहीं।

जहां कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना दूरस्थ है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, आकस्मिक संपत्तियों का मूल्यांकन लगातार किया जाता है और यदि यह वस्तुतः निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा, तो संपत्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

17 वित्तीय उपकरण

वित्तीय संपत्तियों और/या वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी संबंधित वित्तीय उपकरणों को शामिल करने वाले अनुबंध में पार्टी बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति और / या वित्तीय देयताएँ प्रतिचिह्नित की जाती है जब कंपनी संबंधित वित्तीय उपकरण को सन्निविष्ट करते हुए ठेके की पार्टी बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, वित्तीय देयताएँ तथा वित्तीय गारंटी ठेकों को प्रारंभिक तौर पर लेनदेन मूल्यों पर मापित किया जाता है। जहां इस प्रकार के मूल्य उचित मूल्य से भिन्न हो, उचित मूल्य पर किया जाता है। लेनदेन लागत जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्ति मद और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, के अन्यथा) पर अधिरोप्य होते हैं को ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं के उचित मूल्य द्वारा, प्रारंभिक मान्यता पर, जैसी स्थिति हो, जोड़ी या काटी जाती है। जो लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण पर लेनदेन लागत सीधे अधिरोपित होती है, वे तत्काल लाभ या हानि में प्रतिचिह्नित होती है।


ब्याज मुक्त या छूट ऋणों और अधिमान्य शेरों के रूप में सहायक कंपनियों के रूप में वित्त पोषण के मामले में, प्रारंभिक तौर पर मापित उचित मूल्य पर वित्त पोषण की वास्तविक के आधिक्य को एक इक्विटी निवेश के रूप में गिना जाता है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता ऑफसेट है तथा तुलन-पत्र में निवल आधार पर प्रदर्शित किये जाते हैं जब वहां प्रतिचिह्नित राशियों को ऑफसेट करने के लिए चालू विधिक प्रवर्तनीय अधिकार होता तथा यह या तो निवल आधार पर समायोजन या परिसंपत्ति की वसूली और साथ-साथ देयताओं को समायोजित करने के लिए आशयित होता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी मान्यताप्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां पर्याप्त रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर उचित मूल्य पर या हासित लागत पर समग्र रूप से मापित की जाती है जो निम्नानुसार है :

1. ऋण उपकरणों में निवेश जो लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम उचित मूल्य के रूप में अभिहित किये जाते हैं – उचित मूल्य पर।
2. ऋण उपकरणों में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं पर्याप्त रूप से मापित किये जाते हैं – हासित मूल्य पर (जब तक कि वह लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित न हो)
 - i. परिसंपत्ति को व्यापार प्रतिमान के अंदर रखा जाता है जिसका उद्देश्य ठेकागत नकदी प्रवाहों में संग्रहण करने के क्रम में परिसंपत्तियों को रखा जाता है, और
 - ii. उपकरण की ठेकागत शर्तें प्रवाहों को विशिष्ट तिथि पर उत्थान प्रदान करते हैं जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है।
3. ऋण यंत्र में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं उनका अन्य व्यापक आय के माध्यम उचित मूल्य पर साथ-साथ मापे जाते हैं (एफवीटीओसीआई) (जब तक कि वह लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित न हो)
 - i. परिसंपत्ति को व्यापार प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य ठेकागत नकदी प्रवाह का संग्रहण और वित्तीय परिसंपत्तियों का



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विक्रय कर दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और

- ii. यंत्र की ठेकागत शर्तें नकदी प्रवाहों में विशिष्ट तिथियों पर उत्थापन प्रदान करता है जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है,
4. एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्र, ऋण यंत्रों हेतु एक अपशिष्ट संवर्ग है, अगर कोई, तथा सभी परिवर्तन लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित होते हैं।
5. सहायक कंपनी एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी यंत्र में निवेश लागत से हास घटा मापे जाते हैं।
6. सहायक कंपनियों के अधिमान्य शेयरों में निवेश इक्विटी यंत्र के रूप में व्यवहार किये जाते हैं अगर वे ऐसे निवेशों के प्रतिदान के उद्देश्य हेतु जारी इक्विटी शेयर यंत्रों की प्राप्ति या प्रतिदान योग्य होती हैं या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होती है। उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाले अधिमान्य शेयरों में निवेश एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्रों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।
7. इक्विटी यंत्रों में निवेश एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किये जाते हैं जब तक कि संबंधित यंत्र व्यापक आय में उचित मूल्य में तदन्तर परिवर्तनों को रोकने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर कंपनी अपरिवर्तनीय रूप से नहीं चुनती है तथा व्यापार के लिए धारित नहीं करती।
8. वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु जो एफवीटीओसीआई पर मापी जाती है, ब्याज और लाभांश के द्वारा आय, हास हेतु प्रावधान और परिवर्तन अंतर, अगर कोई हो (ऋण यंत्र पर) लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं तथा उचित मूल्य में परिवर्तन (उपर्युक्त आय या व्यय लेखे पर अन्यथा) अन्य व्यापक आय तथा अन्य इक्विटी में संचित में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। एफवीटीओसीआई पर ऋण यंत्रों के निस्तारण पर, अन्य इक्विटी में पहले संचित लाभ या हानि को लाभ है या हानि में वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर इक्विटी यंत्रों के मामले में, ऐसे संचित लाभ या हानि को निवेशों के निस्तारण पर लाभ हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
9. एक वित्तीय संपत्ति बुनियादी तौर पर गैर मान्यता प्राप्त समझी जाती है जब :
 - i. परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार खत्म हो गया हो, या
 - ii. कंपनी ने व्यवस्था से गुजरते हुए, के अधीन तृतीय पहल को बिना सामग्री विलम्ब के पूर्ण रूप में प्राप्त नकद प्रवाह को भुगतान करने के लिए बाध्यता धारण की है या परिसंपत्ति में से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार स्थानान्तरित किये; हों तथा
 - क) कंपनी में परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से स्थानान्तरित कर दिये हैं; या
 - ख) कंपनी में परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से न तो स्थानान्तरित न ही पास रखे हैं, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानान्तरित कर दिया है।

अपनी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति की गैर मान्यता पर मान्यता प्राप्त होने की तिथि पर मापित धारणीय राशि तथा प्राप्त विचार को लाभ या हानि में विचार किया जाता है।

- 10) वित्तीय संपत्तियों का हास : कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि नमूने का व्यवहार कर प्राप्य व्यापार पर हास हानि प्रतिचिह्नित करता है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन यथा अनुज्ञा प्राप्त ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव के आधार पर निर्मित एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है। निवेशों पर हास हानि प्रतिचिह्नित की जाती है जब धारणीय राशि की वसूली योग्य राशि का पार कर जाती है।

(II) वित्तीय देयताएँ:

1. वित्तीय देयताएँ, व्युत्पन्न जडित व्युत्पन्न समेत, जो एफवीटीपीएल पर मापन हेतु पदनामित किये जाते हैं जो पर्याप्त रूप से उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। वित्तीय गारंटी ठेके पर्याप्त रूप से हास हानि भत्ता की राशि या संचयी क्रमिक अपाकरण के प्रारंभिक निवल पर प्रतिचिह्नित राशि पर मापे जाते हैं, जो भी उच्चतर हो।

ऋण और उधारों सहित सभी वित्तीय देयताएँ प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए क्रमिक अपाकरण लागत पर मापे जाते हैं।

2. एक वित्तीय देयता को गैर-मान्यता प्राप्त किया जाता है जब संबंधित बाध्यता समाप्त हो जाती है या प्रभारित या निरस्त की जाती है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

एक वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय दायित्व को बैलेंस शीट में शुद्ध आधार पर ऑफसेट और प्रस्तुत किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट-ऑफ करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और इसका उद्देश्य एक साथ दायित्व। या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना या परिसंपत्ति और दायित्व निपटान करना है।

18 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को भुगतान लाभांश अंतरिम लाभांश उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तित रूप में चिह्नित किये जाते हैं जिसमें वे क्रम से शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

19 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां पूर्व अवधियों हेतु तुलनात्मक राशि को पुनः उल्लेखन द्वारा पूर्वव्यापी रूप में संशोधित की जाती है जिसमें त्रुटि घटित होती है। अगर त्रुटि प्रदर्शित पूर्व अवधि के पहले घटित हुई तो प्रदर्शन पूर्व अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी के अथशेष पुनः उल्लिखित किये जाते हैं।

20 परिचालन खंड

भारतीय लेखा प्रणाली 108 के अनुरूप, विद्यमान खंड सूचना के लिए व्यवहृत परिचालन खंड, खंडों में संसाधन आवंटन के लिए एवं उनके कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा व्यवहृत आंतरिक प्रतिवेदनों के आधार पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। निदेशक मंडल भारतीय लेखांकन प्रणाली के अर्थ के अंतर्गत कंपनी संयुक्त रूप से, के 'मुख्य परिचालनकर्ता' या 'सीओडीएम' हैं। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु व्यवहृत सूचक स्थल पर रखे गये कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकता है।


खंडों के परिणाम जो सीओडीएम को प्रतिवेदित किये जाते हैं, में खंड को सीधे अधिरोप्य मद तथा जिन्हें तर्कसंगत आधार पर आबंटित किया जा सकता है, शामिल है। गैर-आबंटित मद मुख्य रूप से नैगम व्यय, वित्तीय व्यय और आयकर व्यय में मिलकर बनते हैं।

खंड में सीधे अधिरोप्य राजस्व खण्ड राजस्व के रूप में विचारित होता है। खंडों में सीधी अधिरोप्य तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित आम व्ययों को खंड व्ययों के रूप में विचार किये जाते हैं।

खंड वित्त व्यय संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर, तथा सदृच्छा के अलावा अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण करने की अवधि के दौरान उपगत कुल लागत है।

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर अमूर्त परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य प्राप्य सामान सूची व अन्य परिसंपत्तियों से मिलकर गठित खंड परिसंपत्तियां सीधे या तर्कसंगत ढंग से खंडों में आबंटित की जा सकती है। वर्ष हेतु रिपोर्टिंग खंड के उद्देश्य हेतु, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को संबंधित खंडों में अधिरोप्य परिचालनों हेतु परिसंपत्तियों के व्यवहार के विस्तार पर आधारित खंडों को आबंटित किया जाता है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगति पर कार्यचालक पूंजी, पूंजी अग्रिम, नैगम परिसंपत्तियां तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं उन्हें यथोचित रूप में खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देयताओं में खंड से संबंधित सभी परिचालन देयताएँ शामिल हैं तथा मुख्य रूप से व्यापार और अन्य भुगतान, कर्मचारी लाभ एवं प्रावधान मिलकर हैं। खंड देयताओं में, इक्विटी, आयकर देयताएँ, ऋण व उधारी तथा अन्य देयताएँ तथा प्रावधान शामिल नहीं हैं, जिन्हें खंडों में तर्कसंगत ढंग से आबंटित नहीं किया जा सकता है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

2 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

विवरण	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	जलयान (स्पीड बोट)	कंप्यूटर	फर्निचर एवं फिक्चर्स	वाहन	कुल
लागत या मानित लागत (सकल वहन राशि)							
31 मार्च, 2021 तक	132.63	2,005.23	2.32	78.93	67.44	3.72	2,290.28
परिवर्धन	-	68.02	-	2.24	1.58	-	71.84
घटा: निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	132.63	2,073.25	2.32	81.18	69.03	3.72	2,362.11
	132.63	2,073.25	2.32	81.18	69.03	3.72	2,362.11
परिवर्धन	-	318.58	-	11.52	6.39	-	336.48
घटा: निपटान / समायोजन	-	(55.10)	-	-	-	-	(55.10)
31, 2023 मार्च	132.63	2,336.73	2.32	92.69	75.41	3.72	2,643.49
संचित मूल्यहास							
31 मार्च, 2021 तक	78.76	1,607.94	2.29	71.95	54.83	3.67	1,819.45
परिवर्धन	5.58	77.94	-	3.85	5.42	-	92.79
घटा: निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	84.34	1,685.87	2.29	75.81	60.25	3.68	1,912.24
	84.34	1,685.87	2.29	75.81	60.25	3.68	1,912.24
परिवर्धन	5.07	100.77	-	7.04	4.69	-	117.57
घटा: निपटान / समायोजन	-	(53.99)	-	-	-	-	(53.99)
31 मार्च, 2023 तक	89.40	1,732.64	2.29	82.85	64.95	3.68	1,975.82
कुल पुस्तक मूल्य							
31 मार्च, 2023 तक	43.22	604.08	0.02	9.84	10.46	0.04	667.67
31 मार्च, 2022 तक	48.29	387.38	0.02	5.37	8.77	0.04	449.87
टिप्पणी:							
क) भवन में सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से पट्टे/किराए की भूमि पर स्थायी संरचनाओं के संबंध में 131.46 लाख (पिछले वर्ष - 131.46 लाख रुपये) शामिल हैं।							



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

3 अमूर्त संपत्ति


विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
लागत या मानित लागत (सकल वहन राशि)	
31 मार्च, 2021 तक	27.54
परिवर्धन	3.02
31 मार्च, 2022 तक	30.56
परिवर्धन	30.56
31 मार्च, 2023 तक	15.77
संचित परिशोधन	46.33
31 मार्च, 2021 तक	21.20
बर्ष का प्रहार	4.71
31 मार्च, 2022 तक	25.91
बर्ष का प्रहार	25.91
31 मार्च, 2023 तक	4.57
कुल पुस्तक मूल्य	30.48
31 मार्च, 2023 तक	15.85
31 मार्च, 2022 तक	4.64

4 क. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी
31 मार्च, 2022 तक	29.43
परिवर्धन	88.28
(हस्तांतरण)	(117.71)
31 मार्च, 2023 तक	-

ख. पूंजीगत वृद्धि संबंधी (सीडब्ल्यूआईपी) काल प्रभावन अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
31.03.2023 तक					
चालू परियोजनाएं	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक					
चालू परियोजनाएं	29.43	-	-	-	29.43
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	29.43	-	-	-	29.43



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5 निवेश	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
गैर-वर्तमान निवेश		
(अ) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		
(क) सहायक कंपनियों (अनउद्धृत, लागत पर मूल्यवान)		
भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड*	486.30	486.30
48,630 रुपये 1000/- के इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से चुकता		
(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियों		
भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (अनउद्धृत, लागत पर मूल्यवान)	0.30	0.30
रु. 100/- के 300 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूर्णतः चुकता		
(ग) अन्य कंपनियां		
लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (अनउद्धृत, लागत पर मूल्यवान)	42.20	42.20
4,22,000 रुपये 10/- के इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से चुकता		
जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड (अनउद्धृत, लागत पर मूल्यवान)*	2,558.01	2,558.01
10/- रुपये के 2,55,80,122 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से चुकता		
अनउद्धृत, लागत पर मूल्यवान		
3015 चुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड का पूरी तरह से भुगतान किया गया इक्विटी शेयर (पहले "ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड का 5% गैर-प्रतिदेय पंजीकृत ऋणपत्र स्टॉक")	0.16	0.16
(ब) ऋणपत्र या बांड में निवेश		
99 नंबर आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉन्ड-2026	83.32	79.09
कुल निवेश	3,170.30	3,166.07
कुल पुस्तक मूल्य		
- उद्धृत निवेश	-	-
- अनउद्धृत निवेश	3,170.30	3,166.07
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं

* भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) और जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की पूर्व सहायक कंपनियों, परिसमापन के अधीन हैं।

6 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
गैर वर्तमान		
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य, शोध्य माना गया	1,108.42	1,108.42
कम: संदिग्ध प्राप्ति के लिए भत्ते	(1,108.42)	(1,108.42)
	-	-
वर्तमान		
शोध्य माना गया	3,738.04	3,025.80
संदिग्ध माना गया	-	-
	3,738.04	3,025.80
कम: संदिग्ध प्राप्ति के लिए भत्ता	(961.40)	(680.21)
कुल व्यापार प्राप्य	2,776.63	2,345.59




टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

6 व्यापार प्राप्य (जारी)

व्यापार प्राप्य काल प्रभावित अनुसूची		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							
क्र.सं	विवरण	देय नहीं	बकाया राशि	<6 महीने	6माह-1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
मार्च 31, 2023 तक									
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माना गया	-	-	2,032.23	520.27	360.52	135.27	689.75	3,738.04
ii)	अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	1,108.42	1,108.42
iii)	अविवादित व्यापार प्राप्य – बिगड़ा हुआ ऋण	-	-	-	27.21	148.28	96.16	1,798.17	2,069.82
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – बिगड़ा हुआ ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक									
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माना गया	2,105.08	-	-	101.91	100.60	197.57	1,629.06	4,134.22
ii)	अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
iii)	अविवादित व्यापार प्राप्य – बिगड़ा हुआ ऋण	-	-	-	2.99	30.40	126.18	1,629.06	1,788.63
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – बिगड़ा हुआ ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7 अन्य वित्तीय संपत्ति

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
गैर वर्तमान		
तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक में जमाराशियां	2,288.60	2,191.10
अन्य		
सुरक्षा जमा/ईएमडी/ अन्य जमा	4,061.01	3,397.78
कम: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	(53.15)	(53.15)
	<u>6,296.46</u>	<u>5,535.73</u>
वर्तमान		
ऋण और अग्रिम		
सहायक कंपनी और अन्य को ऋण पर भारत सरकार प्राप्त करने योग्य ऋण लेनदारों को अग्रिम	6,796.31	6,796.31
अन्य अग्रिम	844.07	1,835.34
अन्य अग्रिम	600.46	698.90
घटा : प्रावधान	(69.08)	-
	<u>8,171.76</u>	<u>9,330.55</u>
प्राप्य/उपार्जित ब्याज		
सहायक कंपनी को ऋण पर	34,006.55	34,006.55
निवेश, जमा और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	382.07	189.48
अन्य		
सुरक्षा जमा/ईएमडी/ अन्य जमा	1,785.01	1,960.14
घटा : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	(0.71)	(0.71)
	<u>1,784.30</u>	<u>1,959.43</u>
प्राप्य – अन्य	0.74	35.35
	<u>44,345.42</u>	<u>45,521.36</u>



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

8 आस्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
- वित्तीय आस्तियों पर अपेक्षित साख हानि	534.31	515.70
- कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	115.41	136.80
कुल	649.72	652.50
विलम्बित कर देयता		
- मूर्त और अमूर्त संपत्ति	(20.24)	0.39
- परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति	(7.63)	(5.74)
आस्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध	621.85	647.15


9 भंडार

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कच्चे माल	892.13	732.13
स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य (शुद्ध)	70.61	10.52
फुटकर औजार	11.02	12.27
प्रगतिधीन कार्य	3,738.62	4,239.24
घटा : प्रावधान	(42.67)	(30.68)
कुल भंडार	4,669.71	4,963.48

10 नकद और नकदी के समतुल्य

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंकों के साथ शेष राशि:		
- चालू खातों में	1,065.79	271.64
- तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा खातों में*	2,037.56	2,942.43
नकद हाथ में	3.80	4.51
कुल नकद और नकद समकक्ष	3,107.15	3,218.58

* बैंक के पक्ष में चिह्नित ग्रहणाधिकार जमा रुपये 133.18 लाख शामिल हैं
(पिछले वर्ष - शून्य)



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

11 अन्य बैंक बैलेंस

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों में सावधि जमा*	10,532.72	7,303.38
घटाएं: 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली 'अन्य वित्तीय सम्पत्तियों' के अंतर्गत प्रकट बैंक में जमाराशियां	(2,288.60)	(2,191.10)
कुल अन्य बैंक शेष	8,244.11	5,112.28
* बैंक के पक्ष में चिह्नित ग्रहणाधिकार जमा रु. 5984.32 लाख (पिछले वर्ष -रु. 5352.54 लाख) शामिल हैं।		

12 वर्तमान कर संपत्ति

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (प्रावधान का शुद्ध)	593.05	325.05
	593.05	325.05

13 अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
जीएसटी ए / सी - (इनपुट) - संपत्तियाँ	1,411.36	1,642.02
अन्य सरकार और सांविधिक प्राधिकारियों के साथ संतुलन	22.22	47.77
	1,433.57	1,689.78



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

14 शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
34,81,000 (31 मार्च, 2022: 34,81,000) प्रति इक्विटी शेयर रुपये 1000/-	34,810.00	34,810.00
जारी किए गए,		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च, 2022: 12,08,605) प्रति इक्विटी शेयर रुपये 1000/-	12,086.05	12,086.05
सबक्राइब्ड और पूरी तरह से चुकता शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च, 2022: 12,08,605) प्रति इक्विटी शेयर रुपये 1000/-	12,086.05	12,086.05
	12,086.05	12,086.05

(क) रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2023 को इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2022 को इक्विटी शेयरों की संख्या
साल की शुरुआत में बकाया	12,08,605	12,08,605
वर्ष के दौरान जारी	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	12,08,605	12,08,605

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें / अधिकार

कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्य ₹ 1000 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) होल्डिंग या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के संबंध में शेयरहोल्डिंग पैटर्न

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी नहीं है।

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण


विवरण	31 मार्च, 2023 को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2022 को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामांकित व्यक्ति	12,08,605	12,08,605
	12,08,605	12,08,605

(ड) बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शेयरों की बिक्री/विनिवेश के लिए विकल्प और अनुबंधों/प्रतिबद्धताओं के तहत जारी करने के लिए कोई सामान्य शेयर आरक्षित नहीं किया गया है।

(च) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड ('बीसीएल'), बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड ('बीएससीएल'), भारत ब्रेक्स एंड वाल्व के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा स्वीकृत पूंजी पुनर्गठन योजनाओं के परिणामस्वरूप लिमिटेड ('बीबीवीएल') और आरबीएल लिमिटेड ('आरबीएल') और बीएससीएल, बीसीएल और बीबीजे के संबंध में ऋण और ब्याज को इक्विटी शेयर पूंजी और जीरो रेटेड ऋणपत्र में बदलने की अनुमति देने के लिए वित्तीय पुनर्गठन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार उक्त राशि के लिए निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

(छ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इक्विटी/वरीयता शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति जारी नहीं की गई है।

(ज) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी निदेशक या अधिकारी द्वारा किसी भी कॉल का भुगतान नहीं किया जाता है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

15 अन्य इक्विटी

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारक्षित पूंजी	0.06	0.06
सामान्य रिजर्व	1,473.65	1,473.65
ऋणपत्र मोचन रिजर्व	103.66	116.16
प्रतिधारित आय	8,181.29	7,377.57
	9,758.66	8,967.43

(क) प्रारक्षित पूंजी

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक जमा	0.06	0.06
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
अंत शेष	0.06	0.06

(ख) सामान्य प्रारक्षित

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक जमा	1,473.65	1,473.65
जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानान्तरण	-	-
अंत शेष	1,473.65	1,473.65

सामान्य रिजर्व कंपनी का मुफ्त रिजर्व होता है जिसे भविष्य की जरूरतें उत्पन्न होने पर पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफ़े से अलग रखा जाता है।

(ग) ऋणपत्र मोचन रिजर्व*

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक जमा	116.16	303.66
जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानान्तरण	(12.50)	(187.50)
अंत शेष	103.66	116.16

* कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लागू प्रावधान के अनुसार ऋणपत्र की बकाया राशि के आधार पर ऋणपत्र रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया था।

(घ) प्रतिधारित आय

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक जमा	7,377.57	6,924.64
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	885.85	315.42
अन्य व्यापक आय	-	-
अंतिम लाभांश	(94.63)	(50.00)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-
जोड़ें: ऋणपत्र मोचन रिजर्व से अंतरित	12.50	187.50
घटाएं: सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
अंत शेष	8,181.29	7,377.57

कुल अन्य इक्विटी

9,758.66 **8,967.43**



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

16 उधारी

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
गैर-वर्तमान उधार		
असुरक्षित ऋण		
पुनर्चना ऋणपत्र जमा(जेड आर डी) * :	241.15	262.06
कुल गैर-वर्तमान उधार	241.15	262.06
वर्तमान उधार		
मांग पर चुकाने योग्य सुरक्षित ऋण		
- केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट **	-	-
भारत सरकार से अन्य ऋण और अग्रिम	6,589.00	6,589.00
कुल वर्तमान उधार	6,589.00	6,589.00

* पुनर्चना ऋणपत्र जमा :


2005 में भारत सरकार द्वारा द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के वित्तीय पुनर्गठन की अनुमोदित योजना के अनुसार, भारत सरकार के 3.88 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी में बदलने की अनुमति दी गई, भारत सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज को 10.00 करोड़ रुपये की इक्विटी में में परिवर्तित किया गया। भारत सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज के रूप में 10.00 करोड़ रुपये जीरो रेट ऋणपत्र (जेडआरडी) के रूपांतरण के लिए। इसके अनुसरण में कंपनी जीरो रेटेड ऋणपत्र (जेडआरडी) को 2007-08 से 0.50 करोड़ रुपये की समान वार्षिक किश्तों में चुका रही है और 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

** केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट :

केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट मुख्य रूप से स्टॉक और बुक डेट के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित है और जहाज, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्स्चर और वाहनों सहित अचल संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित है और 22, ली रोड, कोलकाता - 700020 में कंपनी के फ्लैट के समान बंधक द्वारा सुरक्षित है। 11.50% ब्याज दर वाला ओवरड्राफ्ट मांग पर चुकाने योग्य है।

17 प्रावधान

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	31.49	85.20
- छुट्टी नकदीकरण	435.36	421.85
	466.85	507.05



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	-	-
- छुट्टी नकदीकरण	23.20	66.72
	<u>23.20</u>	<u>66.72</u>
18 अन्य देनदारियाँ		
गैर-वर्तमान		
पुनर्रचना ऋणपत्र जमा (जेडआरडी)	94.38	121.38
अन्य गैर चालू देयताएँ	3,384.42	2,864.16
	<u>3,478.81</u>	<u>2,985.54</u>
वर्तमान		
सांविधिक बकाया	373.57	109.47
पुनर्रचना ऋणपत्र जमा (जेडआरडी)	29.09	31.18
ग्राहकों से अग्रिम	561.01	656.64
अन्य गैर चालू देयताएँ	1,064.95	935.30
	<u>2,028.62</u>	<u>1,732.59</u>
19 व्यापार देनदारियाँ		
गैर-वर्तमान		
व्यापार देनदारियाँ		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	700.57	702.61
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)	-	-
	<u>700.57</u>	<u>702.61</u>
वर्तमान		
व्यापार देनदारियाँ		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	6,083.68	4,387.69
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)	-	-
	<u>6,083.68</u>	<u>4,387.69</u>



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19 व्यापार देय (जारी)

व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची

31 मार्च 2023 तक

भुगतान की देय तिथि (2022-23) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	देय नहीं	बकाया राशि	<1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
i)	एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
ii)	अन्य	5,189.41	-	872.19	22.08	-	700.57	6,784.25
iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
iv)	विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	5,189.41	-	872.19	22.08	-	700.57	6,784.25

31 मार्च 2022 तक

भुगतान की देय तिथि (2022-23) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	देय नहीं	बकाया राशि	<1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
i)	एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
ii)	अन्य	4,361.75	-	25.94	-	-	702.61	5,090.30
iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
iv)	विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	4,361.75	-	25.94	-	-	702.61	5,090.30

20 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

गैर-वर्तमान

व्यापार और सुरक्षा जमा

31 मार्च, 2023 को

31 मार्च, 2022 को

121.49

163.05

121.49

163.05

वर्तमान

कर्मचारी लाभ देय

भारत सरकार से उधार लेने पर अर्जित और देय ब्याज

पुनर्चना ऋणपत्र जमा

व्यापार और सुरक्षा जमा

112.39

142.03

34,016.12

34,016.12

50.00

50.00

185.18

351.07

34,363.69

34,559.22

21 वर्तमान कर देनदारियाँ

वर्तमान कर देनदारियाँ (अग्रिम कर का शुद्ध)

31 मार्च, 2023 को


31 मार्च, 2022 को

-

-

-

-



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)


	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
22 संचालन से राजस्व		
निर्माण अनुबंधों से आय	30,140.10	13,555.36
निर्माण अनुबंधों से सकल आय - रु.35,267.62 लाख (पिछले वर्ष-रु.15,203.94 लाख)	-	-
	30,140.10	13,555.36
अन्य परिचालन आय:		
परियोजना प्रबंधन परामर्श	-	-
स्क्रेप की बिक्री	38.88	146.00
	30,178.97	13,701.36
23 अन्य आय		
ब्याज आय		
- बैंक और सुरक्षा जमा पर	541.06	463.50
- बांड पर	4.23	4.02
अन्य गैर-परिचालन आय	29.33	0.94
(विदेशी मुद्रा प्रवाह उतार-चढ़ाव लाभ/हानि शामिल है-शून्य (पिछले वर्ष - 0.08 लाख रुपये का लाभ)	-	-
पूर्व अवधि समायोजन	12.06	4.76
बिक्री पर लाभ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (शुद्ध)	51.96	-
वापस लिखी गई संदिग्ध प्राप्त राशियों के लिए भत्ता	-	-
बीजी का नकदीकरण / एसडी और ईएमडी की जब्ती	5.25	9.52
	643.90	482.74
24 उपभोग की गई सामग्री की लागत		
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का प्रारंभिक स्टॉक	732.13	927.15
जोड़ें : वर्ष के दौरान खरीदारी	8,007.77	6,072.97
	8,739.91	7,000.12
कम : कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का अंतिम स्टॉक	892.13	732.13
	7,847.78	6,267.98
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य व्यय	244.00	169.66
	8,091.78	6,437.64
25 भंडार में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर		
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कार्य प्रगति पर		
वर्ष की शुरुआत में भंडार	4,239.24	3,450.14
घटा : वर्ष के अंत में भंडार	3,738.62	4,239.24
	500.63	(789.10)



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

25A उप अनुबंध एवं अन्य रूपांतरण प्रभार		
उप अनुबंध प्रभार	31 मार्च, 2023 को 13,564.75	31 मार्च, 2022 को 3,882.68
निर्माण कार्य प्रभार	2,041.15	223.16
	15,605.90	4,105.84
26 कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और बोनस	31 मार्च, 2023 2,541.13	31 मार्च, 2022 1,961.02
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	213.47	251.64
कर्मचारी कल्याण खर्च	51.00	36.98
	2,805.60	2,249.64
27 वित्तीय लागत		
बैंक ब्याज और कमीशन	31 मार्च, 2023 को 90.63	31 मार्च, 2022 को 18.28
	90.63	18.28
28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय		
मूल्यहास	31 मार्च, 2023 को 117.57	31 मार्च, 2023 को 92.79
परिशोधन	4.57	4.71
	122.14	97.51
29 अन्य खर्चे		
विज्ञापन	31 मार्च, 2023 को 11.68	31 मार्च, 2023 को 17.16
संदिग्ध ऋणों, संदिग्ध प्राप्ति के लिए भत्ता	364.12	49.41
बैंक प्रभार	21.29	11.55
कार किराया प्रभार	90.32	78.76
भंडारण, पुर्जे और फुटकर औजार की खपत	632.69	459.71
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (नोट 42)	15.34	12.15
माल भाड़ा व अग्रेषण	0.08	19.50
बीमा	39.12	24.29
श्रम उपकर	166.50	95.98
कानूनी व्यय	77.63	68.18
परामर्श शुल्क	59.37	54.08
विविध व्यय	123.63	76.97



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट 34):	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
लेखा परीक्षा शुल्क	0.82	0.94
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.30	0.30
अन्य	0.60	0.24
डाक महसूल, दूरभाष और फैक्स	7.90	7.21
मुद्रण और लेखन सामग्री	13.14	10.75
वेतन(अनुबंध)	195.47	185.32
संयंत्र और क्रेन किराया प्रभार	31.26	2.84
शक्ति और ईंधन	223.49	95.33
दरें और कर	4.79	3.87
किराया	111.17	96.11
मरम्मत एवं रखरखाव :		
- इमारतें	-	0.04
- कार्यशाला एवं यंत्र	3.65	1.85
- अन्य	9.59	13.66
साइट स्थापना व्यय	23.07	131.69
सदस्यता और दान	2.29	12.26
परीक्षण शुल्क	17.77	10.01
यात्रा खर्च	49.66	29.98
	2,296.76	1,570.16

30 कर व्यय

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वर्तमान आयकर:		
वर्तमान आयकर प्रभार	398.27	159.42
एमएटी उधार पात्रता	-	-
आस्थगित कर:		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित	25.30	19.29
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	423.57	178.71



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

वर्ष के दौरान ओसीआई में मानी गई मदों से संबंधित आस्थगित कर

31 मार्च, 2023 को

31 मार्च, 2022 को

वस्तुएँ, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा

-

-

वस्तुएँ, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा

-

-

ओसीआई को आयकर प्रभार

-

-

घरेलू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ के साथ कर व्यय का समाधान:

31 मार्च, 2023 को

31 मार्च, 2022 को

आयकर से पहले लेखांकन लाभ

1,309.43

494.13

वैधानिक आयकर दर पर लेखांकन लाभ पर कर 25.17% (मार्च 31, 2022 : 27.82%)

329.58

143.89

कर उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई इक्विटी खोलने के लिए ली गई वस्तुओं के संबंध में समायोजन

-

-

कम दरों पर आस्थगित कर के संबंध में समायोजन

25.30

19.29

अन्य

-

-

25.71% की प्रभावी कर दर पर कुल


354.88

163.18

लाभ और हानि के विवरण में सूचित कर व्यय

423.57

178.71



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

31 आकस्मिक देयताएँ और वचनबद्धताएँ:

विवरण		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
i)	आकस्मिक देयताएँ :		
	विवादित विक्रय-कर मांग	87.89	87.89
	विवादित आय-कर मांग	505.32	505.32
	विवादित सेवा-कर मांग	154.45	154.45
	अपील के तहत विवादित भविष्य निधि मांग	54.14	54.14
	बैंक गारंटी	6,523.41	5,254.40
	विवादित माल और सेवाकर मांग (लेनदेन - 1 ब्याज) - बिहार	12.55	12.55

** इसके अलावा, 22.72 लाख रुपये के आयकर से संबंधित विवादित ब्याज मांग है

*कंपनी कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है, जो कर अधिकारियों के समक्ष मुकदमेबाजी और ऊपर उल्लिखित मामलों सहित व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न हुए हैं। अनिश्चितताएं और संभावित प्रतिपूर्ति विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के नतीजे पर निर्भर हैं जो दावेदारों या कंपनी द्वारा लागू की गई हैं, जैसा भी मामला हो, और इसलिए सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित पेशेवर सलाहकारों को नियुक्त करती है और उसे सलाह दी गई है कि ऐसे विवादों के खिलाफ उसके पास मजबूत कानूनी स्थिति है। प्रबंधन का मानना है कि कार्यवाही के बचाव में उसके पास उचित मामला है और तदनुसार किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। अदालती मामलों का अधिक विवरण नोट 43 में दिया गया है।

32 संबंधित पक्ष के खुलासे

क) निम्नलिखित तालिका संबंधित पार्टी का नाम और कंपनी के साथ अपने संबंध की प्रकृति प्रदान करती है

नाम	संबंध
श्री सुंदर बनर्जी 31.07.2022 तक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री सुंदर बनर्जी 20.05.2022 तक	निदेशक (तकनीकी) - अतिरिक्त प्रभार
श्री मुकेश कुमार 06.12.2022 तक	निदेशक (वित्त)
श्री राजेश कुमार सिंह दिनांक 26.09.2022 से 26.12.2022 तक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि) 27.12.2022 से	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि) 03.02.2023 से	निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार
श्री राजीव कुमार सिंह 21.05.2022 से	निदेशक (तकनीकी)
श्री आदित्य कुमार घोष	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
श्रीमती सरला देवी	गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक

ख) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन का विवरण :

विवरण		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
i)	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक :		
	निदेशक के रूप में वेतन एवं भत्ते	97.12	115.59
	निदेशक के रूप में भविष्य निधि में अंशदान (वेतन और भत्ते में छुट्टी नकदीकरण शामिल है)	5.20	7.38
ii)	गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को बैठक शुल्क	0.54	0.18

ग) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन उन समतुल्य शर्तों पर किये जाते हैं जो स्वहित लेन-देन में उपलब्ध है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

33 खंड जानकारी

भारतीय लेखांकन मानक 108 “ऑपरेटिंग सेगमेंट” (“इंड. ए एस 108”) परिचालन और भौगोलिक सेगमेंट एवं उत्पाद व सेवाएं, भौगोलिक क्षेत्र और प्रमुख ग्राहकों के बारे में प्रकटीकरणों से संबंधित सार्वजनिक व्यवसाय उद्यम रिपोर्ट सूचना हेतु मानक स्थापित करता है, भारतीय लेखांकन मानकों में यथा प्रतिभाषित “प्रबंधन पहल” पर आधारित, परिचालन सेगमेंट और भौगोलिक सेगमेंट मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सी.ओ.डी. एम.) को प्रावधानित आंतरिक रिपोर्टिंग से सुसंगत पद्धति में प्रतिवेदित किए जाते हैं। सी.ओ.डी.एम. कंपनी के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं समग्र आधार पर संसाधन प्रावधानित करता है।

कंपनी मुख्य रूप से फैब्रिकेशन सहित निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसे ‘ऑपरेटिंग सेगमेंट’ पर भारतीय लेखा मानक - 108 के अनुसार एकमात्र रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय सेगमेंट माना जाता है। कंपनी भारत में परिचालन कर रही है जिसे एकल भौगोलिक खंड माना जाता है।

34 लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.82	0.94
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.30	0.30
अन्य	0.60	0.24
कुल	1.72	1.48

35 भारतीय लेखांकन मानक 19 ‘कर्मचारी लाभ’ के अनुसार प्रकटीकरण:

क) उपदान


कंपनी अपने कर्मचारियों को परिभाषित लाभ योजना के तहत लाभ प्रदान करती है जिसे “उपदान योजना” कहा जाता है। उपदान योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम लगातार पाँच वर्षों तक सेवा प्रदान की हो, को सेवा-निवृत्ति / सेवा छोड़ने के समय पूरी सेवा के प्रत्येक वर्ष हेतु 15 दिनों का वेतन प्रदान किया जाएगा जो रु. 20.00 लाख तक सीमित है।

कंपनी ने भारत के एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और एलआईसी द्वारा निर्धारित परिणामी देनदारी कंपनी द्वारा हर साल चुकाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का ग्रेच्युटी व्यय एलआईसी (फंड प्रशासक) द्वारा निर्धारित 26.32 लाख रुपये (पिछले वर्ष 97.42 लाख रुपये) है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, निम्नलिखित तालिकाएँ बैलेंस शीट के अनुसार ग्रेच्युटी फंड के विभिन्न घटकों का सारांश प्रस्तुत करती हैं:

दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	531.21	535.74
वर्तमान सेवा लागत	33.57	35.47
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	34.47	35.45
भुगतान किया गया लाभ	(100.79)	(72.90)
बीमांकिक लाभ	0.77	(2.55)



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अर्जन समायोजन	-	-
अंतिम शेष परिभाषित लाभ दायित्व	499.23	531.21
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में निम्नानुसार परिवर्तन:		
अवधि की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	481.19	456.55
ब्याज आय	34.50	32.41
नियोक्ता योगदान	70.28	63.37
भुगतान किया गया लाभ	(100.79)	(72.90)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	(1.14)	1.76
मापन अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	484.04	481.19

पूर्वधारण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.17%	7.10%
योजना संपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	7.17%	7.10%
मुआवजा वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	7.00%	7.00%

महत्वपूर्ण पूर्वधारण के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशत के संदर्भ में इसका प्रभाव निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2023 को	
	छूट की दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-3.32%	2.03%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	3.53%	-1.98%

	31 मार्च, 2022 को	
	छूट की दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-3.22%	2.04%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	3.43%	-2.31%

इन संवेदनाओं की गणना अनुमानित लाभ दायित्व में गति को अलग से दिखाने के लिए की गई है और यह मानते हुए कि बाजार की स्थितियों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं है।

ख) अवकाश :

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) प्रदान करती है जो 30 दिनों की दर से सालाना जमा होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश (ईएल) भुनाया जा सकता है। हालांकि, सेवानिवृत्ति पर भुनाई जा सकने वाली छुट्टियों की कुल संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी। यह योजना वित्त रहित है और इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। रुपये का प्रावधान वित्तीय विवरण में वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 458.56 लाख (31 मार्च 2022: 488.58 लाख रुपये) किए गए हैं।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)


निम्नलिखित सारणियों लाभ या हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित निवल लाभ व्यय के घटकों को सारांशित करती हैं तथा राशियां तुलन-पत्र में प्रतिचिह्नित हैं :

दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक शेष	488.57	507.46
चालू सेवा लागत	15.22	13.93
गत सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	30.02	31.73
लाभ का भुगतान	(139.91)	(121.06)
बीमांकिक लाभ	64.66	56.51
अर्जन समायोजन	-	-
अन्त शेष	458.56	488.57
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	467.50	495.07
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	467.50	495.07
वर्तमान प्रावधान	(18.89)	8.83
गैर वर्तमान प्रावधान	477.45	479.74

लाभ हानि खाते विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सेवा लागत	15.22	13.93
ब्याज लागत	30.02	31.73
लाभ / (हानि) का पुनर्मूल्यांकन	-	-
जनसांख्यिकी धारणा में बदलाव के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	(15.77)
अनुभव समायोजन के कारण वास्तविक लाभ / (हानि)	64.66	72.28
छूट दर से अधिक (कम) योजना संपत्ति पर लाभ	-	-
कुल लागत	109.90	102.17

पूर्वधारण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.17%	7.10%
भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

महत्वपूर्ण पूर्वधारण के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशत के संदर्भ में इसका प्रभाव निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2023 को	
	छूट की दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-3.96%	4.21%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	4.25%	-3.96%
	31 मार्च, 2022 को	
	छूट की दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-3.89%	4.14%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	4.17%	-3.89%

इन संवेदनाओं की गणना अनुमानित लाभ दायित्व में गति को अलग से दिखाने के लिए की गई है और यह मानते हुए कि बाजार की स्थितियों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं है।

36 सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के बकाये:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 26 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जो अनुशंसा करता है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपने ग्राहक के साथ उनके पत्राचार में ज्ञापन फाइलिंग करने के बाद यथा आबंटित उद्यमी ज्ञापन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च 2021 को ऐसे उद्यमियों को भुगतान राशि के संबंध में प्रकटीकरण कंपनी में किया गया है। आगे प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, ब्याज का प्रभाव, अगर कोई, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये जाने के महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं की जाती है। कंपनी को किसी आपूर्तिकर्ता से ब्याज के लिए दावा नहीं मिला है।

विवरण		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना।	शून्य	शून्य
ख)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	शून्य	शून्य
ग)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन इस एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
घ)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि; और	Nil	Nil
ड)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से, अतिरिक्त ब्याज की राशि शेष है और आने वाले वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को किया जाता है।	Nil	Nil



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

37 प्रति शेयर अर्जन

मूल ईपीएस राशि की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी धारकों के लिए देय लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत ईपीएस राशि की गणना इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

निम्न सारणी प्रति शेयर के मूल और तनुकृत अर्जन के गणना को दर्शाती है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इक्विटी शेयर धारकों के लिए जिम्मेदार वर्ष का लाभ	8,85,85,452.18	3,15,42,320.85
शेयर		
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – मूल	12,08,605.00	12,08,605.00
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – तनुकृत	12,08,605.00	12,08,605.00
प्रति शेयर आय		
₹. 1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - मूल (₹.)	73.30	26.10
₹. 1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - तनुकृत (₹.)	73.30	26.10


38 उचित मूल्यांकन तकनीक

कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे प्रासंगिक डेटा का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों को महत्व देने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाए रखती है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस राशि में शामिल किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। कुछ उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था: नकद और जमा, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य मोटे तौर पर इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण उनकी अग्रणीत राशि का अनुमान लगाता है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्न तालिकाएं कंपनी की परिसंपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रदान करती हैं, जिन्हें नीचे वर्णित स्तर 1 से स्तर 3 में समूहीकृत किया गया है:

- समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)। इसमें सक्रिय बाजारों में कारोबार किए गए वित्तीय साधनों का उचित मूल्य शामिल है और यह बैलेंस शीट की तारीख में उद्धृत बाजार कीमतों पर आधारित है।
- स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (अर्थात् कीमतों से व्युत्पन्न) (स्तर 2) के लिए देखे जा सकते हैं। इसमें उन वित्तीय साधनों का उचित मूल्य शामिल है जिनका एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) और मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ये मूल्यांकन तकनीक अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करती हैं जहां यह उपलब्ध है और कंपनी के विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करती है। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- iii) परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अर्थात, अप्राप्य इनपुट) (स्तर 3)। यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट बाजार के अवलोकन योग्य डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्ति						
इक्विटी लिखतों में निवेश	-	3,086.81	-	-	3,086.81	-
ऋणपत्र या बांड में निवेश	-	83.48	-	-	79.26	-
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	-	3,170.30	-	-	3,166.07	-
वित्तीय देनदारियाँ						
ऋण को शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित किया गया	-	241.15	-	-	262.06	-
कुल वित्तीय देयताएँ	-	241.15	-	-	262.06	-

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, स्तर 1 और स्तर 2 के उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ और स्तर 3 के उचित मूल्य माप में और बाहर कोई हस्तांतरण नहीं हुआ। स्तर 3 के तहत कोई लेनदेन/बैलेंस नहीं है।

39 जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण व उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के प्रचालन में वित्तीय सहायता व मदद पहुंचाना है। कम्पनी की मूल वित्तीय सम्पत्तियों में सामान सूची, व्यापार और प्राप्य, नकद व नकद समतुल्य एवं वापसी योग्य जमा जो इसके प्रचालनों से सीधे प्राप्त होती हैं शामिल हैं।

कम्पनी बाजार जोखिम, साख जोखिम तथा नकदी जोखिम पर अनावृत है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधक इन जोखिमों के प्रबंधन का ध्यान रखते हैं। निदेशक मंडल इन प्रत्येक जोखिम को प्रबंधित करने के लिए समीक्षा व नीति सहमति प्रदान करते हैं जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

क) बाजार जोखिम

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा, बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम में कम्पनी का प्रकटीकरण मुख्य रूप से अस्थायी ब्याज सहित सम्पनी के लघु कालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कम्पनी परिवर्तनीय दर उधारों के संतुलित पोर्टफोलियों द्वारा अपना ब्याज दर जोखिम प्रबंधित करती है। कम्पनी किसी ब्याज दर विनिमय में प्रवेश नहीं करती है।

ब्याज दर संवेदनशीलता

निम्नलिखित सारणी ब्याज दरों पर उचित संभावित परिवर्तन में संवेदनशीलता दर्शाती है जिसने ऋणों के भाग और उधारी को प्रभावित किया है। स्थिर धारित सभी अन्य परिवर्तनों के साथ, कम्पनी का कर के पूर्व लाभ अस्थायी दर उधारी पर प्रभाव के माध्यम से प्रभावित करता है, जो निम्नानुसार है:

	ब्याज दर में वृद्धि / कमी
31 मार्च, 2023 को	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%
31 मार्च, 2022 को	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ख) साख जोखिम

साख जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिलेखी रूप में वित्तीय साधन या ग्राहक ठेका के अधीन अपनी बाध्यता को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय हानि हो। साख जोखिम मुख्य रूप से बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों एवं अन्य वित्तीय साधनों समेत अपने निवेशी क्रियाकलापों से तथा अपने परिचालन क्रियाकलापों (प्राथमिक तौर पर व्यापार प्राप्य) से उत्पन्न होता है।

साख जोखिम एक सतत आधार पर ग्राहकों की साख योग्यता तथा साख सीमा के विश्लेषण द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिस पर साख हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद साख मंजूर की जाती है। व्यापार प्राप्य से संग्रह की निगरानी प्राप्य टीम द्वारा निरंतर आधार पर की जाती है।

कम्पनी साख हानि हेतु भत्ता स्थापित करती है जो विगत और हाल की संग्रहण प्रवृत्ति पर आधारित अन्य प्राप्तियों तथा व्यापार के संबंध में सम्भावित हानि का अपना अनुमान प्रस्तुत करती है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम प्राथमिक रूप से व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से है। वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों के संबंध में साख हानि हेतु भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार थे :


साख हानि के लिए भत्ता	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक शेष	1,842.49	1,816.02
साख नुकसान दिया गया	281.19	26.47
साख नुकसान वापस किया	-	-
अन्त शेष	2,123.68	1,842.49

ग) नकदी जोखिम

कम्पनी का उद्देश्य बैंक जमा और ऋणों के व्यवहार के माध्यम से निधियन एवं नम्यता की निरंतरता के बीच एक संतुलन अनुरक्षित रखना है।

यह सारणी संविदात्मक बिना लूट के भुगतानों पर आधारित कम्पनी की वित्तीय देयताओं का परिपक्वता स्वरूप सारांशित करती है:

	आगे ले जाने वाली राशि	महीने से कम	12 महीने के बाद	कुल
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष				
उधारी	6,830.15	6,589.00	241.15	6,830.15
व्यापार देय	6,784.25	6,083.68	700.57	6,784.25
अन्य वित्तीय देयताएँ	34,485.18	34,363.69	121.49	34,485.18
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष				
उधारी	6,851.06	6,589.00	262.06	6,851.06
व्यापार देय	5,090.30	4,387.69	702.61	5,090.30
अन्य वित्तीय देयताएँ	34,722.27	34,559.22	163.05	34,722.27



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 पूंजीगत प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार अनुरक्षित करना है जिससे निवेशक, लेनदार तथा बाजार आत्मविश्वास अनुरक्षित एवं व्यापार का भावी विकास बनाये रखा जा सके। प्रबंधन नियोजित पूंजी पर प्राप्ति के आधार पूंजी एवं कुल इक्विटी अनुपात में ऋण प्रबोधित करता है। कुल इक्विटी अनुपात में ऋण के उद्देश्य हेतु, विचारित ऋण दीर्घकालिक और और अल्पकालिक उधारी है। कुल इक्विटी जारी शेयर पूंजी और सभी अन्य इक्विटी प्रारक्षित को मिलाकर है।

31 मार्च, 2023, 31 मार्च, 2022 को पूंजीगत संरचना निम्नानुसार था:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के कुल इक्विटी विशेषता	21,844.71	21,053.48
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	76.05%	75.31%
वर्तमान परिपक्वता समेत दीर्घकालिक उधारी	291.15	312.06
अल्पकालीन उधारी	6,589.00	6,589.00
कुल उधारी	6,880.15	6,901.06
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	23.95%	24.69%
कुल पूंजी (इक्विटी एवं उधारी)	28,724.86	27,954.55

41 भारतीय लेखांकन मानक 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व” के अनुसरण में प्रकटीकरण

क 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, कंपनी ने इंड एस 115 “ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व” को अपनाया और निर्माण और सेवा गतिविधियों से मान्यता “समय के साथ” पद्धति पर आधारित है और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। प्रतिशत संकलन विधि, जो कंपनी द्वारा पहले इस्तेमाल की गई नीति के अनुरूप है। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण लेनदेन प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व इस प्रकार है:-

ख.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
संचालन से राजस्व (निर्माण अनुबंधों से सकल आय - रु.35,267.62 लाख (पिछले वर्ष- रु.15,203.94 लाख)	30,140.10	13,555.36
अन्य राजस्व	38.88	146.00
कुल	30,178.97	13,701.36



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

42 निगमित सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी सीएसआर नीति के अनुसार ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर खर्चों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	14.86	12.63
ख. पिछले वर्ष की कमी राशि	0.48	-
ग. कुल (क+ख)	15.34	12.63
घ. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
- किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
- उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	15.34	12.15
कुल	15.34	12.15
कमी राशि	-	0.48

क) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि


विवरण	नकद में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	15.34	-	15.34

ख) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

विवरण	नकद में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	12.15	-	12.15

ग) प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्ययों का विवरण निम्नानुसार है

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
1. स्वच्छ भारत कोष	-	-
2. स्वच्छ गंगा कोष	-	-
3. कौशल विकास प्रशिक्षण	-	-
4. शिक्षा	-	-
5. स्वास्थ्य	-	12.15
6. सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष	-	-
7. पीएम केयर्स फंड	15.34	-
कुल	15.34	12.15



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

43. कानूनी मामलों का विवरण :

बीबीजे / बीबीयूनएल से संबंधित 31.03.2023 को लंबित कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति


क्रम सं.	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानदंडों रचनांतर की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1.	बेदखली सूट सिविल सूट (सी.एस.) संख्या - 1982 का 482 बीच में हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड (पहले मोदी बिल्डिंग लिमिटेड) -बनाम- बीबीजे	1982	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: बेदखली का मामला जुलाई, 1982 में बिल्डिंग मालिक - प्रेशियस स्टार्क्स एंड बॉन्ड्स लिमिटेड (पीएसबीएल) द्वारा दायर किया गया था, जिसे बाद में बीबीजे को बेदखल करने के लिए मोदी बिल्डिंग लिमिटेड (अब हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड) का नाम दिया गया। वह परिसर जहां बीबीजे का प्रधान कार्यालय स्थित है। 	बेदखली सूट	लंबित है।	मामला सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय की वाद सूची में प्रवेशित हो रहा है	माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (मूल पक्ष)
2.	सेवा मामला केस नं. VIII/241/2001, बीबीजे बनाम तरुण घोषाल	2001	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: श्री तरुण घोषाल को 08.07.1996 को "नौट्री ऑपरेटर" के पद पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बीबीजे की 06.05.2000 के एक नोटिस द्वारा श्री घोष की सेवा समाप्त कर दी गई। उक्त बर्खास्तगी के खिलाफ श्री तरुण घोषाल द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत वर्तमान मामला दायर किया गया था। 	सेवा मामला	लंबित है।	मामला लंबित है एवं सुनवाई हेतु तय हो गया है।	विद्वान प्रथम औद्योगिक ट्रिब्यूनल, पश्चिम बंगाल
3.	पैसे का मुकदमा (मनीसूट), स्वामित्व मुकदमा, टीएस सं. 2009 का 91 (टीएस सं. 2016 का 3827/2016 का 0001653) बीबीयूनएल (अब बीबीजे) - बनाम- जेसप एण्ड कंपनी लि.	2009	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: यह मनी सूट बीबीयूनएल (अब बीबीजे) द्वारा 27.11.2009 को जेसप एंड कंपनी लिमिटेड से सितंबर'01 से अगस्त'03 तक की अवधि के लिए कंपनी द्वारा 2005 में गलत तरीके से वापस किए गए 82,71,520 रुपये के सेवा शुल्क ब्याज, लागत आदि सहित की वसूली के लिए दायर किया गया था। 	82.71 लाख	लंबित है।	मामला सुनवाई हेतु लंबित है।	विद्वान न्यायालय, प्रथम सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) अलीपुर, 24 परगना (दक्षिण)
4.	रिट याचिका, 2010 का डबल्यू. पी. 4224 (डबल्यू) इंडो - वैगन - इंडो. लि. एवं अन्य बनाम (1)यूनियन ऑफ इंडिया (2) बीबीजे पूर्ववर्ती बीबीयूनएल (3) स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2010	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: बीबीयूनएल (अब बीबीजे) द्वारा याचिकाकर्ता के संग की गई एसएचए के अनुसार हस्तांतरण की तारीख से 3 वर्ष के लिए 72% शेयरों को स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिमेट के रूप में स्थानांतरित कर धरोहर रखना था परन्तु बीबीयूनएल (अब बीबीजे) ने 3 वर्ष खतम हो जाने के बाद भी धरोहर वाले शेयरों के बारे में "गिरवी बंद करने की पुष्टि फॉर्म" निर्गत नहीं की। वर्तमान रिट याचिका इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य द्वारा 24.02.2010 को दायर की गई थी। 	रिट याचिका	लंबित है।	मामला लंबित है एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष अभी भी सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानिटारिंग रचनांतर की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
5(क)	मध्यस्थता अपील एपी नंबर - 2010 का 738 बीबीजे - बनाम - सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती)	2010	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : मेसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती द्वारा प्रतिनिधित्व) और बीबीजे के बीच डेहरी-ऑन-सोन और मुगलसराय के बीच छह अलग-अलग स्थानों पर समग्र गडर्स के निर्माण के लिए पूर्वी रेलवे की एक परियोजना से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही आयोजित की गई थी। परियोजना वर्ष लगभग 1998 था। एकमात्र मध्यस्थ ने 14.09.2010 को प्रतिवादी - बीबीजे के खिलाफ दावेदार (मेसर्स सिवटेक) के पक्ष में आदेश पारित किया (जिसे 25.09.2010 के आदेश द्वारा सही किया गया था)। कुल मूल्य 17 लाख रुपये + ब्याज। असंतुष्ट होकर बीबीजे ने दिनांक 14.09.2010 के उक्त मध्यस्थता आदेश को रद्द करने के लिए कलकत्ता (मूल पक्ष) में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 10.12.2010 को वर्तमान मध्यस्थता अपील दायर की। 	17 लाख रुपये+ लंबित ब्याज	लंबित	इस मामले पर अभी कलकत्ता (मूल पक्ष) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (मूल पक्ष)
5(ख)	निष्पादन मुकदमा उच्च न्यायालय, कलकत्ता 2022 का ई. सी. संख्या 142 बीबीजे (श्री पार्थ चक्रवर्ती) - बनाम - सिवटेक	2018	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : 11 साल बीतने के बाद, मेसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती द्वारा प्रतिनिधित्व) ने उपरोक्त उल्लिखित मध्यस्थता फैसला दिनांक 14.09.2010 को लागू करने के लिए कलकत्ता (मूल पक्ष) में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बीबीजे के खिलाफ निष्पादन मामला दायर किया। दावा की गई कुल राशि 81 लाख रुपये है (जिसमें वर्तमान निष्पादन मामले को दायर करने की तारीख तक अर्जित ब्याज शामिल है)। उपस्थिति के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद बीबीजे, बीबीजे के सॉलिसिटर और काउंसिल के माध्यम से कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए विधिवत उपस्थित हुए। 	81 लाख रुपये (उपार्जित ब्याज सहित)	लंबित	इस मामले पर अभी कलकत्ता (मूल पक्ष) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (मूल पक्ष)



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)


क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानिट्रिंग रचनातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
6.	मध्यस्थता अपील एन. नं. 2010 का 1 (कुवरी प्रथम ब्रिज कंट्रैक्ट मामला) नार्थ स्ट्रोल रेलवे - बनारस- बीबीजे	2010	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : बीबीजे के पक्ष में शून्य दायित्व फैसला पारित किया गया। उत्तर मध्य रेलवे ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उक्त फैसले को ग्वालियर जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। बीबीजे को कोई प्रति नहीं दी गई, इसलिए किसी को भी नहीं लगाया गया। हालांकि उक्त न्यायालय ने उत्तर मध्य रेलवे के दावों को खारिज कर दिया और दिनांक 09.11.2009 को आदेश पारित किया। अस्तुष्ट होकर, उत्तर मध्य रेलवे ने माननीय मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष विद्वान जिला न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती दी। 	शून्य दायित्व	लंबित	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की खण्डपीठ (ग्वालियर शाखा) के समक्ष विचाराधीन है।	माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. (ग्वालियर शाखा)
7.	अपील मामला : 2012 की नियमित अपील संख्या 118 (डायरी क्रमांक 9014 सन् 2012) यूनियन ऑफ इंडिया-बनाम-यूको बैंक एवं अन्य। उत्तरदाता : 1. यूको बैंक 2. टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एंड प्रा. लिमिटेड 3. बीपीएमईएल (परिसमापन में) 4. बीबीजे (तत्कालीन बीबीयूएनएल)	2018	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : पहले भारत संघ (यूओआई) ने 01.08.2012 को केस संख्या 118/2012 के तहत वर्तमान अपील दायर की थी। दूसरी ओर टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने विद्वान पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, कोलकाता के बीपीएमईएल के शेरों की कुर्की के आदेश दिनांक 23.02.2012 के खिलाफ, आदेश को रद्द करने के लिए 2012 की संख्या 138 के तहत क्रॉस अपील दायर की। हालांकि, उक्त आदेश में उन्होंने भारत संघ को अपने दायित्व के निर्वहन में या किसी अन्य तरीके से बीपीएमईएल के शेरों को टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने पर विचार करने की सलाह दी। 	अपील मामला	लंबित	मामला विद्वान ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानिटारिंग रचनातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
8.	अपील मामला 2015 का एपीओ 45 / 2013 का जी.ए. 932 / 2013 का एपीओटी 61 / 2003 का डब्ल्यू.पी.1509 टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड एण्ड अन्य - बनाम - (1) यूनियन ऑफ इंडिया (2) जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (3) बीबीजे (तत्कालीन बीबीयूएल) (4) ए एफ फ्रांसिस एण्ड कंपनी (5) इंडो-वैगन इंजी. लि.	2013	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : यह अपील टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड और अन्य द्वारा 05.02.2013 को कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय की डिबीजन बेंच के समक्ष 2003 के डब्ल्यूपी नंबर 1509 (और वहां से उत्पन्न होने वाले कई अन्य सामान्य अनुप्रयोग) में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 19.12.2012 के खिलाफ दायर की गई थी। वर्तमान अपील में अपीलकर्ता ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जेसप एंड कंपनी लिमिटेड ने मेट्रो रेलवे, कोलकाता को 5.5 एकड़ जमीन की बिक्री के लिए आगे बढ़ाया था और बिक्री मूल्य रुपये 14 करोड़ प्राप्त किया था। वर्तमान अपीलकर्ता ने उक्त बिक्री पर आपत्ति जताई। वर्तमान अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिक्री की आरक्षित कीमत बोलियां खुलने के बाद तय की गई थी। इस मामले में बीबीयूएल (अब बीबीजे) एक प्रोफार्मा प्रतिवादी है। 	अपील मामला	लंबित	मामले को सुनवाई के लिए कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, सिविल अपीलीय न्यायाधिकार, मूल पक्ष
9.	बिजली मामला इलेक्ट्रीसिटी सर्विफिकेट मुकदमा सं. 01/13-14 बीएसईबी - बनाम - बीबीजे	2013	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बीएसईबी) जिसे अब बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) कहा जाता है, ने गंगा ब्रिज परियोजना स्थल पर बिजली आपूर्ति के बदले बीबीजे से अवैध रूप से 54.36 लाख रुपये की मांग की। बीएसईबी ने बीबीजे से 54.36 लाख रुपये की वसूली के लिए 2013-14 का यह इलेक्ट्रिक सर्विफिकेट केस नंबर 1 दायर किया। बीबीजे को बीएसईबी की उक्त जबरदस्ती कार्रवाई के खिलाफ माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17069/2019) दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिनांक 08.12.2022 के एक आदेश द्वारा, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के दावे को खारिज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 08.12.2022 के संदर्भ में, बीबीजे अब मुंबई में वर्तमान बिजली मामले के निपटान के लिए कदम उठा रहा है। 	54.36 लाख रुपये	लंबित है।	यह मामला जिला नीलाम प्रमाणपत्र पदाधिकारी, मुंबई के विद्वान न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान न्यायालय जिला नीलाम प्रमाणपत्र पदाधिकारी, मुंबई



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानिटारिंग रचनातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
10.	अपील मामला 2014 की नियमित अपील संख्या 129 (2014 की डायरी क्रमांक 9046) बीच में - ओएमडीसी- बनाम- यूको बैंक एवं अन्य [यहां यूनियन ऑफ इंडिया और बीबीजे (तत्कालीन बीबीयूनएल) प्रतिवादी हैं।]	2014	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : यूको बैंक ने 04.11.2003 को डीआरटी से, बीपीएमईएल से 1,92,12,957.92 रुपये (परिसमापन में) और यूओआई से 2,16,13,312.35 रुपये का संयुक्त रूप से, अलग-अलग और व्यक्तिगत रूप से कुल 4,08,26,270/- रुपये, 08.05.1991 से वसूली तक "उपरोक्त प्रमाणित राशियों" पर 19.5% की दर से ब्याज के साथ, का डिफ्री प्रास किया था। जिसे यूको बैंक द्वारा टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), आरआईएल की सहायक कंपनी ने पहले उड़ीसा राज्य में तीन खदानों का प्रचालन करती थी और जब 14.10.1980 को बीपीएमईएल सरकारी कंपनी के तौर पर निर्गमित हुई तो भारत सरकार ने खदानों के बीपीएमईएल के प्रशासनिक नियंत्रण में निहित करने की अधिसूचना जारी की। चूंकि ओएमडीसी उक्त खदानों का संचालन कर रहा था, इसलिए बीपीएमईएल ने पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के माध्यम से अपने सभी अधिकार और स्वामित्व ओएमडीसी को सौंप दिए थे। अब टीपीजी, बीपीएमईएल का सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, वसूली अधिकारी से और उसके बाद पीठासीन अधिकारी, डीआरटी से उक्त खदानों के कब्जे का दावा कर रहा है। असंतुष्ट होकर ओएमडीसी ने पी.ओ./डीआरटी-1 द्वारा पारित सभी पूर्व आदेशों की समीक्षा/रद्द करने और टीपीजी आदि को यूको बैंक के असाइनमेंट को रद्द करने के लिए डीआरटी के समक्ष 09.05.2014 को वर्तमान अपील दायर की, जहां यूओआई और बीबीयूनएल (अब बीबीजे) प्रतिवादी हैं। 	अपील मामला [बीपीएमईएल (परिसमापन के अधीन) के विरुद्ध यूको बैंक की बकाया राशि के संबंध में]	लंबित है।	यह मामला विद्वान ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 12.04.2023 को सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण
11(क)	मध्यस्थता अपील 2016 का ए.पी. संख्या 9 2016 का जी.ए. संख्या 120 बीच में - इंडो वैगन इंजी. कंपनी लि. बनाम बीबीजे (तत्कालीन बीबीयूनएल)	2016	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : कंपनी और इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (आईडब्ल्यूईएल) के बीच जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड ("जेसप") के इक्विटी शेयर्स और अन्य विवादों के लिए एक मध्यस्थता कार्यवाही की गई। एकमात्र मध्यस्थ ने 11.09.2015 को बीबीयूनएल के पक्ष में निर्णय पारित किया और आईडब्ल्यूईएल को ब्याज सहित 41.02 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। असंतुष्ट होकर आई डब्ल्यू ई एल ने दिनांक 11.09.2015 के उक्त निर्णय को रद्द करने के लिए 04.01.2016 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह मध्यस्थता याचिका दायर की। 	41.02 करोड़ रुपये+ ब्याज	लंबित।	मामला लंबित है और अभी भी आगे की सुनवाई के लिए कलकत्ता (मूल पक्ष) में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, (मूल कलकत्ता, (मूल पक्ष)






दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानिटारिंग रचनातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
11(ख)	निष्पादन का मामला 2018 का ई.सी. नंबर 458 बीच में - बीबीजे (तत्कालीन बीबीएनएल) -बनाम- इंडो वेगन इजी. कंपनी लिमिटेड।	2018	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : एकमात्र मध्यस्थ के उपर्युक्त उल्लिखित फैसले को निष्पादित करने के लिए जो दिनांक 11.09.2015 को बीबीएनएल के पक्ष में पारित किया गया और जिसमें आईडब्ल्यूईएल द्वारा बीबीजे को ब्याज सहित 41.02 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, बीबीजे (तत्कालीन बीबीएनएल) ने 41.02 करोड़ रुपये + ब्याज की प्रदान की गई राशि की वसूली के लिए 19.09.2018 को यह निष्पादन आवेदन दायर किया। 	41.02 करोड़ रुपये+ ब्याज	लंबित।	मामला कलकत्ता (मूल पक्ष) में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, (मूल पक्ष)
12.	कर्मचारी भविष्य निधि मामला 2016 का अपील संख्या ई.पी. एफ.- 09 [पुरानी संख्या 2016 का 299 (15)] बीच में - बीबीजे (तत्कालीन बीबीएनएल) - बनाम - सहायक भविष्य निधि कमिश्नर, क्षे. का., कोलकाता	2016	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का., कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (बी) एवं 7 (क्यू) के अधीन कुल 96,09,773/- रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा किया है। कई सुनवाई के बाद एपीएफसी, क्षे.का., कोलकाता ने फिर 15.02.2016 के आदेश के जरिए कथित अधिनियम की धारा 14 (बी) के अधीन उपरोक्त क्षति के लिए 66,43,791/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश को कंपनी द्वारा कर्मचारी/भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई है। ट्राईब्यूनाल ने मूल्यांकित राशि का 50% जमा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा एक आवेदन देने पर विद्वान पीठासीन अधिकारी ने 22.09.2016 के आदेश के जरिए 16,76,335/- रुपये जमा करने का आदेश दिया है। कंपनी ने उक्त रकम को 01.10.2016 को एपीएफसी, क्षे.का., कोलकाता के पास जमा कर दी। इस बीच 26.05.2017 की अधिसूचना के अनुसार ईपीएफटी, दिल्ली और बंगलुरु को समाप्त कर दिया है तथा उक्त ट्राईब्यूनाल में लंबित मामले अब संबंधित राज्य के केंद्रीय सरकार औद्योगिक ट्राईब्यूनाल सह श्रम न्यायालय, (सीजीआईटी) में स्थानांतरित हो जायेगे। ईपीएफटी को भंग करने पर विचार करते हुए मामले को आगे की कार्यवाही हेतु सीजीआईटी, कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया है। 	66.43 लाख रुपये	लंबित।	मामला अब सीजीआईटी, कोलकाता द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए लंबित है।	केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय, (सीजीआईटी), कोलकाता



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)


क्रम सं.	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानिट्रिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
13.	मध्यस्थता अपील अब्रि. अपील 2019 का संख्या 2 (जोगीघोषा ब्रिज अनुबंध मामला) के बीच - एन.एफ. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2016	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: मामला असम में निर्मित जोगीघोषा पुल से संबंधित है। मेसर्स बीबीजेके पक्ष में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले के अनुपालन में हालांकि, उत्तरी सीमांत रेलवे द्वारा आंशिक भुगतान किया गया था और अन्य हिस्सा बिना किसी विवाद के एनएफ रेलवे के आदेश पर सुलह की प्रतीक्षा में रहा। एन एफ रेलवे ने गौहाटी में विद्वान जिला न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी। 23.07.2014 को विद्वान जिला न्यायाधीश, कामरूप, गुआहाटी ने एन एफ रेलवे के दावों को खारिज कर दिया। 351 दिनों की देरी के बाद एनएफ रेलवे ने माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 17.10.2015 को वर्तमान मध्यस्थता अपील दायर की (जो कि 02.02.2019 को स्वीकार की गई)। 	शून्य दायिता	लंबित	मामला माननीय उच्च न्यायालय, गौहाटी के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, गुआहाटी, असम
14.	सिविल अपील 2017 की पीपी अपील संख्या 6 (विक्टोरिया हाउस मामला) के बीच - बीबीजे - बनाम - केओपीटी (अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट)	2017	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: यह मामला लोक भवन (अनधिकृत कब्जे से बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7 (3) के तहत बीबीजे के खिलाफ 01.04.1988 से 31.03.1989 तक 'विक्टोरिया वर्क्स' के अनधिकृत रूप से कब्जा करने से हुई क्षति के लिए ₹.10,57,872 भुगतान से संबंधित है। बीबीजे द्वारा विभिन्न आधारों पर संपदा ऑफिसर के समक्ष केओपीटी के दावे को चुनौती दी गई थी। 08.03.2017 को एक आक्षेपित आदेश द्वारा केओपीटी के विद्वान संपदा अधिकारी ने केओपीटीके दावों को सही ठहराया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, बीबीजे ने 23.03.2017 को अलीपुर में विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष यह अपील दायर की। विद्वान तृतीय अतिरिक्त, जिला न्यायाधीश ने दिनांक 22.06.2017 के एक आदेश द्वारा केओपीटी के संपदा अधिकारी के दिनांक 08.03.2017 के विवादित भुगतान आदेश पर रोक लगा दी और रोक अभी भी जारी है। 	10.57 लाख रुपये + ब्याज	लंबित	मामला विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय, अलीपुर में सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय, अलीपुर



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानिटिंग रचनात्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
15(क)	मध्यस्थता अपील मध्यस्थता मामला संख्या 30 2022 (2017 का विविध सिविल केस नंबर 858) (बम्बल प्रथम ब्रिज ठेका मामला) के बीच - एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2018	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य : बीबीजे के पक्ष में दिनांक 31.10.2008 को एक शून्य दायित्व मध्यस्थता फैसला पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने उक्त फैसले को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (मध्यस्थता मामला संख्या - 2018 का 21) के तहत 17.11.2017 को जिला न्यायालय, इलाहाबाद, यूपी के विद्वान न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। ● वर्तमान में यह मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायालय में लंबित है। ● बीबीजे को 29.09.2022 को समन प्राप्त हुआ और अब वह उक्त मध्यस्थता अपील का विरोध कर रहा है। 	शून्य दायिता	लंबित	यह मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है।	वाणिज्यिक न्यायालय का विद्वान न्यायालय, इलाहाबाद, यूपी.
15(ख)	मध्यस्थता अपील 2018 का मध्यस्थता मामला संख्या 21 (बम्बल द्वितीय ब्रिज ठेका मामला) के बीच - एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2018	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य : बीबीजे के पक्ष में दिनांक 07.04.2018 को एक शून्य दायित्व मध्यस्थता फैसला पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने 10.07.2018 को जिला न्यायालय, इलाहाबाद, यूपी के विद्वान न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता मामला संख्या - 21, 2018) की धारा 34 के तहत उक्त फैसले को चुनौती दी। ● वर्तमान में यह मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायालय में लंबित है। ● बीबीजे ने 16.07.2018 को समन प्राप्त किया और अब विद्वान जिला न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील लड़ रहा है। 	शून्य दायिता	लंबित	यह मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है।	वाणिज्यिक न्यायालय का विद्वान न्यायालय, इलाहाबाद, यूपी



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)


क्रम सं.	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानिट्रिंग रचनांतर की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
16	विशेष अनुमति याचिका (मध्यस्थता अपील मामला) 2020 का एएएलपी (सी) नंबर 8221 (संदर्भ - 2019 का ए.पी. क्रमांक 69) (मनोहरपुर-बंडामुंडा मध्यस्थता मामला) बीच में - बीबीजे - बनाम - दक्षिण पूर्व रेलवे	2020	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : दक्षिण पूर्व रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 7.34 करोड़ रुपये के वैध दावे से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, जो जीसीसी के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वर्तमान एएएलपी बीबीजे द्वारा 16.03.2020 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद को उचित और निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए मध्यस्थ के रूप में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तत्काल नियुक्ति के लिए दायर की गई थी। 	7.34 करोड़ रुपये + ब्याज	लंबित	मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय
17.	मध्यस्थता कार्यवाही (संदर्भ: 2019 का एपी नंबर 188 2018 के ए.पी. संख्या 330 से उत्पन्न) (सियालदह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन परियोजना बीच में - बीबीजे - बनाम - पूर्वी रेलवे और अन्य	2021	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही पूर्वी रेलवे के सियालदह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन परियोजना में 36 पुलों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न विवादों के लिए पूर्वी रेलवे के खिलाफ बीबीजे द्वारा दायर की गई थी। बीबीजे के अन्य दावों के अलावा, ई रेलवे के खिलाफ बीबीजे का लगभग 1.20 करोड़ रुपये का एक बड़ा स्वीकृत दावा है और अन्य दावे भी हैं जिन पर मध्यस्थता में से फैसला सुनाया जाना आवश्यक है। दिनांक 07.04.2021 के एक आवेश द्वारा, कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने बीबीजे और पूर्वी रेलवे के बीच विवादों और मतभेदों का फैसला करने के लिए श्री न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। 01.03.2022 को, एकमात्र विद्वान मध्यस्थ ने एक अंतरिम आवेश दिनांक 28.02.2022 पारित किया, जिसमें प्रतिवादी - पूर्वी रेलवे को दावेदार - बीबीजे को ₹. 1,12,75,117.67 की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। 20.05.2022 को, प्रतिवादी - पूर्वी रेलवे ने उक्त राशि ₹. 1,12,75,117.67 का भुगतान बीबीजे को किया। बीबीजे के 12.46 करोड़ रुपये के दावों का पुनर्निर्धारण और 18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजा और पूर्वी रेलवे का 3.63 करोड़ रुपये का जवाबी दावा अभी भी मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन है। 	12.46 करोड़ रुपये + ब्याज	लंबित है।	मामला साक्ष्य के लिए लंबित है।	एकमात्र मध्यस्थ - माननीय श्री न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त)



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण मानिटैरिंग रचनात्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
18.	मध्यस्थता कार्यवाही (2021 की पिछली मध्यस्थता याचिका संख्या 15 देखें) (गैबॉन परियोजना मध्यस्थता मामला)	2021	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : यह विवाद कंसल्टेन्ट्स कमबाइन प्राइवेट लिमिटेड(सीसीपीएल) के खिलाफ लगभग 15 करोड़ रुपये के बीबीजे के कानूनी दावे के बारे में है, जो उनके अनुबंध की अवाधि के अन्दर बिकेले, गैबॉन, अफ्रीका में 300 आवास घरों, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल सेंटर और आईटी एंड कम्प्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए 14.5 लाख अमरीकी डालर की गैबॉन सरकार की परियोजना को पूरा करने के लिए लीड सदस्य के रूप में उनकी लापरवाही / गैर-निष्पादन के लिए है। दिनांक 14.01.2021 के एक आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने वर्तमान एकल मध्यस्थ - न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) को नियुक्त करने की कृपा की। इस मध्यस्थता कार्यवाही में, बीबीजे का दावा 26.11 करोड़ रुपये और सीसीपीएल का जवाबी दावा 24.78 करोड़ रुपये है। 	₹. 26.11 करोड़ (ब्याज सहित)	लंबित है।	मामला अंतिम बहस के लिए तय है।	एकल मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त)
19.	कंपनी याचिका सी.पी. 2021 का नंबर 101 एवं 2021 का कंपनी आवेदन (सीए) संख्या 128 एवं 2022 का कंपनी याचिका सी.पी.(सीएए) संख्या 37 बीच में बीबीजे - बनाम - लगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2021	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : वित्त वर्ष 2020-21 के परिपत्र संकल्प संख्या 7 दिनांक 20.02.2021 के अनुपालन में, श्री सत्यसाची चौधरी (अधिवक्ता) की कानूनी राय दिनांक 30.1.2021 के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242 के तहत बीबीजे द्वारा लगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एलईसीएल) के कुप्रबंधन और उत्पीड़न के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), कोलकाता बेंच (2021 का मामला संख्या सीपी 101) के समक्ष, एलईसीएल के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। मामला सी.पी. 2021 की संख्या 37 लगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एलईसीएल) और एक एकता एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (एकता) की समामेलन योजना के खिलाफ बीबीजे द्वारा उठाई गई आपत्तियों से संबंधित है। अन्य दो मामले सी.पी. 2021 का नंबर 101 और सी.पी. 2021 की संख्या 128 बीबीजे द्वारा एलईसीएल के खिलाफ उनके कुप्रबंधन और उत्पीड़न के लिए दायर की गई थी। 	कंपनी याचिका	लंबित	ये मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता बेंच



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनांत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
20.	निष्पादन मामला 2022 का ईसी नंबर 2 बीच में बीबीजे - बनाम पूर्व मध्य रेलवे और अन्य	2022	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : विवाद मुगलसराय में "3400 'सी' श्रेणी और 10500 'बी' श्रेणी के अनलोडेबल वेगनों की मरम्मत के अनुबंध से अवैध समाप्ति के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 40.77 करोड़ रुपये (+ 18% ब्याज) के वैध दावे के संबंध में है। एकमात्र मध्यस्थ - माननीय श्री न्यायमूर्ति धरणीधर झा (सेवानिवृत्त) ने बीबीजे के पक्ष में दिनांक 17.03.2021 को अंतिम आदेश पारित किया। माननीय एकमात्र मध्यस्थ ने बीबीजे के अधिकांश दावों को स्वीकार कर लिया और ई.सी.रेलवे को निर्देश दिया कि वह बीबीजे को 38,72,26,975.00 रुपये की सम्मानित राशि एवं आदेश की तारीख से भुगतान के तारीख तक कुल सम्मानित राशि पर 12.5% ब्याज के साथ, भुगतान करे। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज तक अवाई राशि 38,72,26,975.00 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। 03.01.2022 को बीबीजे ने उपरोक्त उल्लिखित मध्यस्थता आदेश दिनांक 17.03.2021 को लागू करने के लिए पटना सदर में विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष 2022 का वर्तमान निष्पादन मामला संख्या 2 दायर किया। 	₹. 38.72 करोड़ + ब्याज @12.5%	लंबित	मामला सुनवाई एवं पूर्व मध्य रेलवे की उपस्थिति के लिए निर्धारित है।	विद्वान जिला न्यायाधीश, पटना सदर
21.	मध्यस्थता याचिका (मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए) मामले का प्रकार : ओ.एम.पी.(टी)(कॉम.) 2022 का 73 (डाथरी नंबर 1051080 आफ 2022) बीच में - बीबीजे - बनाम - उत्तर रेलवे	2022	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य : यह विवाद जौनपुर के पास लखनऊ-जफराबाद खंड में उत्तर रेलवे की परियोजना से संबंधित है। बीबीजे ने पिछले मध्यस्थ न्यायाधिकरण की मध्यस्थता को औपचारिक रूप से समाप्त करने और मामले को निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता याचिका दायर की। 	₹. 2.44 करोड़	लंबित	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली।




टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित बीबीजे के कानूनी मामलों की संख्या (31.03.2023 तक)

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लंबित कानूनी मामलों की संख्या
1.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	1
2.	उच्च न्यायालय	10
3.	निचले न्यायालय	11
4.	मध्यस्थ न्यायाधिकरण	2
	कुल	24



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

44 विश्लेषणात्मक अनुपात के संबंध में प्रकटीकरण

अनुपात	अंश-गणक	भाजक	31 मार्च, 2023	31 मार्च 2022	% विचरण	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियाँ	1.33	1.34	-0.93%	
ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.31	0.33	-3.92%	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में) - (शुद्ध लाभ + मूल्यहास + लंबी अवधि के ऋण पर ब्याज) / वर्ष के दौरान देय या भुगतान किए गए दीर्घकालिक ऋण की कुल ब्याज और मूलधन।	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.04	0.01	141.97%	
इक्विटी अनुपात पर लाभ (%)	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक की इक्विटी	7.33%	2.61%	180.85%	
सामग्री फेर अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत सूची	6.27	2.93	113.84%	
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	प्राप्य औसत खाते	13.62	7.86	73.28%	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना)	शुद्ध ऋण खरीद	औसत विविध लेनदार	5.60	1.81	209.50%	
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (%)	संचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	189.08%	85.91%	120.09%	
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	संचालन/शुद्ध बिक्री से राजस्व	2.94%	2.30%	27.51%	
नियोजित पूंजी पर लाभ (%)	ब्याज और करों से पहले कमाई	नियोजित पूंजी	5.68%	2.26%	151.24%	
निवेश पर प्रतिफल (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल संपत्ति	1.2%	0.4%	191.62%	

- 45 संपत्ति संयंत्र और उपकरण में वे वस्तुएं शामिल हैं, जो बहुत पुरानी हैं और उनका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है। ऐसी संपत्तियों को खातों की पुस्तकों में पूरी तरह से मूल्यहास किया गया है। 2022-23 के दौरान कंपनी ने रुपये की ऐसी वस्तुओं की पहचान की। 55.10 लाख (मुख्य लागत) और स्क्रेप के रूप में निपटाया गया। कंपनी ऐसी अन्य वस्तुओं की पहचान करने की प्रक्रिया में है जो स्क्रेपिंग/राइट-ऑफ के लिए अपना उपयोगी जीवन व्यतीत कर चुके हैं।
- 46 व्यापार प्राप्य में लकवा-परियोजना कार्य के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से गैर वर्तमान परिसंपत्तियों की 38.98 लाख रुपये (विगत वर्ष - 38.98 लाख) बकाया है, जो पूरा होने के पहले 2009-10 में बंद हो गया था एवं उपर्युक्त कार्य से संबंधित चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में 42.29 लाख रुपये (विगत वर्ष - 42.29 लाख) की अवरोधन धन एवं प्रतिभूति जमा 37.49 लाख (पिछले वर्ष - 37.49 लाख) शामिल है। चूंकि बही में दिखायी गयी 126.46 लाख रुपये (विगत वर्ष - 126.46 लाख) की सदृश समष्टि राशि बीएलईएल को देय है, कंपनी ने बीएचईएल से प्राप्य प्रतिभूति जमा एवं अवरोधन धन पर संदिग्ध कर्ज के लिए किसी भत्ते पर विचार नहीं किया है।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 47 अन्य वित्तीय संपत्ति - वर्तमान में बयाना राशि और अन्य जमा राशि के रूप में 45.41 लाख रुपये (पिछले वर्ष- 45.41 लाख रुपये) शामिल हैं, जो बहुत पुरानी हैं, जिसके मुकाबले 40.78 लाख रुपये (पिछले वर्ष- 40.78 लाख रुपये) की राशि देय है और अन्य वित्तीय देनदारियों में शामिल है - वर्तमान, जिसकी पुष्टि सम्मानित पक्षों द्वारा नहीं की गई है, हालांकि कंपनी ने संबंधित देनदारियों के कारण इसे अच्छा माना है।
- 48 वर्ष के लिए इन्वेंटरी में पुराने और अप्रयुक्त स्टॉक शामिल हैं, 119.85 लाख रुपये का कच्चा माल, 2.78 लाख रुपये स्टोर स्पेयर और उपभोग्य सामग्रियों में, जो 8 साल से अधिक समय से पड़े हैं, और 8.18 लाख रुपये लूज टूल्स में, जो 10 साल से अधिक समय से पड़े हैं। और वर्ष के दौरान खातों में इसके विरुद्ध आवश्यक प्रावधान किया गया है।
- 49 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान में निम्नलिखित पार्टियों को अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि शामिल है जो बहुत पुरानी हैं और कंपनी ने इसे चालू प्रकृति के समान माना है :

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
1	ग्राहक-बीबीयूएनएल से बिक्री कर वसूली योग्य	15.76	15.76
2	वेतन अग्रिम	10.45	61.36
कुल		26.21	77.12


ग्राहक-बीबीयूएनएल से वसूली योग्य बिक्री कर वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए बिहार के वाणिज्यिक कर के संयुक्त आयुक्त के समक्ष की गई अपील के खिलाफ जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

- 50 मान परिसंपत्तियों में निम्नलिखित पार्टियों को अग्रिम के रूप में जमा की गई राशियां शामिल हैं जिनकी कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है और वे बहुत पुरानी हैं। कंपनी इसे अच्छा और वसूली योग्य/समायोज्य मानती है और इसलिए इसे चालू प्रकृति का मानती है।

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
1	अनुबंधित कर्मचारी भविष्य निधि	15.02	15.77
2	कामगार भविष्य संस्था	6.82	9.28
कुल		21.84	25.05

- 51 व्यापार देय -- गैर वर्तमान और अन्य गैर वर्तमान देनदारियों में वे राशियां शामिल हैं जिनके मुकाबले पहले के वर्षों में सामान और सेवाएं प्राप्त हुई थीं, और कंपनी इन देनदारियों के प्रति लेनदारों की पहचान करने की प्रक्रिया में है। हालांकि, कंपनी इसे लंबी अवधि में देय मानती है और इसलिए इसे गैर वर्तमान प्रकृति का माना जाता है:

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
1	पूर्ण किए गए अनुबंधों पर देयताएं खाता	1493.35	1493.35
2	देयताएं खाता	698.01	727.53
3	भारत सरकार को देय खाता - बीबीवीएल परिसमापन एवं ब्याज	182.90	182.90
4	भारत सरकार को पी/ ई देय (सहायिकाएं) - बीडब्ल्यूईएल	69.60	69.60
5	पी/ ई निधि पर सहायिकाओं को ब्याज देय	357.65	357.65
6	विविध लेनदार - विविध (सहायिकाएं)	2.33	57.71



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7	आईटी सर्पेंस (अन्य) (194) देय - ओसीएल	1.04	1.04
8	बिक्री कर देय - ओसीएल	1.54	1.54
9	बीबीसीसी को ब्याज देय	2.37	2.37
10	पुरानी अनसुलझा शेष	6.36	6.36
	कुल	2815.15	2900.04


- 52 कच्चे माल, भंडार, उपभोग्य सामग्रियों आदि की सूची का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में किया गया है और भौतिक और बुक स्टॉक के बीच विसंगतियां, यदि कोई हैं, महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो वर्ष के दौरान खातों की किताबों में उचित रूप से निपटाया गया है।
- 53 आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार 11.04 लाख रुपये की निर्विवाद आयकर मांग है, जिसका खंडन करने के लिए कंपनी के पास उचित दस्तावेज या सबूत नहीं हैं। हालांकि, कंपनी की राय है कि भुगतान करने के लिए कोई राशि बकाया नहीं है, जिसका विरोध नहीं किया गया है और आयकर पोर्टल में प्रदर्शित राशि गलत हो सकती है। कंपनी इसे ठीक कराने का प्रयास करेगी। तदनुसार, कोई देयता प्रदान नहीं की गई है।
- 54 प्रासंगिक सहायक रिकॉर्ड में दिखाई देने वाले शेष के अनुसार पुस्तकों में शामिल कुछ व्यापार प्राप्त, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। हालांकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं होंगी।
- 55 2015 में भारत सरकार (जीओआई) की मंजूरी के अनुसार, बीबीजे (ट्रांसफरर कंपनी) का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के साथ पठित धारा 391(2) के तहत बीबीयूएनएल (ट्रांसफेरी कंपनी) के साथ विलय हो गया। समामेलन से पहले ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी थी। आरओसी ने अपने आदेश दिनांक 18 नवंबर 2015 द्वारा कंपनी का नाम भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) से बदलकर द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) करने की मंजूरी दे दी, जो इस तरह के समामेलन के परिणामस्वरूप हुआ। इससे पहले बीबीयूएनएल की भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीपीएमईएल), बर्न स्टैंडर्ड एंड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल), लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड और द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के नाम से सहायक कंपनियां थीं। ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, बीएससीएल और बीडब्ल्यूईएल को रेलवे को सौंपा गया, लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड और जेसप एंड कंपनी का विनिवेश किया गया, बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है।
- 56 रिपोर्टिंग की तारीख तक, बीपीएमईएल में रु. 5932.96 लाख (पिछले वर्ष रु. 5932.96 लाख), वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (बीपीएमईएल की सहायक कंपनी) में रु. 656.03 लाख (पिछले वर्ष रु. 656.03 लाख) और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती सहायक कंपनी) में ब्याज सहित रु. 207.25 लाख (पिछले वर्ष रु. 207.25 लाख), बीपीएमईएल से 33,656.29 लाख रुपये (पिछले वर्ष 33,656.29 लाख रुपये), डब्ल्यूआईएल से 350.26 लाख रुपये (पिछले वर्ष 350.26 लाख रुपये) के ऋण देय हैं। यह ऋण भारत सरकार द्वारा बीबीयूएनएल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों बीपीएमईएल, डब्ल्यूआईएल और बीडब्ल्यूईएल को उनकी विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं के लिए दिया गया था। बीपीएमईएल अभी परिसमापन के अधीन है, डब्ल्यूआईएल का समापन (परिसमापन के बाद) हुआ और बीडब्ल्यूईएल को रेलवे को सौंपा गया था। उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, ऐसे ऋण लागत पर दिए जाते हैं।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 57 कंपनी ने रिपोर्टिंग तिथि पर भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) में 486.30 लाख रुपये (पिछले वर्ष 486.30 लाख रुपये), जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल) में 2558.01 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2558.01 लाख रुपये) का निवेश किया है। बीबीयूएनएल की पूर्व सहायक कंपनियों परिसमापन के अधीन हैं, और भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीसीसीएल, बीबीजे का एक संयुक्त उद्यम) में रु. 0.30 लाख (पिछले वर्ष रु. 0.30 लाख) और लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड, (बीबीयूएनएल की सहायक कंपनियों) में रु. 42.20 लाख (पिछले वर्ष रु. 42.20 लाख) हैं। उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, ऐसे निवेश लागत पर किए जाते हैं। वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण में ऐसे निवेशों के मूल्य और ऋण और अर्जित ब्याज (प्राप्य और देय दोनों) के लिए हानि भत्ते का कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है।
- 58 कंपनी ने सहायक कंपनी, भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') एवं वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल'), द्वितीय स्तर सहायक कंपनी ('सहायिकाएं') को 6,588.99 लाख रुपये की मंजूर किए ऋण और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ('बीडब्ल्यूईएल') को 207.25 लाख रुपये के ऋण पर उपचित ब्याज का हिसाब में नहीं रखी है क्योंकि कंपनी की उपरोक्त सहायक कंपनियों समापन के अधीन हैं, इसलिए उनसे उगाही नहीं हो सकती है।
- कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6588.99 लाख रुपये के ऋण पर, जिसका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था, वसूली योग्य न होने के कारण, चालू वित्तीय वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है,। यदि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज प्रदान किया गया होता, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए वित्त लागत रुपये 2185.42 लाख (पिछले वर्ष 2131.26 लाख रुपये) से अधिक होती। और ब्याज के लिए भारत सरकार को देय राशि 22756.77 रुपये (पिछले वर्ष 20571.35 लाख) से अधिक होती। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ रु. 2185.42 लाख (पिछले वर्ष रु. 2131.26 लाख) कम होता।
- 59 भारत सरकार के दिनांक 26.08.2003 के पत्रांक 17(12)/2000 पी.ई. III द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात् कंपनी द्वारा जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) एवं इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. के बीच एवं उनके द्वारा निष्पादित शेयर खरीद समझौते की शर्तों के मुताबिक कंपनी ने 29.08.2003 को इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड को रुपये 1818.00 लाख के एवज में, जेसप के 6,81,34,428 अदद (यानी 72 प्रतिशत) इक्विटी शेयरों बेचे/हस्तांतरित किए। और 1818.00 लाख रुपये की संपूर्ण बिक्री आय भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी।
- 60 वर्ष 2005-06 के दौरान, जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में आवेदन किया था। बीआईएफआर ने ने 31.08.2005 को जारी निर्देशों से जेसप एंड कंपनी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं 100, 101, 102 और 103 के तहत प्रावधानों की शर्तों के मुताबिक अपनी इक्विटी शेयर पूंजी में कमी करने के लिए अनुमति प्रदान की है।
- कंपनी ने बीआईएफआर के उपरोक्त निर्देश के खिलाफ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के समक्ष रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत अपील की। कंपनी ने बीआईएफआर के उपरोक्त निर्देश के खिलाफ एएआईएफआर के समक्ष दायर दो अन्य अपीलों में भी खुद को पक्षकार बनाते हुए आवेदन दायर किया। जबकि एक अपील पहले वापस ले ली गई थी, एएआईएफआर ने आदेश दिनांक 28.02.2008 के माध्यम से कंपनी द्वारा की गई अपील के साथ-साथ अन्य अपील को भी खारिज कर दिया। कंपनी ने एएआईएफआर के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जो आज तक निपटान के लिए लंबित है। कंपनी ने 29.08.2003 को इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (जेसोप में रणनीतिक भागीदार) के साथ किए गए "शेयरधारक समझौते" में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों को मध्यस्थता के लिए भी संदर्भित किया है। लेखांकन मानकों और सरकारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए अंतिम निर्णय के बाद परिणामी लेखांकन प्रभाव को खाते की पुस्तकों में दिखाया जाएगा।



टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 61 वर्ष 2005-06 के दौरान, अक्टूबर 2001 से अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए सेवा प्रभार के रूप में वसूल किया गया रुपये 82.72 लाख जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को वापस किया गया था। कंपनी ने ब्याज एवं खर्च के साथ राशि की वसूली के लिए मामला दायर किया है, जो आज की तारीख तक निपटारा हेतु लंबित है।
- 62 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, कंपनी ने गैबॉन गणराज्य में बिकेल टाउनशिप में नेबरहुड यूनिट के निर्माण के लिए “बीसीडी आईएनजीएबी कंसोर्टियम” के नाम और शैली के तहत एक कंसोर्टियम व्यवस्था में प्रवेश किया था। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य (कंसोर्टियम पार्टनर के साथ समझौते के अनुसार) समुच्चयित किया गया और बैंक गारंटी शुल्क, यात्रा, स्थापना व्यय आदि जैसे विभिन्न मदों पर किए गए वास्तविक खर्चों को छोड़कर, रुपये 2.75 करोड़ तक सीमित कर दिया गया। अपनी परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में, कंपनी ने कंसोर्टियम को जारी समतुल्य राशि के मोबिलाइजेशन एडवांस के एवज में गैबॉन सरकार के पक्ष में, 725,000 अमेरिकी डॉलर (परियोजना ऑर्डर मूल्य का 5%) की प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान की है। कंपनी को कंसोर्टियम से ऐसी गारंटी (वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है) के लिए मार्जिन मनी प्राप्त हो चुकी है।
- परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण कंपनी ने सम्मानजनक विकास की तलाश करने का निर्णय लिया, जिस पर काम किया जा रहा है। मौजूदा समझौते के अनुसार, कंपनी परियोजना से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और/या घाटे की स्थिति में कंसोर्टियम भागीदार को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, एक मध्यस्थता कार्यवाही बीबीजे बनाम सीसीपीएल (कंसोर्टियम पार्टनर) माननीय मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।
- 63 भारतीय मानक 116 के तहत, वर्ष के दौरान कोई परिचालन पट्टा मौजूद नहीं है और इसलिए इस संबंध में कोई खुलासा आवश्यक नहीं है।
- 64 आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: यू 70100 डब्ल्यूबी1986 जीओआई041286

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195

कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 09832486

राजीव कुमार सिंह
निदेशक(तकनीकी)
डी आई एन : 09614219

स्थान: कोलकाता
Date: 12.07.2023
UDIN – 23053195BGYXNQ2454

एसके घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)
पी ए एन : AMTPG9199H

एनके मिश्रा
कंपनी सचिव
पी ए एन : AIQPM3388P





जम्मू और कश्मीर में रामबन जिले में, संगलदान खंड पर
यूएसबीआरएल परियोजना के तहत, ब्रिज नंबर 1
Bridge no.1 at Jammu & Kashmir in district Ramban,
under the USBRL project at Sangaldan section



रेलवे ब्रिज नंबर 3, हसदेव, छत्तीसगढ़
Railway Bridge no.3, Hasdeo, Chhattisgarh



रेलवे ब्रिज नं. 111 प्रयागराज मेंगंगा नदी के पार,
झूसी-दारागंज स्टेशनके बीच, उत्तर प्रदेश
Railway Bridge no. 111 at Prayagraj,
across Ganga river between Jhusi – Daraganj station, Uttar Pradesh



दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड
जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700001, पश्चिम बंगाल, भारत
दूरभाष : +91 33 22485841 – 44,
ईमेल : info.bbjconst@bbjconst.com, वेबसाइट : www.bbjconst.com
27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700001, West Bengal, India.
Phone : +91 33 22485841 – 44,
email : info.bbjconst@bbjconst.com, Website : www.bbjconst.com